# भारत में चने का विपणन योग्य अधिशेष और कटाई पश्चात होने वालि हानि वर्ष 2002





भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
शाखा प्रधान कार्यालय
नागपुर – 440 001

एमआरपीसी-49

## (i) विषय सूची

<u>अध्या</u>	य संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
		आ <b>मु</b> ख सार	xvi xix
I	-	प्रस्तावना	1
II	-	प्रतिदर्श चयन एवं सर्वेक्षण में शामिल क्षेत्र	4
III	-	अनुमान प्रक्रिया	13
IV	-	चने का उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन	15
V	-	किसान परिवार द्वारा चने रखने का प्रयोजन	25
VI	-	खेत में चने की कटाई पश्चात हानि	51
VII	-	बाजार में बेचा गया अधिशेष	57
VIII	-	विपणन योग्य अधिशेष	67
		अनुलग्नक I से LXIX	74 - 147
आभा	र		148-151

## अनुलग्नकों की सूची

<u>अनुलग्नक सं</u>	ख्या	विषय	<u>पृष्ठ संख्या</u>
I	-	क्षेत्र जिसमें सिचिंत/असिंचित फसल	74
		के रूप में चना उगाया गया है ।	
II	-	क्षेत्र जिसमें अधिक पैदावार वाली किस्म और	75
		परंपरागत किस्म का चना उगाया गया है।	
III	-	चने का उत्पादन-सिंचित/असिंचित फसल के रूप में	76
IV	-	चने का उत्पादन – अधिक पैदावार वाली किस्म	77
		(HYV) और परंपरागत किस्म (TV)	
V	-	किसान परिवार की खपत के लिए चने रखना	78
VI	-	स्थायी मजदूरों की खपत के लिए चने रखना	79
VII	-	अस्थायी मजदूरों की खपत के लिए चने रखना	80
VIII	-	कृषि स्तर पर खपत के लिए रखे गए चने की	81
		कुल मात्रा	
IX	-	किसान परिवार द्वारा चने की कुल खरीद	82
X	-	कृषि स्तर पर खपत के लिए किसान परिवार के लिए	83
		चने की अपेक्षित कुल मात्रा	

XI	- सिंचि	बीज के लिए रखे गए चने की कुल मात्रा त/असिंचित	84
XI क		बीज के लिए रखे गए चने की कुल मात्रा	85
		सिंचित/असिंचित	
XII	-	पशु चारे के लिए चने रखना	86
XIII	-	छोटे किसानों द्वारा स्थायी मजदूर के लिए वस्तु के	87
		रूप में नकद भुगतान के लिए चने का उपयोग	
XIV	-	मध्यम श्रेणी के किसानों द्वारा स्थायी मजदूर के लिए	88
		वस्तु के रूप में नकद भुगतान के लिए चने का उपयोग	
XV	-	बड़े किसानों द्वारा स्थायी मजदूरों के लिए वस्तु के	89
		रूप में और नकद भुगतान के लिए चने का प्रयोग	
XVI	-	सभी दर्जे के किसानों द्वारा स्थायी मजदूरों के रूप	90
		में और नकद भुगतान के लिए चने का उपयोग	
XVII	-	छोटे किसानों द्वारा चाल् वर्ष में चने की फसल की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से कुछ धनराशि	91
		का अस्थायी मजदेरों को नकद भुगतान करने के लिए	
		एवं अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग	

XVIII - मध्यम श्रेणी के किसानों द्वारा चने (चालू वर्ष की फसल) 92
की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से कुछ धनराशि का

अस्थायी मजद्रों को नकद भुगतान करने के लिए

और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग

अंडे किसानों द्वारा चने (चालू वर्ष की फसल)
 की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से कुछ धनराशि का
 अस्थायी मजदूरों को नकद भुगतान करने के लिए
 और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग

सभी श्रेणियों के किसानों द्वारा चने (चालू वर्ष की फसल) 94
 की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से कुछ धनराशि का
 अस्थायी मजदूरों को नकद भुगतान करने के लिए
 और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग

अटे किसानों द्वारा द्वारा चने (पूर्व वर्ष की फसल)
 की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से कुछ धनराशि का
 अस्थायी मजदूरों को नकद भुगतान और अन्य
 प्रयोजनों के लिए उपयोग

XXII	-	मध्यम श्रेणी किसानो द्वारा द्वारा चर्ने (पूर्व वर्ष की फसल) की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से कुछ धनराशि का अस्थायी मजदूरों को नकद भुगतान और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग	96
XXIII	-	बड़े किसानों द्वारा द्वारा चने (पूर्व वर्ष की फसल)	97
		की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से कुछ धनराशि का	
		अस्थायी मजद्रों को नकद भुगतान और अन्य	
		प्रयोजनों के लिए उपयोग	
XXIV	-	सभी श्रेणियों के किसानों द्वारा द्वारा चने	98
		(पूर्व वर्ष की फसल) की बिक्री से	
		प्राप्त धनराशि में से कुछ धनराशि का	
		अस्थायी मजद्रों को नकद भुगतान और अन्य	
		प्रयोजनों के लिए उपयोग	
XXV	-	छोटे किसानों द्वारा अस्थायी मजदूरों को वस्तु के रूप	99
		में एवं भुगतान के लिए चने का उपयोग	
XXVI	-	मध्यम श्रेणी के किसानों द्वारा अस्थायी मजदूरों को	100
		वस्तु के रूप में भुगतान के लिए चने का उपयोग	
XXVII	-	बड़े श्रेणी के किसानों द्वारा अस्थायी मजदूरों को	101
		वस्तु के रूप में भुगतान के लिए चने का उपयोग	

XXVIII	- सभा श्राणया के किसाना द्वारा अस्थाया मजदूरा का वस्तु के रूप में भुगतान के लिए और अन्य प्रयोजनों के लिए चने का उपयोग	102
XXIX	- गाहने के दौरान चने की हानि	103
XXX	- स्त्रोतवार गाहने (थ्रशिंग) के दौरान चने की हानि	104
XXXI	- ओसाई (विनोइंग) के दौरान चने की हानि	105
XXXII	- मशीन/हाथ से ओसाई के दौरान चने की हानि	106
XXXIII	- खेत से खलिहान तक ले जाने में चने की हानि	107
XXXIV	- खेत से खलिहान तक ले जाने में चने की हानि –	108
	प्रयुक्त यातायात साधन	
XXXV XXXVI	<ul> <li>खिलहान से भण्डार तक ले जाने में चने की हानि -</li> <li>खिलहान से भण्डार तक ले जाने में चने की हानि -</li> <li>प्रयुक्त यातायात साधन</li> </ul>	109 110
XXXVII	- खिलहान से भण्डार तक ले जाने में चने की कुल हानि – थोक में/बोरे में	111
	(vii)	
XXXVIII	- भण्डारण के दौरान चने की हानि	112
XXXIX	- भण्डारण के दौरान चने की हानि भण्डारण का प्रकार/भण्डारण की विधि	113
XXXX	- भण्डारण के दौरान चने की हानि और हानि के कारण	114
XXXXI	- उत्पादक स्तर पर चने की कटाई पश्चात कुल हानि छोटे किसानों के संबंध में	115
XXXXII	- उत्पादक स्तर पर चने की कटाई पश्चात कुल हानि	116

## मध्यम श्रेणी के किसानों के संबंध में

XXXXIII	-	उत्पादक स्तर पर चने की कटाई पश्चात कुल हा बड़े किसानों के संबंध में	नि – 117
XXXXIV	-	उत्पादक स्तर पर चने की कटाई पश्चात कुल हानि सभी श्रेणी के किसानों के संबंध में	118
XXXXV	-	चने की कुल बिक्री –ितमाही वार - छोटे किसानों के संबंध में	119
XXXXVI	-	चने की कुल बिक्री –ितमाही वार– मध्यम श्रेणी के किसानों के संबंध में	120
XXXXVII	-	चने की कुल बिक्री –तिमाही वार – बड़े श्रेणी के किसानों के लिए	121
XXXXVIII	-	चने की कुल बिक्री –तिमाही वार – सभी श्रेणी के किसानों के लिए	122
		(viii)	
XXXXIX	-	चने की बिक्री – एजेंसी वार – छोटे किसानों के संबंध में	123
L	-	चने की बिक्री – एजेंसी वार – मध्यम श्रेणी के किसानों के संबंध में	124
LI	-	चने की बिक्री – एजेंसी वार – बड़े श्रेणी के किसानों के लिए	125
LII	-	चने की बिक्री – एजेंसी वार – सभी श्रेणी के किसानों के लिए	126
LIII	-	चने की बिक्री – गांव के भीतर – छोटे श्रेणी के किसानों के संबंध में	127
LIV	-	चने की बिक्री – गांव के भीतर – मध्यम किसानों के संबंध में	128
LV	_	चने की बिकी – गांव के भीतर –	129

## बड़े किसानों के संबंध में

LVI	-	चने की बिक्री – गांव के भीतर – सभी श्रेणी के किसानों के संबंध में	130
LVII	-	चने की बिक्री – गांव से बाहर – छोटे किसानों के संबंध में	131
LVIII	-	चने की बिक्री – गांव से बाहर – मध्यम श्रेणी के किसानों के संबंध में	132
LIX	-	चने की बिक्री – गांव से बाहर – बड़े किसानों के संबंध में	133
LX	-	विपणन योग्य अधिशेष – सभी श्रेणी के किसानों के संबंध में	134
		(ix)	
LXI	-	विपणन योग्य अधिशेष – छोटे किसानों के संबंध में	135-136
LXII	-	विपणन योग्य अधिशेष – मध्यम श्रेणी के किसानों के लिए	137-138
LXIII	-	विपणन योग्य अधिशेष – बड़े किसानों के संबंध में	139-140
LXIV	-	विपणन योग्य अधिशेष सभी श्रेणी के किसानों के लिए	141-142
LXV	-	विपणन योग्य अधिशेष के मुकाबले बेचे गए कुल मात्रा – छोटे किसानों के संबंध में	चने की 143
LXVI	-	विपणन योग्य अधिशेष के मुकाबले बेचे गए कुल मात्रा – मध्यम श्रेणी के किसानों के सं	
LXVII	-	विपणन योग्य अधिशेष के मुकाबले बेचे गए कुल मात्रा – बड़े श्रेणी के किसानों के संबंध	

LXVIII	-	विपणन अधिशेष के मुकाबले बेची गई चने की कुल	146
		मात्रा सभी श्रेणी के किसानों के संबंध में	
LXIX	-	विपणन योग्य अधिशेष के मुकाबले बेची गई कुल मात्रा और चने की कटाई के पश्चात हानि के अनुमान के लिए मानक त्रुटि (स्टेण्डर्ड इरर)	147

**(x)** 

## तालिकाओं की सूची

तालिका	सं. विषय	पृष्ठ संख्या
1.	चने उगाने वाले प्रतिदर्श गांवों का वर्गीकरण	09
2.	प्रतिदर्श गांवों में चने की खेती के अंतर्गत औसत क्षेत्र	11
	उसकी प्रतिशतता (औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
3. (श्रेणीवार	सिंचित असिंचित और चने की कुल खेती के अंतर्गत जोत क्षेत्र (औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	15
4.	चने के अंतर्गत क्षेत्र (सिंचित/असिंचित) का राज्यवार ब्यौरा (औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	16
5.	चने की खेती के अधीन क्षेत्र : अधिक पैदावार देने वाली किस्म (एच वाई वी) एवं परंपरागत किस्म (टी वी) (औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	18
6.	अधिक पैदावार देने वाली किस्मों (एच वाई वी) एवं परंपरागत किस्म (टी वी) के चने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र का राज्यवार बंटन (औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	19
7.	सिंचित और असिंचित क्षेत्र में चने का उत्पादन	20
8.	सिंचित और असिंचित क्षेत्र में चने के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा (औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	21

(xi)

तालिका	सं. विषय	पृष्ठ संख्या
9.	अधिक पैदावार देने वाली किस्मों और परंपरागत किस्मों	22
	के चने का उत्पादन	
10.	अधिक पैदावार देने वाली किस्मों (एच वाई वी) एवं परंपरागत	23
	किस्मों (टी वी) के चने के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा	
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
11.	अखिल भारतीय आधार पर किसान परिवार द्वारा खपत के लिए	26
	चने रखने का प्रयोजन	
12.	किसान परिवार (सभी श्रेणियों द्वारा) खपत के लिए रखे गए चने	26
	का राज्यवार ब्यौरा	
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
13.	किसान परिवार द्वारा खेत पर काम में लगे स्थायी और अस्थायी	28
	मजदूरों की खपत के लिए चने रखना	
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
14.	सभी श्रेणियों के किसान परिवारों द्वारा खेत में काम करने वाले	29
	स्थायी मजदूरों और अस्थायी मजदूरों के लिए रखे गए चने की	
	मात्रा का राज्यवार ब्यौरा	
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	

तालिका सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
15.	फार्म स्तर पर खपत के लिए रखे गए चने की	30
	कुल मात्रा	
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
16.	फार्म स्तर पर खपत के लिए रखे गए चने की	31
	मात्रा का राज्यवार ब्यौरा	
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
17.	पारिवारिक खपत के लिए चने की खरीद	33
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
18.	चने की खरीद का राज्यवार ब्यौरा	33
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
19.	खपत के लिए चने की कुल अपेक्षित मात्रा	36
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
20.	चने की कुल अपेक्षित मात्रा का राज्यवार ब्यौरा	36
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
21.	बीज के प्रयोजन से चने रखना	38
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
22.	बीज के प्रयोजन से रखे गए चने का राज्यवार ब्यौरा (औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	38
23.	सिंचित फसल और असिंचित फसल के लिए बीज के प्रयोजन	39
43.		39
	से चना रखना (औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	

## (xiii)

तालिका सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
24.	पशु चारे के लिए चने रखना	40
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
25.	पशु चारे के लिए चने की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा	41
26.	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99) स्थायी मजदूरों को नकद और वस्तु के रूप में	42
	भूगतान के लिए चने का उपयोग	
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
27.	स्थायी मजदूरों को नकद और वस्तु के रूप में	43
	भुगतान के लिए उपयोग में लाए गए चने की मात्रा	
	का राज्यवार ब्यौरा	
28.	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99) चालू वर्ष की फसल से प्राप्त धनराशि से नकद भुगतान	45
	के लिए चने का उपयोग	
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
29.	पिछले वर्ष की फसल की बिक्री से हुई आय से नकद	46
	भुगतान के लिए चने का उपयोग	
30.	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99) विभिन्न प्रयोजनों के लिए वस्तु के रूप में भुगतान	47
	के लिए चने का उपयोग	
	(भीमन 1996-97, 1997-98 गर्न 1998-99)	

(xiv)

तालिका सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
31.	वस्तु के रूप में भुगतान के लिए चने के उपयोग का राज्यवार ब्यौरा	48
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
32.	उत्पादक स्तर पर चने की हानि	53
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
33.	चने की बिक्री	58
34.	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99) विभिन्न एजेंसियों को बिक्री (औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	60
35.	गांवों के भीतर चने की बिक्री	61
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
36.	गांव के बाहर चने की बिक्री	63
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	
37.	चने की बिक्री का राज्यवार ब्यौरा (औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	64
38.	विपणन योग्य अधिशेष का योगदान	65
	(औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	

(xv)

तालिका सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
39.	किसान परिवार के लिए अपेक्षित चने की अनुमानित मात्रा और विपणन योग्य अधिशेष (औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	68
40.	चने का विपणन योग्य अधिशेष (औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	69
41.	चने का अनुमानित उत्पादन, किसान परिवार के लिए अपेक्षित चने की कुल मात्रा, विपणन योग्य अधिशेष एवं बेचे गए चने का राज्यवार ब्यौरा (औसत 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99)	72
	(xvi)	

## आमुख

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी.एम.आई) अपने स्थापना वर्ष 1935 से ही कृषि उत्पादों के विपणन पर सर्वेक्षण कर रहा है । पिछले दशकों के दौरान किए गए सर्वेक्षणों के आधार विपणन योग्य अधिशेष संबंधी आंकडे बहुत पुराने हो गए हैं । अतः डी एम आई द्वारा महत्वपूर्ण अनाज के विपणन योग्य अधिशेष और कटाई के पश्चात हानि का अनुमान लगाने के लिए वर्ष 1972 में राष्ट्र व्यापी सर्वेक्षण किया गया । इस सर्वेक्षण में धान, गेहूं, ज्वार बाजरा और मक्का जैसे महत्वपूर्ण अनाज की फसलों को लिया गया है । तथापि कुछ समय बाद ये आंकड़े भी बेकार हो गए । प्रयोक्ता संगठनों द्वारा की जा रही सर्वेक्षण की निरंतर मांग को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण खाद्यानों, जैसे-अनाज में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्की, रांगी और जौ तथा दालों में अरहर, मूंग, उइद, चने और मसूर के विपणन योग्य अधिशेष और कटाई पश्चात हानि का अनुमान लगाने के लिए नए सिरे से राष्ट्र व्यापी सर्वेक्षण किया गया । यह सर्वेक्षण तीन वर्ष अर्थात् 1996-97, 1997-98, 1998-99 तक किया गया । इसके प्रतिदर्श ढांचे में 25 राज्य के 100 चुनिंदा जिलों और इन जिलों से 15,000 किसान परिवारों को लिया गया है । राज्य जिलों और किसान परिवारों का चयन तकनीकी समिति द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई ए एस आर आई), नई दिल्ली के परामर्श से प्रस्तावित विधिक स्तरीय बहुचरणबद्ध याइच्छिक प्रतिदर्श चयन डिजाइन के अनुसार किया गया।

सर्वेक्षण के दौरान तैयार किए गए आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण रूपरेखा (प्रोफाइल) और किसान परिवारों के विभिन्न पहलुओं में उगाई गई फसलों, विभिन्न प्रयोजनों के लिए खाद्यान्न रखने, बेची गई मात्रा, विपणन योग्य अधिशेष, उत्पादक स्तर पर कटाई पश्चात हानि आदि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई।

सर्वेक्षण के आधार पर तैयार आंकड़ों का विपुल भंडार है। कंप्यूटर डाटा एंटरी सुविधा से कम समय में 7.23 लाख अनुसूचियों से आंकड़ों को समेकित करने में मदद मिली है। इस खंड में चने के उत्पादन, किसान परिवार द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए चने रखने, उत्पादक स्तर पर कटाई पश्चात हानि, बेचे गए चने की मात्रा और विपणन योग्य अधिशेष आदि के संबंध में नमूना सर्वेक्षण पर आधारित अनुमानित आंकड़े दिए गये है।

मैं तकनीकी समिति के सदस्यों विशेष रूप से नमूना सर्वेक्षण प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ. ए.के. श्रीवास्तव और प्रधान वैज्ञानिक अध्यक्ष डॉ. एच.वी.एल. बाथला तथा कृषि अर्थशास्त्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉ. पी. कुमार का भी उनके द्वारा समय-समय पर दिए गए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के लिए अत्यंत आभारी हूं।

मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आइ.सी.) सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और विशेष रूप से एन. आई. सी. कार्यालय, नागपुर का आभारी हूं, जिसने डाटा एंटरी एवं विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण सॉफटवेअर सुविधा प्रदान की । मैं क्षेत्रीय कंप्यूटर केंद्र का भी उनकी कंप्यूटर डाटा एंटरी सेवा के लिए आभारी हूं ।

(xviii)

इतने व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण् का यह कार्य डी.एम.आई. के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा निर्धारित राज्य एजेंसियों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा और भरसक प्रयास से ही संभव हो पाया है । मैं इनका बहुत आभारी हूं ।

में इतने बड़े काम को संपन्न करने के लिए मुख्य परियोजना समन्वयक और उनके अधिकारियों की टीम को भी उनके सत्यनिष्ठा प्रयास के लिए आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपर कृषि विपणन सलाहकार डॉ. जी. आर. भाटिया का जिन्होंने इस रिपोर्ट को संपादित किया है, विशेष रूप से आभारी हूं।

और अंत में उन चुनिंदा किसान परिवारों का उनकी मदद और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं जिनके उत्साह, सहयोग और सर्वेक्षण के दौरान सकारात्मक प्रतिक्रिया के बिना यह परियोजना संभव ही नहीं हो पाती ।

भारत सरकार को इस रिपोर्ट में निहित किसी कथन के लिए उत्तरदायी न मानी जाए । फरीदाबाद

तारीख 7 दिसंबर 2004

हस्ताक्षर

(पी.के. अग्रवाल)

कृषि विपणन सलाहकार

भारत सरकार

(xix)

सार

1. प्रयोक्ता संगठनों की ओर से बार-बार की जा रही मांग को देखते हुए और अंतर

विभागीय परामर्श के बाद विपणन योग्य अधिशेष और कटाई पश्चात हानि का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए 47 कृषि पण्यों को चुना गया है।

- 2. इस सर्वेक्षण में 12 खाद्यान्नों, अर्थात धान, ज्वार, गेहूं, बाजरा, मक्की, जौं, रागी, अरहर मूंग, उडद, चने और मसूर को लिया गया है।
- 3. इस अध्याय का उददेश्य उत्पादक स्तर (राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों) पर विपणन योग्य अधिशेष और कटाई पश्चात हानि का अनुमान लगाने के लिए विश्वस्तरीय आंकड़े उपलब्ध कराना है।
- 4. इस सर्वेक्षण में तकनीकी समिति द्वारा भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा (अर्थात आई ए एस आर आई) नई दिल्ली के परामर्श से अनुमोदित कार्यप्रमाली के अनुसार 25 राज्यों से चुने गए 100 जिलों को लिया गया है । इन चुनिंदा 100 जिलों में से 1500 गांव चुने गए हैं । इन 1500 गांवों में से 711 गांव चने की खेती कर रहे है । दूसरे शब्दों में 47.4% गांव चने की फसल पैदा कर रहे हैं ।

(पैरा संख्या 2.2.1, 2.2.2)

(xx)

5. कुल 7451.66 हजार हेक्टेयर जमीन पर चने की खेती का अनुमान था । इसमें से औसत 3397.13 हजार हेक्टेयर जमीन अर्थात करीब 45.59% जमीन पर सिंचित फसल के रूप में खेती की जा रही हे

(पैरा सं. 4.1.1)

6. अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की 3449.11 हजार हेक्टेयर जमीन अर्थात 46.29% जमीन पर खेती की जाती है।

(पैरा सं. 4.2.1)

7. चने का 6687.68 हजार टन उत्पादन होने का अनुमान था जिसमें से चने को सिंचित फसल के रूप में योगदान 3623.71 हजार टन अर्थात 54.18% था । उत्पादन में अधिक पैदावार वाली किस्म का अनुमानित योगदान 3640.29 हजार टन अर्थात 54.43% था । इसके बाद चने की अधिक पैदावार वाली किस्मों को बढ़ावा देने की आवश्यकता को और अधिक महत्व दिया गया।

(पैरा 4.3.1, 4.4.1)

8. किसान परिवार की खपत की दृष्टि से चने की कुल अनुमानित मात्रा (किसान द्वारा खपत के लिए चना रखना और खरीदना) 1650.53 हजार टन थी जो अनुमानित उत्पादन का 24.68% थी।

(पैरा सं. 5.6.1)

- 9. किसान परिवार की कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रयोजनार्थ रखे जाने वाले चने की अनुमानित मात्रा और अनुमानित खरिद निम्न प्रकार है:-
  - 1) किसान परिवार की खपत के लिए 21.50%

(पैरा 5.2.1)

2) स्थायी मजदूरों और अस्थायी मजदूरों की - 2.68% खपत के लिए

(पैरा 5.3.1)

(xxi)

3) खपत के लिए अनुमानित खरीद - 0.50% (पैरा 5.5.1)

4) बीज के लिए - 6.88% (पैरा 5.7.1)

5) पश् चारे के लिए - 6.28% (पैरा 5.8.1)

6) नकद और वस्तु के रूप में स्थायी - 1.83% (पैरा 5.10.1)

मजद्रों को भुगतान के लिए

- 7) अन्य प्रयोजनों के भुगतान के लिए 4.15% (पैरा 6.11.3)
- 10. उत्पादक स्तर पर कटाई पश्चात कुल अनुमानित हानि (खेत से गहाई के स्थान तक ले जाने, गहाई और ओसाई, परिवहन और गोदाम) कुल उत्पादन की 3.74% थी । (पैरा 6.1.1)
  - 11. कुल विपणन योग्य अधिशेष चने की अनुमानित मात्रा 51.61% थी उत्पादक द्वारा सीधे उपभोक्ता को 9.11% सहकारी समिति को 6.46% चने की बिक्री की गई । कृषि समुदाय के लाभ के लिए चने के विपणन में अपनी भूमिका अदा करना सहकारी क्षेत्र के लिए गहन सोच का विषय है । उत्पादक द्वारा खरीददारों को सीधी बिक्री बढ़ाने के लिए तथा उपभोक्ता द्वारा खरी किए गए मूल्य में बेहतर हिस्सेदारी के लिए उचित होगा कि विपणन सुधारों के जरिए नए रास्ते खोले जाएं (पैरा 7.3) (R)

(xxii)

12. कुल बिक्री में से 69.35 प्रतिशत बिक्री गांव में की गई थी । इससे स्पष्ट है कि किसान परिवारों के हित में ग्रामीण स्तर पर आधारित संरचना और सुविधाओं की व्यवस्था करना आवश्यक है । शहरी विपणन केंन्द्रों (अत्यधिक विकसित) के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ग्रामीण विपणन केंद्रों के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(पैरा 7.5)

13. चने का अनुमानित विपणन योग्य अधिशेष 3451.50 हजार टन अथवा 51.61 प्रतिशत तथा किसान परिवार के लिए अपेक्षित चने की कुल मात्रा 3199.15 हजार टन या 47.84 प्रतिशत था

(पैरा 8.4)

14. प्रत्येक कृषक परिवार के सदस्यों की औसत संख्या 6.26 थी जबिक वर्तमान सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि प्रत्येक कृषक परिवार के सदस्यों की औसत संख्या 6.45% थी ।

#### अध्याय - 1

#### प्रस्तावना

- 1.1 विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी.एम.आई.) अपने स्थापना वर्ष 1935 से ही कृषि उत्पादों के विपणन पर सर्वेक्षण कर रहा है । इन सर्वेक्षणों के लिए अपनाई गई प्रणाली विभिन्न बाजारों में विपणन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े सर्वाधिक सुविज्ञ कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत पूछताछ पर आधारित थी । इसमें जहां सांख्यिकीय सूचना प्राप्त करना व्यवहार्य है या वहां इसमें प्रश्नावली भी शामिल की गई थी । उस अविध के दौरान देश में न तो इतने सांख्यिकीय विशेषज्ञ ही थे और न ही विभिन्न कृषि उत्पादों के विपणन के लिए देश के विभिन्न भागों में अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध थी ।
- 1.2 इन सर्वेक्षणों से विभिन्न कृषि उत्पादों की विपणन पद्धतियों के संबंध में मूल जानकारी उपलब्ध कराई गई । तथापि कृषि विकास की योजना वितरण कार्यक्रमों और कीमत निर्धारण नितियों के संबंध में खाद्यान्नों की विपणन योग्य अधिशेष और कटाई पश्चात हानि का सही अनुमान लगाने की आवश्यकता महसूस की गई । चूंकि डी एम आई द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर उपलब्ध आंकड़े पुराने हो गए थे । इसलिए चुनिंदा कृषि उत्पादों को "विपणन योग्य अधिशेष और कटाई पश्चात हानि" पर कई सर्वेक्षण किए गए । वर्ष 1972-73 में कृषि उत्पाद (धान) का सर्वेक्षण किया गया उसके बाद उत्तरवर्ती वर्षों के दौरान गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्की का सर्वेक्षण किया गया । इन सर्वेक्षणों में तत्समय उपलब्ध उन आधुनिक सांख्यिकीय तकनीक अपनाई गई । समय के साथसाथ ये आंकड़े भी बेकार हो गए । प्रयोक्ता संगठनों की ओर से बार-बार की जा रही मांग को देखते

हुए और अंतर विभागीय परामर्श के बाद 47 कृषि उत्पादों में से विपणन योग्य अधिशेष और कटाई पश्चात हानि के संबंध में सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित 12 खाद्यान्नों का चयन किया गया :-

<u>अनाज</u>	<u>दालें</u>
धान	अरहर
ज्वार	मूंग
गेहूं	उड़द
बाजरा	चना
मक्का	मसूर
जौ	
रागी	

#### 1.3 अध्ययन के उद्देश्य

इन अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य है:-

- खाद्यान्नों के अनुमानित विपणन योग्य अधिशेष के संबंध में आंकड़ों को संशोधित करना और
   उन्हें अद्यतन करना ।
- खपत, बीज, चारे और वस्तु के रूप में मजदूरों और अन्य भुगतान इत्यादि के लिए खाद्यान्न रखने
   संबंधी नवीनतम आंकड़े संकलित करना ।
- उत्पादक स्तर पर कटाई पश्चात हानि का अनुमान लगाना ।

इस अध्ययन का उददश्य, अनुमानित विपणन योग्य अधिशेष उत्पादक स्तर पर खपत के लिए चने रखने और कटाई पश्चात हानि के राज्य स्तर पर ही नहीं संपूर्ण देश के स्तर पर भी विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराना है।

#### अध्याय - II

#### प्रतिदर्श चयन डिजाइन और सर्वेक्षण में शामिल क्षेत्र

#### 2.1 प्रतिदर्श चयन डिजाइन

तकनिकी समिति ने इस सर्वेक्षण के लिए स्तिरय बहु-चरणबद्ध याद्दिछक प्रतिदर्श चयन डिजाइन की सिफारिश की है। जिलों का चयन खाद्यान्नों की सभी फसलों की समग्र उत्पादन प्रणाली पर आधारित था। तदनुसार जिलों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर 20% जिलों को लेकर उन्हें राज्यों में उनके आकार और उत्पादन के आधार पर आबंदन करने की बजाए प्रत्येक राज्य के कुल जिलों में से 20% जिलों का चयन किया गया, जैसा कि डी एम आई द्वारा पहले किया गया था, ताकि राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विपणन योग्य अधिशेष का विश्वसनीय अनुमान सुनिश्चित किया जा सके। प्रतिदर्श चयन डिजाइन के अंतर्गत :-

- (1) प्रत्येक राज्य में सर्वेक्षण के लिए कुल जिलों में से 20% जिलों का चयन किया गया ।
- (2) चयन किए गए प्रत्येक जिले में खाद्यान्नों की खेती के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के आधार पर तीनों स्तरों में वर्गीकृत करने के बाद 15 (पंद्रह) गांवों को चुना गया है।
- (3) चुने गए प्रत्येक गांव के किसान परिवारों को तीन श्रेणियों अर्थात छोटे,मध्यम, बड़े किसानों में वर्गीकृत करने के बाद 10 (दस) किसान परिवारों को चुना गया । तदनुसार अखिल भारतीय आधार पर चुने गए जिलों की कुल संख्या 100 (सौ),

सर्वेक्षण किए जाने वाले गांवों की कुल संख्या 1500 (100 X 15 गांव) और किसान परिवारों की कुल संख्या 15000 (1500 गांव x 10 किसान परिवार) थी जिनसे सर्वेक्षण की तीन वर्ष की अवधि के दौरान तिमाही आधार पर निर्धारित अनुसूचियों में आंकड़े एकत्र किए गए ।

#### 2.1.1 प्रतिचयन (प्रतिदर्श चयन) विधि

#### प्रतिदर्श जिलों का चयन

जैसा कि पहले बताया गया है तकनीकी सिमिति द्वारा निदेशक, आई ए एस आर आई, नई दिल्ली के परामर्श से अनुमोदित प्रतिचयन प्रक्रिया के अनुसार जिलों का चयन खाद्यानों की सिभी फसलों के संबंध में समग्र उत्पादन प्रणाली के आधार पर किया गया था । जिलों का चयन प्रत्येक राज्य के जिलों की कुल संख्या का 20% किया गया था । प्रत्येक राज्य में सिभी जिलों को तीन श्रेणियों अर्थात उच्च, मध्यम एवं निम्न उत्पादन में वर्गीकृत किया गया है । यह तीन वर्षों (1991-92, 1992-93 एवं 1993-94) तक के खाद्यान्न फसलों के वार्षिक उत्पादन पर आधारित हैं । खाद्यान्नों के वार्षिक उत्पादन पर आंकड़े राज्य के विभाग से प्राप्त किए गए थे । कुछ राज्यों एवं संघशासित राज्यों को

मिलाने के बाद प्रत्येक राज्य के कुल जिलों में से 20% जिलों का चयन किया गया था तािक प्रत्येक श्रेणी में से दो जिलों एवं कम से कम प्रत्येक राज्य से छह जिलों का चयन सुनिश्चित हो सके । चूंिक सभी राज्यों में जिलों की संख्या 2 से 63 के बीच है, (गोवा में 2 जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 63 जिले हैं) इसिलए उन राज्यों के संबंध में समस्या आती है, जहां 30 से कम जिले हैं।

1) राज्य, जिनमें 30 या इससे अधिक जिले हैं :-

बिहार (42), उत्तर प्रदेश (63), महाराष्ट्र (31) और मध्य प्रदेश (45)

- 2) राज्य, जिनमें 6 से अधिक किंतु 30 से कम जिले हैं :-
  - आंध्र प्रदेश (23), अरूणाचल प्रदेश (11), असम (23), गुजरात (14), हिरयाणा (16), हिमाचल प्रदेश (12), जम्मू और कश्मीर (14), कर्नाटक (20), केरल (14), मणिपुर (8), नागालैंड (7), उड़ीसा (13), पंजाब (12), राजस्थान (27), तामिलनाडु (22) और पश्चिम बंगाल (17)।
- 3) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनमें 6 या 6 से कम जिले हैं :-
  - गोवा (2), मेघालय (5), मिजोरम (3), सिक्किम (4), त्रिपुरा (3), अंडमान निकोबार द्वीप समूह (2), पांडेचरी (4), दमन व दीव (2), दिल्ली (1), चंडीगढ़ (1), लक्षद्वीप (2) और दादर नगर हवेली (1)।

अतः कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मिलाया गया, ताकि प्रत्येक श्रेणी से कम से कम दो जिलों का चयन सुनिश्चित किया जा सके । तदनुसार अखिल भारतीय आधार पर सर्वेक्षण के लिए 100 जिलों को चुना गया ।

इसमें यह भी शामिल है कि जिलों का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि इन चुनिंदा जिलों का खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में करीब 20% योगदान है।

#### 2.1.2 प्रतिदर्श गांवों का चयन

तकनीकी समिति की पहली बैठक में यह भी सुझाव दिया था कि जिलों का चयन करते समय यथासंभव राज्य के विभिन्न क्षेत्रों/कृषि जलवायवी क्षेत्रों (Agroelimatic zones)पर भी ध्यान दिया जाए । संयोगवश 100 चुनिंदा जिलों की सूची में 'पश्चिमी शुष्क क्षेत्र' और 'महाद्वीप क्षेत्र' को छोड़कर प्रायः सभी कृषि जलवायवी क्षेत्र शामिल किए गए ।

प्रत्येक चुनिंदा जिले में गांवों के उत्पादन के आधार पर तीन स्तरों अर्थात 'उच्च' 'मध्यम' और 'निम्न' में वर्गीकृत करने के बाद 15 (पंद्रह) गांवों का चयन किया गया । प्रत्येक गांव से खाद्यान्न उत्पादन संबंधी आंकड़े प्राप्त करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए तकनीकी समिति ने यह सिफारिश की कि ''खाद्यान्नों की खेती संबंधी कुल जोत क्षेत्र को गांवों के वर्गीकरण के लिए आधार माना जाए ।'' तदनुसार चुनिंदा जिले के सभी गांवों को खाद्यान्नों की खेती के अंतर्गत कुल सकल या निबल क्षेत्र के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके उन्हें तीन भागों में विभाजित किया

गया ताकि खाद्यान्नों की खेती के अंतर्गत आने वाले कुल जोत क्षेत्र का एक तिहाई भाग प्रत्येक भाग में शामिल हो । इस सूची के ऊपरी भाग में शामिल गांवों को उच्च उत्पादन स्तर में मध्यम भाग में शामिल गांवों को मध्यम उत्पादन स्तर और शेष भाग में शामिल गांवोंको निम्न उत्पादन स्तर में रखा गया । प्रत्येक स्तर से सरल याद्दिछक प्रतिचयन प्रणाली द्वारा सर्वेक्षण के लिए पांच गांव चुने गए।

#### 2.1.3 किसान परिवारों का चयन

प्रत्येक चुनिंदा गांवों से 10 (दस) किसान परिवार चुने गए । गांव के सभी किसान परिवारों की गांव के राजस्व रिकार्ड से सूची तैयार की गई । किसान परिवारों को खाद्यान्नों की खेती के अंतर्गत जोत क्षेत्र के अवरोही क्रम में रखा गया । प्रत्येक भाग में गांव में खाद्यान्नों की खेती के अंतर्गत आने वाले कुल जोत क्षेत्र का एक तिहाई भाग लिया गया । सूची के ऊपरी भाग में शामिल किसान परिवारों को बड़े, मध्यम भाग के किसान परिवारों को मध्यम और शेष किसान परिवारों को छोटे

किसानों की श्रेणी में रखा गया । छोटे किसानों की श्रेणी से चार किसान परिवारों और अन्य मध्यम व बड़े किसानों की श्रेणी से तीन-तीन किसान परिवारों को सरल याद्दिछक प्रतिचयन प्रणाली द्वारा चुना गया ।

### 2.2 सर्वेक्षण कार्य क्षेत्र

2.2.1 सर्वेक्षण में तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली के अनुसार 25 राज्यों से

100 जिले लिए गए । सर्वेक्षण की अविध के दौरान चने उगाने वाले प्रतिगांव का राज्यवार

श्रेणीवार बंटन नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

लिका संख्या 1

चना उगाने वाले गांवों का बंटन

(वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 के आंकड़ों पर आधारित)

क्र.	राज्य	प्रतिदर्श	चना उगाने	चना उगाने वाले किसान परिवारों की			
सं.		गांवों की	वाले गांवों	संख्या			
		संख्या	की संख्या	श्रेणी			
				छोटे	मध्यम	बड़े	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	75	25	61	42	42	145
2.	अरूणाचल प्रदेश	30	0	0	0	0	0
3.	असम	75	0	0	0	0	0
4.	बिहार	165	91	201	154	154	509
5.	गोवा	15	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	60	37	82	61	60	203

7.	हरियाणा	45	21	53	42	40	135
8.	हिमाचल प्रदेश	45	24	48	38	37	123
9.	जम्म्-कश्मीर	45	36	76	57	51	184
10.	कर्नाटक	60	35	81	64	61	206
11	केरल	45	0	0	0	0	0
12	मध्य प्रदेश	135	81	221	157	148	526
13	महाराष्ट्र	90	44	102	64	59	225
14	मणिपुर	15	0	0	0	0	0
15	मेघालय	15	0	0	0	0	0
16	मिजोरम	15	0	0	0	0	0
17	नागालैंड	15	0	0	0	0	0
18	<u>उ</u> ड़ीसा	90	74	148	101	107	356
19	पंजाब <u>पं</u> जाब	45	27	66	57	57	180
20	राजस्थान	90	90	241	164	155	560
21	सिक्किम	15	0	0	0	0	0
22	तामिलनाडु	75	22	49	38	34	121
23	त्रिपुरा	15	0	0	0	0	0
24	उत्तर प्रदेश	180	81	211	153	147	511
25	पश्चिम बंगाल	45	23	63	48	42	153
	संपूर्ण भारत	1500	711	1703	1240	1194	4137

2.2.2 यह देखा गया है कि सर्वेक्षण के लिए चुने गए 1500 गांवों में से 711 गांव में चना उगाया जा रहा था । दूसरे शब्दों में चुनिंदा गांवों में से 47.4% चना उगाने वाले गांव थे 12.2.3 जोत के अंतर्गत औसत क्षेत्र चने की खेती के अंतर्गत औसत क्षेत्र और उसकी प्रतिशतता तालिका 2 में दी गई है।

## तालिका संख्या 2 प्रतिदर्श गांवों में चने की खेती के अंतर्गत औसत क्षेत्र और उसकी प्रतिशतता (औसत वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के आंकड़ों पर आधारित)

(हेक्टेयर में)

क्र.	राज्य	प्रतिदर्श	जोत के अंतर्गत	चने की खेती के अंतर्गत औसत क्षेत्र	
सं.		गांवों की	औसत क्षेत्र	क्षेत्र	कॉलम ४ की प्रतिशतता
		संख्या			के रूप में कॉलम 5
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	75.00	544.79	2.08	0.38
2.	अरूणाचल प्रदेश	30.00	198.80	0.00	0.00
3.	असम	75.00	145.86	0.00	0.00
4.	बिहार	165.00	270.22	9.64	3.57
5.	गोवा	15.00	163.42	0.00	0.00
6.	गुजरात	60.00	471.74	18.41	3.90
7.	हरियाणा	45.00	841.15	47.59	5.66
8.	हिमाचल प्रदेश	45.00	106.15	0.22	0.21
9.	जम्मू-कश्मीर	45.00	337.52	3.83	1.13
10	कर्नाटक	60.00	492.72	38.23	7.76
11	केरल	45.00	998.56	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	135.00	357.42	96.44	26.98
13	महाराष्ट्र	90.00	474.03	22.82	4.81
14	मणिपुर	15.00	282.67	0.00	0.00

15	मेघालय	15.00	69.80	0.00	0.00
16	मिजोरम	15.00	141.09	0.00	0.00
17	नागालैंड	15.00	318.20	0.00	0.00
18	उड़ीसा	90.00	190.49	1.78	0.93
19	पंजाब	45.00	1065.79	1.50	0.14
20	राजस्थान	90.00	483.29	28.64	5.93
21	सिक्किम	15.00	116.51	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	75.00	323.54	3.85	1.19
23	त्रिपुरा	15.00	339.51	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	180.00	215.97	13.92	6.45
25	पश्चिम बंगाल	45.00	495.86	2.37	0.48
	संपूर्ण भारत	1500.00	379.60	18.83	4.98

यह देखा गया है कि चुनिंदा गांवों में चने उगाने का औसत क्षेत्र 379.60 हेक्टेयर था। चने उगाने वाले प्रमुख राज्यों के अंतर्गत चुनिंदा गांवों में चने की खेती का औसत क्षेत्र मध्य प्रदेश में 96.44 हेक्टेयर, हरियाणा में 47.59 हेक्टेयर, कर्नाटक में 38.23 हेक्टेयर, राजस्थान में 28.64 हेक्टेयर, गुजरात में 18.41 हेक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में 13.92 हेक्टेयर था।

## अध्याय – III

### अनुमान लगाने की प्रक्रिया

#### मान

Ι

- h पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के औसत वार्षिक उत्पादन के आधार पर जिला समूहों के h स्तर अर्थात उच्च, मध्यम और निम्न को बतलाता है।
- I h जिला समूहों से चुने गए I जिलों को बतलाता है ।
- H खाद्यान्नों की खेती के अंतर्गत कुल जोत क्षेत्र के आधार पर समूहों के h स्तर पर अर्थात उच्च, मध्यम और निम्न को बतलाता है।
- J h जिला समूहों से चुने गए I जिले के h गांव समूह से चुने गए j गांव को बतलाता है

K गांव में खाद्यान्नों की खेती के अंतर्गत जोत क्षेत्र के आधार पर किसानों की K श्रेणी अर्थात 'बडे', 'मध्यम' और 'छोटे' को बतलाता है ।

I h जिला समूहों से चुने गए जिले के h गांव समूह से चुने गए J गांव की K श्रेणी से चुने गए किसान को बतलाता है I

Yhih'jkl = (hihjkl) किसान का अध्ययन Y में पूर्णांश का मान ।

Xhih'jkl = (hihjkl) किसान का फसल के अंतर्गत जोत क्षेत्र ।

mhihjk = किसान की (hihjkl) श्रेणी में चुने गए किसानों की संख्या ।

Mhihjk = किसान की (hihjk) श्रेणी में किसानों की कुल संख्या ।

Vhih = गांव समूह (hih) से चुने गए गांवों की संख्या ।

Vhih = गांव समूह (hih) से गांवों की संख्या ।

nh = h जिला समूह से चुने गए जिलों की संख्या।

Nh = h जिला समूहों में जिलों की संख्या।

Xh = h जिला समूह में फसल के अंतर्गत कुल जोत क्षेत्र ।

K श्रेणी के किसान के लिए कुल अनुमान ।

#### अध्याय - IV

### चने की खेती के अंतर्गत जोत क्षेत्र और चने का उत्पादन

#### 4.1 चने की खेती के अंतर्गत जोत क्षेत्र : सिंचित और असिंचित

4.1.1 वर्ष 1996-97 और 1998-99 के दौरान चने की खेती के अंतर्गत राज्यवार अनुमानित वार्षिक औसत क्षेत्र – सिंचित और असिंचित तथा किसानों की श्रेणी का ब्यौरा अनुलग्नक I में दिया गया है । इसका पूर्णसार निम्नलिखित तालिका में दिया गया है ।

तालिका संख्या 3
सिंचित, असिंचित और चने की कुल खेती के अंतर्गत जोत क्षेत्र (श्रेणीवार)
(वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 का औसत)

(000 हेक्टेयर)

श्रेणी	चने की खेती के अंतर्गत दर्शाए गए क्षेत्र				
	सिंचित	असिंचित	कुल		
1	2	3	4		
छोटे	1366.54 (44.41)	1710.77 (55.59)	3077.31 (100.00)		
	(40.23)	(42.19)	(41.30)		
मध्यम	1012.98 (47.34)	1126.63 (52.66)	2139.61 (100.00)		
	(29.82)	(27.79)	(28.71)		
बड़े	1017.61 (45.54)	1217.13 (54.46)	2234.74 (100.00)		
	(29.95)	(30.02)	(29.99)		
कुल	3397.13 (45.59)	4054.53 (54.41)	7451.66 (100.00)		
	(100.00)	(100.00)	(100.00)		

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कॉलम/पंक्ति के जोड़ की प्रतिशतता है)

4.1.2 यह देखा गया कि देश में चने की खेती के अंतर्गत कुल 7451.66 हजार हेक्टेयर अनुमानित क्षेत्र में छोटे किसानों का 3077.31 हजार हेक्टेयर अर्थात 41.30प्रतिशत, मध्यम श्रेणी के किसानों का 2139.61हजार हेक्टेयर अर्थात 28.71 प्रतिशत और बड़े किसानों का 2239.74 हजार हेक्टेयर अर्थात 29.99 प्रतिशत योगदान है ।

4.1.3 श्रेणीवार विश्लेषण से पता चलता है कि सिंचित क्षेत्र में छोटे किसानों का 44.41 प्रतिशत, मध्यम श्रेणी के किसानों का 47.34 प्रतिशत और बड़े किसानों का 45.54 प्रतिशत योगदान था। यह देखा गया है कि सिंचाई व्यवस्था का अब भी प्रयोग किया जा रहा है।

तालिका संख्या 4 चने की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र (सिंचित/असिंचित) का राज्यवार ब्यौरा 1996-97, 97-98 एवं 98-99 का औसत वर्ष

(000 हेक्टेयर)

		सभी श्रेणियाँ							
क्र. सं.	राज्य का नाम	सिंचित		असिं	असिंचित		कुल क्षेत्र		
•		क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	आंध्र प्रदेश	68.72	2.02	51.58	1.27	120.30	1.61		
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.	बिहार	24.78	0.73	98.72	2.44	123.50	1.66		
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.	गुजरात	63.06	1.86	62.60	1.55	125.66	1.69		
7.	हरियाणा	78.28	2.30	267.22	6.59	345.50	4.64		
8.	हिमाचल प्रदेश	1.56	0.05	2.09	0.05	3.65	0.05		
9.	जम्मू-कश्मीर	0.02	0.01	0.45	0.01	0.47	0.01		
10.	कर्नाटक	43.28	1.27	259.23	6.39	302.51	4.06		
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	मध्य प्रदेश	1269.11	37.36	1276.39	31.48	2545.50	34.16		
13	महाराष्ट्र	622.57	18.33	106.93	2.64	729.50	9.79		
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	0.00	0.00	36.99	0.91	36.99	0.50
19	पंजाब	16.48	0.49	0.00	0.00	16.48	0.22
20	राजस्थान	972.95	28.63	1238.05	30.54	2211.00	29.66
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	6.00	0.18	0.00	0.00	6.00	0.08
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	223.00	6.56	640.00	15.78	863.00	11.58
25	पश्चिम बंगाल	7.32	0.22	14.28	0.35	21.60	0.29
	संपूर्ण भारत	3397.13	100.00	4054.53	100.00	7451.66	100.00

- 4.1.4 यह देखा गया कि चने की खेती के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में (34.16% हजार हेक्टेयर) इसके बाद राजस्थान (29.66%), उत्तर प्रदेश में (11.58%) महाराष्ट्र (9.79%), हरियाणा(4.64%), कर्नाटक (4.06%), गुजरात(1.69%), बिहार(1.66%) एवं आंध्र प्रदेश (1.61%) आदि का नंबर आता है । आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और तामिलनाडु जैसे राज्यों में मुख्यतः चने को सिंचित फसल के रूप में उगाया जाता है ।
- 4.2 चने की खेती के अधीन क्षेत्र अधिक पैदावार देने वाली किस्में एवं परंपरागत किस्में
- 4.2.1 अधिक पैदावार देने वाली किस्मों और परंपरागत किस्मों के चने की खेती के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्र के बारे में अनुलग्नक II और तालिका संख्या 5 में संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

तालिका संख्या 5
चने की खेती के अधिन क्षेत्र : अधिक पैदावार देने वाली किस्में (एच वाई वी) एवं
परंपरागत किसमें (टी वी) (वर्ष 1996-97/1997-98/1998-99 के औसत)

(000 हेक्टेयर)

श्रेणी	अर	क्षेत्र		
	एच वाई वी	टी वी	कुल	
1	2	3	4	
छोटे	1377.87 (44.77)	1699.44 (55.23)	3077.31 (100.00)	
	(39.95)	(42.46)	(41.30)	
मध्यम	1017.77 (47.57)	1121.84 (52.43)	2139.61 (100.00)	
	(29.51)	(28.03)	(28.71)	
बड़े	1053.47 (47.14)	1181.27 (52.86)	2234.74 (100.00)	
	(30.54)	(29.51)	(29.99)	
कुल	3449.11 (46.29)	4002.55 (53.71)	7451.66 (100.00)	
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कॉलम/पंक्ति के जोड़ की प्रतिशतता है)

- 4.2.2 यह देखा गया है कि अधिक पैदावार देने वाली किस्म के चने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र 3449.11 हजार हेक्टेयर अर्थात चने की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र का 46.29% था । परंपरागत किस्म के चने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र 4002.55 हजार हेक्टेयर अर्थात 53.71 प्रतिशत था ।
- 4.2.3 अधिक पैदावार देने वाली किस्मों और परंपरागत किस्मों के चने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र का राज्यवार बंटन तालिका संख्या 6 में दिया गया है।

तालिका 6 अधिक पैदावार देने वाली किस्मों (एच वाई वी) और परंपरागत किस्मों (टीवी) के चने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र का राज्यवार बंटन (वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

(००० हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य का नाम		ਹ	ने की खेती	के अंतर्गत क्ष	नेत्र	
		एच वाई व	गी	टी व	गी	कुल	क्षेत्र
		क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	67.98	1.97	52.32	1.31	120.30	1.61
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	24.50	0.71	99.00	2.47	123.50	1.66
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	62.33	1.81	63.33	1.58	125.66	1.69
7.	हरियाणा	77.50	2.25	268.00	6.70	345.50	4.64
8.	हिमाचल प्रदेश	1.45	0.04	2.20	0.05	3.65	0.05
9.	जम्मू-कश्मीर	0.03	0.01	0.44	0.01	0.47	0.01
10.	कर्नाटक	62.65	1.82	239.86	5.99	302.51	4.06
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	1268.00	36.75	1277.50	31.92	2545.50	34.15
13	महाराष्ट्र	622.50	18.05	107.00	2.67	729.50	9.79
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	<b>उ</b> ड़ीसा	23.09	0.67	13.90	0.35	36.99	0.50
19	पंजाब	16.48	0.48	0.00	0.00	16.48	0.22
20	राजस्थान	972.00	28.18	1239.00	30.96	2211.00	29.67
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	6.00	0.17	0.00	0.00	6.00	0.08
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	223.00	6.47	640.00	15.99	863.00	11.58
25	पश्चिम बंगाल	21.60	0.63	0.00	0.00	21.60	0.29
संपूर्ण	भारत	3449.11	100.00	4002.55	100.00	7451.66	100.00

4.2.4 अखिल भारतीय आधार पर अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के चने की खेती के अंतर्गत जोत क्षेत्र करीब 46.29 प्रतिशत था और परंपरागत किस्मों के चने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र करीब 5.3.71 प्रतिशत था । हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में असिंचित क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाए गए कुल क्षेत्र की अपेक्षाकृत परंपरागत किस्मों के तहत 90 प्रतिशत अधिक होता है ।

#### 4.3 सिंचित/असिंचित क्षेत्र में चने का उत्पादन

4.3.1 सिंचित और असिंचित फसल के रूप में चने का अनुमानित उत्पादन अनुलग्नक – III में और उसका सार तालिका सं. 7 में दिया गया है।

तालिका संख्या 7
सिंचित और असिंचित क्षेत्र में चने का अनुमानित उत्पादन
(वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

(००० हेक्टेयर)

श्रेणी		<b>उत्पाद</b> न	
	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4
छोटे	1371.05 (52.53)	1238.76 (47.47 )	2609.81 (100.00)
	(37.84)	(40.43)	(39.02)
मध्यम	1095.57 (56.01)	860.46 (43.99)	1956.03 (100.00)
	(30.23)	(28.08)	(29.25)
बड़े	1157.09 (54.53)	964.75 (45.47)	2121.84 (100.00)
	(31.93)	(31.49)	(31.73)
संपूर्ण भारत	3623.71 (54.18)	3063.97 (45.82)	6687.68 (100.00)
	(100.00)	(100.00)	(100.00)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कॉलम/पंक्ति के जोड़ की प्रतिशतता है)

4.3.2 तालिका 7 में दिए गए विवरण से पता चलता है कि कुल 6687.68 हजार मीटरी टन अनुमानित उत्पादन में छोटे किसानों का 2609.81 हजार मीटरी टन अर्थात 39.02% योगदान है । इसमें से 3623.71 हजार मीटरी टन अर्थात 54.18% उत्पादन सिंचित फसल से हुआ है । इसी तरह मध्यम श्रेणी के किसानों ओर बड़े किसानों का उत्पादन में क्रमशः 29.25 % और 36.73% योगदान है ।

4.3.3 अनुमानित उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा तालिका संख्या 8 में दिया गया है।

#### तालिका संख्या 8

#### सिंचित/असिंचित क्षेत्र में चने उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा

(वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

(000 हेक्टेयर)

क्र.	राज्य का नाम			उत्प	ादन		
सं.		सिंचित	Ŧ	असिंचित	Ŧ	कुल	क्षेत्र
		उत्पादन	%	उत्पादन	%	उत्पादन	%
		क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	68.35	1.89	34.93	1.14	103.28	1.54
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	29.25	0.81	64.81	2.12	94.06	1.41
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	58.61	1.62	33.06	1.08	91.67	1.37
7.	हरियाणा	101.60	2.80	246.38	8.04	347.98	5.20
8.	हिमाचल प्रदेश	0.18	0.004	3.52	0.11	3.70	0.06
9.	जम्मू-कश्मीर	0.01	Negl.	0.35	0.01	0.36	0.01
10.	कर्नाटक	34.43	0.95	115.17	3.76	149.60	2.24
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	1711.14	47.22	1122.48	36.63	2833.62	42.37
13	महाराष्ट्र	243.41	6.71	29.78	0.97	273.19	4.09
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	<b>उ</b> ड़ीसा	0.00	0.00	24.05	0.79	24.05	0.36
19	पंजाब	16.89	0.47	0.00	0.00	16.89	0.25
20	राजस्थान	1044.57	28.83	844.21	27.55	1888.78	28.24
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	2.26	0.06	2.06	0.07	4.32	0.06
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24	उत्तर प्रदेश	313.01	8.64	529.05	17.27	842.06	12.59
25	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	14.12	0.46	14.12	0.21
	संपूर्ण भारत	3623.71	100.00	3063.97	100.00	6687.68	100.00

4.3.4 चना उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश (42.37%), राजस्थान (28.24%), उत्तर प्रदेश (12.59%), हरियाणा (5.20%), महाराष्ट्र (4.09%), कर्नाटक (2.24%), आंध्र प्रदेश (1.54%), बिहार (1.41%) एवं गुजरात (1.37%) है । यह पाया गया है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सिंचित फसल की अपेक्षाकृत सिंचाई के तहत उत्पादन का 90% से अधिक होता है

#### 4.4 अधिक पैदावार देने वाली किस्मों और परंपरागत किस्मों से चने का उत्पादन

4.4.1 अधिक पैदावार देने वाली किस्मों और परंपरागत किस्मों से चने का अनुमानित उत्पादन अनुलग्नक IV में और उनका उनका सार तालिका सं. 9 में दिया गया है।

तालिका संख्या 9 अधिक पैदावार देने वाली किस्मों और से चने का उत्पादन (वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

(000 ਟਜ)

क्र.	श्रेणी	<u> उत्पादन</u>				
सं		एच.वाई.वी.	टी.वी.	कुल		
1	2	3	4	5		
1	छोटे	1353.73 (51.87)	1256.08 (48.13)	2609.81 (100.00)		
		(37.19)	(41.22)	(39.02)		
2	मध्यम	1106.58 (56.57)	849.45 (43.43)	1956.03 (100.00)		
		(30.40)	(27.87)	(29.25)		
3	बड़े	1179.98 (55.61)	941.86 (44.39)	2121.84 (100.00)		
		(32.41)	(30.91)	(31.73)		
	सभी श्रेणीयों का जोड़	3640.29 (54.43)	3047.39 (45.57)	6687.68 (100.00)		
		(100.00)	(100.00)	(100.00)		

(कोष्ठकों मे दिए गए आंकड़े कॉलम/पंक्ति के जोड़ की प्रतिशतता)

4.4.2 जैसा कि पहले बताया गया है छोटे किसानों का योगदान 39.02% और उत्पादन में शेष योगदान अन्य श्रेणियों के किसानों का था। यह भी देखने में आया कि एच आई वी का उत्पादन छोटे किसानों के संबंध में करीब 51.87 प्रतिशत, मध्यम श्रेणी के किसानों के संबंध में 56.57 प्रतिशत और बड़े किसानों के संबंध में 55.61% थी। यह इस बात का सूचक है कि छोटे किसान अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का प्रयोग करने जैसे आधुनिक तकनिकों को अपनाने में भी पीछे नहीं थे।

4.4.3 अधिक पैदावार देने वाली किस्मों और परंपरागत किस्मों से चने के अनुमानित उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा तालिका सं. 10 में दिया गया है ।

तालिका सं. 10

## अधिक पैदावार देने वाली किस्मों (एच वाई वी) और परंपरागत किस्मों (टी वी) से चने

#### के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा

(वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

(000 ਟਜ)

क्र.	श्रेणी			उत्पाद	 ਰ		
सं		एच.वाई.वी.		टी.वी	T.	कुल	त्र
		क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	66.57	1.83	36.71	1.20	103.28	1.54
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	26.01	0.71	68.05	2.23	94.06	1.41
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	64.80	1.78	26.87	0.88	91.67	1.37
7.	हरियाणा	97.09	2.67	250.89	8.23	347.98	5.20
8.	हिमाचल प्रदेश	1.80	0.05	1.90	0.06	3.70	0.06
9.	जम्मू-कश्मीर	0.03	0.00	0.33	0.01	0.36	0.01
10.	कर्नाटक	38.37	1.05	111.23	3.66	149.60	2.24
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	1667.59	45.81	1166.03	38.27	2833.62	42.38
13	महाराष्ट्र	251.41	6.91	21.78	0.71	273.19	4.09
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	17.66	0.49	6.39	0.21	24.05	0.36
19	पंजाब	16.89	0.46	0.00	0.00	16.89	0.25
20	राजस्थान	1054.05	28.95	834.73	27.39	1888.78	28.24
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	4.32	0.12	0.00	0.00	4.32	0.06
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24	उत्तर प्रदेश	319.58	8.78	522.48	17.15	842.06	12.59
25	पश्चिम बंगाल	14.12	0.39	0.00	0.00	14.12	0.21
	संपूर्ण भारत	3640.29	100.00	3047.39	100.00	6687.68	100.00

4.4.4 अधिक पैदावार देने वाली चने की किस्मों के अंतर्गत कुल उतपादन का 3640.29 हजार टन में से आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की सहभागिता 90 प्रतिशत से अधिक थी ।

#### अध्याय - V

#### किसान परिवार द्वारा चने रखने का प्रयोजन

- 5.1 चना निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए रखा जाता है :-
- (i) किसान परिवार की खपत
- (ii) खेत पर काम करने वाली स्थायी और अस्थायी मजदूरों द्वारा खपत
- (iii) बीज के लिए
- (iv) पशु चारे के लिए
- (v) वस्तुविनियम (अब करीब करीब यह प्रथा समाप्त हो गई है) और
- (vi) विभिन्न प्रयोजनों के लिए वस्तु और नकद भुगतान

#### 5.2 किसान परिवार की खपत के लिए रखना

5.2.1 किसान परिवार की खपत के लिए रखे गए चने की कुल अनुमानित मात्रा 1438.17 हजार मीटरी टन थी जो कुल उत्पादन की 21.50 प्रतिशत थी। किसान परिवार की घरेलू खपत के लिए रखे गए चने की अनुमानित मात्रा वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 के दौरान औसत के रूप में राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक V और इसका सार नीचे तालिका संख्या 11 में दिया गया है:-

तालिका संख्या 11

## अखिल भारतीय आधार पर किसान परिवार द्वारा खपत के लिए चने रखना

(1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

(000 टन)

क्र. सं.	श्रेणी	कुल उत्पादन	रखी गई मात्रा	उत्पादन का प्रतिशत
1.	छोटे	2609.81	583.00	22.34
2.	मध्यम	1956.03	476.84	24.38
3.	बड़े	2121.84	378.33	17.83
सभी १	भ्रेणीयों का योगदान 	6687.68	1438.17	21.50

5.2.2 किसान परिवार द्वारा खपत के लिए रखे चने की कुल मात्रा का राज्यवार ब्यौरा, तालिका संख्या 12 में दिया गया है ।

### तालिका संख्या 12 किसान परिवार (सभी श्रेणियों द्वारा) खपत के लिए रखे गए चने का राज्यवार ब्यौरा (वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

(000 ਟਜ)

क्र.सं.	राज्य	कुल उत्पादन	रखी गई मात्रा	कुल उत्पादन का
				रखा गया प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	103.28	16.54	16.01
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	94.06	22.54	23.96
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	91.67	19.03	20.76
7.	हरियाणा	347.98	73.73	21.19
8.	हिमाचल प्रदेश	3.70	3.17	85.68
9.	जम्मू-कश्मीर	0.36	0.25	69.44
10.	कर्नाटक	149.60	14.25	9.53
11	केरल	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	2833.62	623.17	21.99

13	महाराष्ट्र	273.19	85.24	31.20
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
18	<b>उ</b> ड़ीसा	24.05	16.33	67.90
19	पंजाब	16.89	6.42	38.01
20	राजस्थान	1888.78	356.30	18.86
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	4.32	0.42	9.72
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	842.06	198.55	23.58
25	पश्चिम बंगाल	14.12	2.23	15.79
	संपूर्ण भारत	6687.68	1438.17	21.50

यह देखा गया कि किसान परिवार द्वारा खपत के लिए रखे गए चने की मात्रा सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश (85.68%) में उसके बाद जम्मू एवं कश्मीर (69.44%), उड़ीसा (67.90%), महाराष्ट्र (31.20%) इत्यादि में थी ।

## 5.3 स्थायी मजदूरों और अस्थायी मजदूरों की खपत के लिए चने रखना।

5.3.1 किसान परिवार द्वारा खेती पर काम करने वाले स्थायी और अस्थायी मजदूरों द्वारा खपत के लिए रखे गए चने की अनुमानित मात्रा का राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक VI और VII में दिया गया है । श्रेणीवार ब्यौरे सिहत संपूर्ण सार तालिका संख्या 13 में दिया गया है।

तालिका संख्या 13 किसान परिवार द्वारा खेत में कार्यरत स्थायी और अस्थायी मजदूरों की खपत के लिए चने रखना ।

(वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

(000 ਟਜ)

क्र.	<b>&gt;</b>	कुल	खपत के लिए रखी गई मात्रा			त्रा
सं.	श्रेणी	उत्पादन	स्थायी	श्रमिक	अस्थायी श्रमिक	
			मात्रा	%	मात्रा	%
1	छोटे	2609.81	72.86	2.79	0.00	0.00
2	मध्यम	1956.03	47.63	2.44	1.51	0.08
3	बड़े	2121.84	54.63	2.57	2.48	0.12
	संपूर्ण भारत	6687.68	175.12	2.62	3.99	0.06

स्थायी और अस्थायी मजदूरों के खाने के लिए (खपत) रखे गए चने की अनुमानित मात्रा उत्पादन की क्रमश: 2.62 प्रतिशत और 0.06 प्रतिशत थी ।

5.3.2 सभी श्रेणियों के किसानों द्वारा खेत में कार्यरत स्थायी मजदूरों और अस्थायी मजदूरों के लिए रखे गए चने की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक VI और VII में और इसका सार तालिका संख्या 14 में दिया गया है।

तालिका 14 सभी श्रेणियों के किसान परिवारों द्वारा खेत में काम करनेवाले स्थायी मजदूरों और अस्थायी मजदूरों के लिए रखे गए चने की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा (वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

(000 ਟਜ)

								(00
			खपत	खपत के लिए रखी गई मात्रा			]	
क्र. सं.	राज्य	कुल उत्पादन	स्थायी	मजदूर	अस्थायी	मजदूर	कुल	
			मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%
1.	आंध्र प्रदेश	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	94.06	1.22	1.30	0.06	0.06	1.28	1.36
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	91.67	1.55	1.69	0.07	0.08	1.63	1.78
7.	हरियाणा	347.98	5.10	1.47	0.00	0.00	5.10	1.47
8.	हिमाचल प्रदेश	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू-कश्मीर	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	2833.62	87.47	3.09	1.70	0.06	89.17	3.15
13	महाराष्ट्र	273.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पंजाब	16.89	0.24	1.42	0.00	0.00	0.24	1.42
20	राजस्थान	1888.78	58.81	3.11	0.98	0.05	59.79	3.17
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	842.06	20.73	2.46	1.18	0.14	21.91	2.60
25	पश्चिम बंगाल	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण भारत	6687.68	175.12	2.62	3.99	0.06	179.11	2.68

यह देखने में आया है कि स्थायी मजदूरों और अस्थायी मजदूरों के लिए रखी गई मात्रा राजस्थान (3.17%) में सबसे अधिक थी।

- 5.4 फार्म स्तर पर खपत के लिए रखे गए चने की कुल मात्रा (किसान परिवार की खपत और खेत पर काम में लगे स्थायी और अस्थायी मजदूरों द्वारा खपत)
- 5.4.1 फार्म स्तर पर खपत के लिए रखे गए चने की कुल अनुमानित मात्रा का राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा अनुलग्नक VIII में दिया गया है । इसका श्रेणीवार ब्यौरा सहित संपूर्ण सार तालिका संख्या 15 में दिया गया है ।

तालिका संख्या 15 फार्म स्तर पर खपत के लिए रखे गए चने की कुल मात्रा

(000 टन)

क्र.	श्रेणी	कुल उत्पादन	फार्म स्तर पर खपत के	कुल उत्पादन
सं.			लिए रखी गई कुल मात्रा	की प्रतिशतता
1	छोटे	2609.81	655.86	25.13
2	मध्यम	1956.03	525.98	26.89
3	बड़े	2121.84	435.52	20.52
	संपूर्ण भारत	6687.68	1617.28	24.18

अखिल भारतीय आधार पर फार्म स्तर पर खपत के लिए रखे गए चने की कुल अनुमानित मात्रा 24.18 प्रतिशत थी ।

5.4.2 फार्म स्तर पर खपत के लिए सभी श्रेणियों के किसानों द्वारा रखे गए चने की कुल मात्रा का राज्यवार ब्यौरा तालिका संख्या 16 में दिया गया है।

तालिका संख्या 16 फार्म स्तर पर खपत के लिए रखे गए चने की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा (वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

(000 ਟਜ)

क्र.	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	फार्म स्तर पर	कुल उत्पादन से
सं.			खपत के लिए	प्रतिशतता
			रखी गई मात्रा	
1.	आंध्र प्रदेश	103.28	16.54	16.01
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	94.06	23.82	25.32
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	91.67	20.65	22.53
7.	हरियाणा	347.98	78.83	22.65
8.	हिमाचल प्रदेश	3.70	3.17	85.68
9.	जम्मू-कश्मीर	0.36	0.25	69.44
10.	कर्नाटक	149.60	14.25	9.53
11	केरल	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	2833.62	712.34	25.14
13	महाराष्ट्र	273.19	85.24	31.20
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
18	<u> इ</u> ड़ीसा	24.05	16.33	67.90
19	पंजाब	16.89	6.66	39.43
20	राजस्थान	1888.78	416.09	22.03
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	4.32	0.42	9.72
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	842.06	220.46	26.18
25	पश्चिम बंगाल	14.12	2.23	15.79
	संपूर्ण भारत	6687.68	1617.28	24.18

हिमाचल प्रदेश में, फार्म स्तर पर खपत के लिए रखे गए चने की मात्रा 85.68 प्रतिशत थी जो कि देश में सबसे अधिक थी । कर्नाटक में सबसे कम मात्रा 9.53 प्रतिशत रखे जाने की रिपोर्ट मिली थी । राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:-

25 % तक	25% से 50% तक	50% और उससे अधिक
कर्नाटक (9.53)	मध्य प्रदेश (25.14)	उड़ीसा (67.90)
तमिलनाडु (9.72)	बिहार (25.32)	जम्मू और कश्मीर (69.44)
पश्चिमबंगाल (15.79)	उत्तर प्रदेश (26.18)	हिमाचल प्रदेश (85.68)
आंध्र प्रदेश (16.01)	महाराष्ट्र (31.20)	
राजस्थान (22.03)	पंजाब (39.43)	
गुजरात (22.53)		
हरियाणा (22.65)		

#### 5.5 घरेलू खपत के लिए चने की खरीद

5.5.1 किसान परिवार द्वारा चने को दो अथवा इससे अधिक कारणों से खरीदा जाता है या तो उत्पादन पर्याप्त न हो या फिर धन की जरूरत होने पर कृषि उत्पाद कटाई के तुरंत बाद बेच दिया गया हो । किसान को अपने घरेलू जरूरत को पूरा करने के बाद में नया खाद्यान्न खरीदना पड़ता है । यह किसान परिवार के लिए खपत के लिए रखे जाने वाली चने की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण घटक है । घरेलू खपत के लिए चने की अनुमानित खरीद का राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा अनुलग्नक IX में दिया गया है । श्रेणीवार ब्यौरे सहित संपूर्ण सार नीचे तालिका संख्या 17 में दिया गया है ।

#### तालिका संख्या 17

#### परिवारिक खपत के लिए चने की खरीद

(वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

(000 ਟਜ)

क्र.	श्रेणी	कुल उत्पादन	खपत के लिए	कुल उत्पादन से
सं.			खरीदी गई मात्रा	प्रतिशतता
1	छोटे	2609.81	12.67	0.49
2	मध्यम	1956.03	10.68	0.55
3	बड़े	2121.84	9.90	0.47
सभी	श्रेणियों का जोड़	6687.68	33.25	0.50

स्पष्ट है कि छोटे किसानों को मध्यम श्रेणी के किसानों और बड़े किसानों की तुलना में चने की अधिक मात्रा (12.67 हजार टन ) खरीदनी पड़ी ।

5.5.2 सभी श्रेणियों के किसान परिवारों द्वारा खपत के लिए चने की कुल खरीद का राज्यवार ब्यौरा तालिका 18 में दिया गया है।

#### तालिका संख्या 18

#### चने की खरीद का राज्यवार ब्यौरा


(वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

('000 ਟਜ)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	खरीदी गई कुल मात्रा	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	103.28	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	94.06	0.34	0.36
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	91.67	0.00	0.00

7.	हरियाणा	347.98	2.47	0.71
8.	हिमाचल प्रदेश	3.70	0.03	0.81
9.	जम्मू-कश्मीर	0.36	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	149.60	0.00	0.00
11	केरल	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	2833.62	6.67	0.24
13	महाराष्ट्र	273.19	0.88	0.32
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	24.05	0.11	0.46
19	पंजाब	16.89	0.06	0.36
20	राजस्थान	1888.78	17.86	0.95
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	4.32	0.00	0.00
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	842.06	4.77	0.57
25	पश्चिम बंगाल	14.12	0.06	0.42
	संपूर्ण भारत	6687.68	33.25	0.50

तालिका से यह पता चलता है कि राजस्थान में अधिकतम अर्थात 0.95 प्रतिशत मात्रा तथा इसके बाद हरियाणा 0.71 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश 0.57 प्रतिशत आदि में चने की खरीद की जाती थी।



## 5.6 खपत के लिए अपेक्षित चने की कुल मात्रा (फार्म स्तर पर खपत के लिए चने रखना और चना खरीदना)

5.6.1 चने की कुल अपेक्षित मात्रा का राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा अनुलग्नक X में दिया गया है । इसके श्रेणीवार ब्यौरे सहित संपूर्ण सार नीचे तालिका संख्या 19 में दिया गया है :-

#### तालिका संख्या 19

## खपत के लिए चने की कुल अपेक्षित मात्रा

(वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्र.	श्रेणी	कुल उत्पादन	खपत के लिए	कुल उत्पादन का प्रतिशत
सं.			अपेक्षित कुल मात्रा	
1	छोटे	2609.81	668.53	25.62
2	मध्यम	1956.03	536.66	27.44
3.	बड़े	2121.84	445.34	20.99
संपूर्ण	भारत	6687.68	1650.53	24.68

अखिल भारतीय आधार पर फार्म स्तर पर खपत के लिए अपेक्षित चने की कुल अनुमानित मात्रा 24.68 प्रतिशत थी । मध्यम किसानों के लिए अपेक्षित मात्रा सबसे अधिक 27.44 प्रतिशत, छोटे श्रेणी के किसानों के लिए 25.62 प्रतिशत और बड़े किसानों के लिए 20.99 प्रतिशत थी ।

5.6.2 फार्म स्तर पर खपत के लिए अपेक्षित चने की कुल अनुमानित मात्रा का सभी श्रेणियों के किसानों के संबंध में ब्यौरा नीचे तालिका संख्या 20 में दिया गया है।

#### तालिका संख्या 20

#### चने की कुल अपेक्षित मात्रा का राज्यवार ब्यौरा

(वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्र.	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	कुल आवश्यकता	कुल उत्पादन का प्रतिशत
सं.				
1.	आंध्र प्रदेश	103.28	16.54	16.01
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	94.06	24.16	25.69
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	91.67	20.65	22.53
7.	हरियाणा	347.98	81.30	23.36
8.	हिमाचल प्रदेश	3.70	3.20	86.49
9.	जम्म्-कश्मीर	0.36	0.25	69.44

1.0				
10.	कर्नाटक	149.60	14.25	9.53
11	केरल	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	2833.62	719.01	25.37
13	महाराष्ट्र	273.19	86.12	31.52
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	24.05	16.44	68.36
19	पंजाब	16.89	6.72	39.79
20	राजस्थान	1888.78	433.95	22.98
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	4.32	0.42	9.72
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	842.06	225.23	26.75
25	पश्चिम बंगाल	14.12	2.29	16.22
संपूर्ण	भारत	6687.68	1650.53	24.68

तालिका से पता चलता है कि अखिल भारतीय स्तर पर चने की कुल अपेक्षित मात्रा चने की कुल उत्पादन का 24.68 प्रतिशत थी ।

#### 5.7 बीज के प्रयोजन के लिए चना रखना

5.7.1 बीज के प्रयोजन से रखे जाने वाले चने की अनुमानित मात्रा का राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा अनुलग्नक XI और XI क में दिया गया है । अखिल भारतीय आधार पर श्रेणीवार ब्यौरे का सार भी तालिका सं. 21 में दिया गया है ।

#### तालिका संख्या 21

#### बीज के प्रयोजन से चना रखना

#### (वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

('000 टन)

क्र.	श्रेणी	कुल उत्पादन	बीज के प्रयोजन	कुल उत्पादन का
सं.			से रखी गई मात्रा	प्रतिशत
1	छोटे	2609.81	166.23 6.	
2	मध्यम	1956.03	140.18	7.17
3	बड़े	बड़े 2121.84 153.40		7.23
	संपूर्ण भारत	6687.68	459.81	6.88

तालिका से पता चलता है कि बीज के प्रयोजन से औसतन 6.88 प्रतिशत चना रखा गया ।

5.7.2 सभी श्रेणियों के किसानों द्वारा बीज के प्रयोजन से रखे गए चने की कुल मात्रा का राज्यवार ब्यौरा नीचे तालिका सं. 22 में दिया गया है

## तालिका संख्या 22 बीज के प्रयोजन से रखे गए चने का राज्यवार ब्यौरा (वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

('000 ਟਜ)

क्र.	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	बीज के प्रयोजन के लिए	कुल उत्पादन का
सं.			रखी गई मात्रा	प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	103.28	14.29	13.84
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	94.06	12.27	13.04
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	91.67	6.99	7.63
7.	हरियाणा	34798	11.45	3.29
8.	हिमाचल प्रदेश	3.70	0.13	3.51
9.	जम्म्-कश्मीर	0.36	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	149.60	31.59	21.12

11	केरल	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	2833.62	224.93	7.94
13	महाराष्ट्र	273.19	9.03	3.31
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	24.05	2.76	11.48
19	पंजाब	16.89	0.62	3.67
20	राजस्थान	1888.78	108.76	5.76
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	4.32	1.06	24.54
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	842.06	34.08	4.05
25	पश्चिम बंगाल	14.12	1.85	13.10
	संपूर्ण भारत	6687.68	459.81	6.88

5.7.3 सिंचित फसल और असिंचित फसल के लिए बीज के प्रयोजन से रखे जाने वाले चने की अनुमानित मात्रा का राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा अनुलग्नक XI क में दिया गया है । इस अनुलग्नक का सार नीचे तालिका संख्या 23 में दिया गया है :-

तालिका संख्या 23 सिंचित फसल और असिंचित फसल के लिए बीज के प्रयोजन से चना रखना (वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

('000 ਟਜ)

क्र.	फसल	क्षेत्र	बीज के लिए चना रखना	कुल उत्पादन का
सं.				प्रतिशत
1	सिंचित	3623.71	208.99	5.71
2	असिंचित	3063.97	252.82	8.25
	कुल	6687.68	459.81	6.88

बीज के प्रयोजन से रखे गए चने की मात्रा औसतन कुल उत्पादन की 6.88 प्रतिशत थी । असिंचित फसल के अंतर्गत रखे गए चने की प्रतिशत मात्रा सिंचित फसल के अंतर्गत रखी गई प्रतिशत मात्रा से अधिक थी ।

#### 5.8 पशु चारे के लिए चना रखना

5.8.1 आमतौर पर पशु चारे के लिए चना नहीं रखा जाता । तथापि कुछ राज्यों में दूध देने वाले पशुओं, कटाई के लिए तैयार किए जाने वाले पशुओं, सुअरों और पालतू मुर्गियों इत्यादि को खिलाया जाता था । पशु चारे के लिए रखे जाने वाले चने की अनुमानित मात्रा का राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा अनुलग्नक XII में दिया गया है । तालिका सं. 24 में अखिल भारतीय आधार पर श्रेणीवार ब्यौरे सहित पशु चारे के लिए रखे गए चने की मात्रा दी गई हे ।

#### तालिका संख्या 24

## पशु चारे के लिए चना रखना (वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

('000 ਟਜ)

क्र.	श्रेणी	कुल उत्पादन	पशु चारे के लिए रखा	कुल उत्पादन का
सं.			गया चना	प्रतिशत
1	छोटे	2609.81	163.35	6.26
2	मध्यम	1956.03	118.55	6.06
3	बड़े	2121.84	138.24	6.52
संपूर्ण भारत		6687.68	420.14	6.28

5.8.2 पशु चारे के रूप में प्रयोग के लिए रखे गए चने की कुल मात्रा का राज्यवार ब्यौरा नीचे तालिका 25 में दिया गया है।

#### तालिका संख्या 25

## पशुचारे के लिए रखे गए चने की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा

(वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

('000 टन में)

क्र.	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	पशु चारे के लिए	कुल उत्पादन का
सं.			रखी गई मात्रा	प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	103.28	4.10	3.97
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	94.06	5.94	6.32
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	91.67	7.48	8.16
7.	हरियाणा	347.98	32.49	9.34
8.	हिमाचल प्रदेश	3.70	0.16	4.32
9.	जम्मू-कश्मीर	0.36	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	149.60	8.92	5.96
11	केरल	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	2833.62	185.71	6.55
13	महाराष्ट्र	273.19	20.55	7.52
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
18	<b>उ</b> ड़ीसा	24.05	1.21	5.03
19	पंजाब	16.89	0.94	5.57
20	राजस्थान	1888.78	91.47	4.84
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	4.32	0.00	0.00
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	842.06	60.16	7.14
25	पश्चिम बंगाल	14.12	1.01	7.15
	संपूर्ण भारत	6687.68	420.14	6.28

पशु चारे के लिए चने रखने के संबंध में मुख्यतः हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, उडीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश से सूचना मिली थी । अखिल भारतीय आधार पर चने की कुल उत्पादन का करीब 6.28 प्रतिशत पशु चारे के लिए रखा गया था ।

#### 5.8 वस्तु विनिमय के लिए चने का उपयोग:

प्राचीन काल में वस्तु विनिमय का बहुत चलन था । परंतु समय के साथ-साथ आधुनिकीकरण के कारण "वस्तु विनिमय" की यह पद्यति लगभग समाप्त हो गई है ।

#### 5.10 स्थायी मजदूरों को नकद और वस्तु में भुगतान के लिए चने का उपयोग ।

5.10.1 खेत पर विभिन्न कार्यों के लिए स्थायी मजदूर लगाए जाते हैं और उन्हें वस्तु के रूप में और नकद दोनों तरह से भुगतान किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए उपयोग की गई चने की अनुमानित मात्रा का श्रेणीवार ब्यौरा अनुलग्नक XIII, XIV और XV में दिया गया है और सभी श्रेणियों के किसानों के संबंध में यह ब्यौरा अनुलग्नक XVI में दिया गया है। तालिका 26 में श्रेणीवार ब्यौरे सहित इसका संपूर्ण सार दिया गया है।

# तालिका संख्या 26 स्थायी मजदूरों को नकद और वस्तु रूप में भुगतान के लिए चने का उपयोग (वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन में)

क्र.	श्रेणी	कुल उत्पादन	नकद और वस्तु के रूप	कुल उत्पादन का
सं.			में भुगतान के लिए चने	प्रतिशत
			का उपयोग *	
1	छोटे	2609.81	51.99	1.99
2	मध्यम	1956.03	32.89	1.68
3	बड़े	2121.84	37.65	1.77
संपूर्ण	भारत	6687.68	123.52	1.83

( \* इसमें पिछले वर्ष और चालू वर्ष की फसल से चने का उपयोग शामिल है )

स्थायी मजदूरों को नकद और वस्तु के रूप में भुगतान के लिए उपयोग की गई चने की कुल मात्रा कुल उत्पादन की करीब 1.83 प्रतिशत थी ।

5.10.2 सभी श्रेणियों के किसानों द्वारा स्थायी मजदूरों को नकद और वस्तु के रूप में भुगतान के लिए उपभोग किए गए चने का राज्यवार ब्यौरा, तालिका संख्या 27 में दिया गया है।

## तालिका संख्या 27

## स्थायी मजदूरों को नकद और वस्तु के रूप में भुगतान के लिए उपयोग में लाए गए चने की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा

(वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

('000 टन में)

		T-				
豖.	राज्य का नाम			दूरों को नकद और		
फ्र. सं.	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	वस्तु के रूप	वस्तु के रूप में भुगतान के लिए		
۲۱.			चने का उपयं	ोग		
			मात्रा	कुल उत्पादन का		
				प्रतिशत		
1.	आंध्र प्रदेश	103.28	0.00	0.00		
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00		
3.	असम	0.00	0.00	0.00		
4.	बिहार	94.06	0.00	0.00		
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00		
6.	गुजरात	91.67	2.96	3.23		
7.	हरियाणा	347.98	0.00	0.00		
8.	हिमाचल प्रदेश	3.70	0.00	0.00		
9.	जम्मू-कश्मीर	0.36	0.00	0.00		
10.	कर्नाटक	149.60	0.00	0.00		
11	केरल	0.00	0.00	0.00		
12	मध्य प्रदेश	2833.62	44.31	1.56		
13	महाराष्ट्र	273.19	3.60	1.32		
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00		
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00		
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00		
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00		
18	<b>उ</b> ड़ीसा	24.05	0.00	0.00		
19	पंजाब	16.89	0.26	1.54		
20	राजस्थान	1888.78	43.44	2.30		
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00		
22	तामिलनाडु	4.32	0.00	0.00		
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00		
24	उत्तर प्रदेश	842.06	27.95	3.32		
25	पश्चिम बंगाल	14.12	0.00	0.00		
	संपूर्ण भारत	6687.68	122.52	1.83		

स्थायी मजदूरों को नकद और वस्तु के रूप में भुगतान के लिए उपयोग में लाए गए चने की मात्रा कुल उत्पादन की 1.83 प्रतिशत थी ।

- 5.11 चालू वर्ष और पिछले की फसल से विभिन्न प्रयोजनों के लिए नकद और वस्तु के रूप में भुगतान के लिए चने का उपयोग किसान परिवारों को नकद और वस्तु के रूप में निम्नलिखित के संबंध में भुगतान करना होता है।
  - खेत पर काम करने वाले अस्थायी मजदूर
  - कृषि यंत्र और उपस्कर (किराए पर)
  - गांव के कारीगरों को खाद्यान्न देने की प्रथा
  - > हिस्से के रूप में जमींदार को उपज देना
  - > ऋणों की चुकौती
  - भू-राजस्व
  - सिंचाई और लागू अन्य प्रभार
  - 🕨 अन्य विविध भुगतान
  - 5.11.1 चालू वर्ष की फसल से इन मदों के संबंध में नकद भुगतान करने के लिए चने के उपयोग का श्रेणीवार ब्यौरा अनुलग्नक XVII, XVIII, XIX में दिया गया है और सभी श्रेणियों के किसानों के संबंध में यह ब्यौरा अनुलग्नक XX में दिया गया है । इन अनुलग्नकों का सार तालिका सं. 28 में दिया गया है ।

तालिका सं. 28
चालू वर्ष की फसल से प्राप्त धनराशि से नकद भुगतान के लिए चने का उपयोग
(वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 का औसत)

('000 टन में)

			श्रेणी		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
क्र.	मद	छोटे	मध्यम	बड़े	बेची गई कुल
सं.		बेची गई	बेची गई मात्रा	बेची गई	मात्रा
		मात्रा		मात्रा	
1	खेत पर काम करने	37.29 (45.42)	21.70 (26.43)	23.11 (28.15)	82.10 (100.00)
	वाले अस्थायी मजदूर	(41.21)	(47.14)	(40.74)	(42.48)
2	कृषि यंत्र एवं उपस्कर	12.48 (41.11)	4.99 (16.44)	12.89 (42.45)	30.36 (100.00)
		(13.79)	(10.85)	(22.72)	(15.71)
3	कारीगरों को खाद्यान्न	17.84 (92.97)	0.95 (4.95)	0.40 (2.08)	19.19 (100.00)
	देने का चलन	(19.71)	(2.07)	(0.70)	(9.93)
4	जमीदारों को लगान के	12.48 (99.44)	0.00(0.00)	0.07 (0.56)	12.55 (100.00)
	रूप में	(13.79)	(0.00)	(0.12)	(6.49)
5	जमीदारों को उपज के	1.14 (97.44)	0.00(0.00)	0.03 (2.56)	1.17 (100.00)
	हिस्से के रूप में	(1.27)	(0.00)	(0.05)	(0.61)
6	ऋण की चुकौती	0.00(0.00)	3.32 (27.48)	8.76 (72.52)	12.08 (100.00)
	5 3	(0.00)	(7.21)	(15.44)	(6.25)
7	भू राजस्व	0.00(0.00)	0.78 (78.00)	0.22 (22.00)	1.00 (100.00)
	*	(0.00)	(1.69)	(0.39)	(0.52)
8	सिंचाई और अन्य	8.84 (28.48)	12.31 (39.66)	9.89 (31.86)	31.04 (100.00)
	उपस्कर	(9.77)	(26.74)	(17.43)	(16.06)
9	अन्य	0.42 (11.14)	1.98 (52.52)	1.37 (36.34)	3.77 (100.00)
		(0.46)	(4.30)	(2.41)	(1.95)
कुल उ	ਜੀ <b>ਤ</b>	90.49 (46.82)	46.03 (23.82)	56.74 (29.36)	193.26 (100.00)
٦		(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

यह देखने में आया है कि तालिका 28 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई कुल 193.26 हजार मीटरी टन मात्रा का 29.36 प्रतिशत बड़े किसानों, 46.82 प्रतिशत छोटे श्रेणी के किसानों और 23.82 प्रतिशत मध्यम किसानों द्वारा उपयोग किया गया । यह मात्रा कुल उत्पादन की करीब 2.82 प्रतिशत थी । इसमें इस बात पर ध्यान दें कि यह नकद भुगतान कुल बिक्री में से किया गया था । इसमें दर्शाए गए आंकड़े अकादमिक हित के लिए हैं । 5.11.2 पिछले वर्ष की फसल की बिक्री से प्राप्त धनराशि से नकद भुगतान के लिए चने के उपयोग का श्रेणीवार ब्यौरा अनुलग्नक XXI, XXII, XXIII में और सभी श्रेणियों के किसानों का एक साथ ब्यौरा अनुलग्नक XXIV में दिया गया है । अखिल भारतीय आधार पर इनका सार नीचे तालिका संख्या 29 में दिया गया है

तालिका संख्या 29 पिछले वर्ष की फसल की बिक्री से हुई आय से नकद भुगतान के लिए चने का उपयोग (वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 मीटरी टन में)

क्र.	मद		श्रेणी				
सं.		छोटे	मध्यम	बड़े			
1.	अस्थायी मजदूर	1.90 (35.25) (10.68)	1.60 (29.68) (17.41)	1.89 (35.07) (26.92)	5.39 (100.00) (15.85)		
2.	कृषि यंत्र एवं उपस्कर	0.11 (2.75) (0.62)	3.09 (77.25) (33.62)	0.80 (20.00) (11.40)	4.00 (100.00) (11.76)		
3.	गांव के कारीगरों को भुगतान करने का चलन	0.00 (0.00) (0.00)	0.00 (0.00) (0.00)	0.12 (100.00) (1.71)	0.12 (100.00) (0.36)		
4.	जमींदार का लगान	0.00 (0.00) (0.00)	0.00 (0.00) (0.00)	0.00 (0.00) (0.00)	0.00 (0.00) (0.00)		
5.	जमींदार को हिस्सा	0.00 (0.00) (0.00)	0.00 (0.00) (0.00)	0.00 (0.00) (0.00)	0.00 (0.00) (0.00)		
6.	ऋण	0.00 (0.00) (0.00)	0.00 (0.00) (0.00)	0.40 (100.00) (5.70)	0.40 (100.00) (1.18)		
7.	भू राजस्व	0.01 (50.00) (0.05)	0.01 (50.00) (0.11)	0.00 (0.00) (0.00)	0.02 (100.00) (0.06)		
8.	सिंचाई और अन्य उपकर	15.42(71.55) (86.68)	3.80 (17.64) (41.35)	2.33 (10.81) (33.19)	21.55(100.00) (63.38)		
9.	विविध	0.35 (13.89) (1.97)	0.69 (27.38) (7.51)	1.48 (58.73) (21.08)	2.52 (100.00) (7.41)		
	कुल	17.79 (52.32) (100.00)	9.19 (27.03) (100.00)	7.02 (20.65) (100.00)	34.00 (100.00) (100.00)		

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल उत्पादन का प्रतिशत है)

यह देखने में आया है कि चने का 34.00 हजार मीटरी टन मात्रा का पिछले वर्ष की फसल से प्राप्त धनराशि से नकद भुगतान करने के लिए उपयोग किया गया जिसमें से छोटे किसानों ने 17.79 हजार मीटरी टन, मध्यम श्रेणी के किसानों ने 9.19 हजार मीटरी टन और बड़े किसानों ने 7.02 मीटरी टन मात्रा का इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया।

5.11.3 जैसा कि पहले बताया गया है कि किसानों को वस्तु के रूप में भुगतान करना होता है। छोटे, मध्यम और बड़े किसानों द्वारा वस्तु के रूप में भुगतान के लिए रखे गए और उपयोग किए गए चने का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक XXV, XXVI, XXVII में दिया गया है और सभी श्रेणियों का जोड़ अनुलग्नक XXVIII में दिया सभी श्रेणियों के संबंध में अखिल भारतीय आधार पर इनका ब्यौरा नीचे तालिका सं. 30 मदिया गया है।

5.11.4 तालिका सं. 30

# विभिन्न प्रयोजनों के लिए वस्तु के रूप में भुगतान के लिए चने का उपयोग (वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 टन में)

क्र.	मद	श्रेणी			कुल
सं.		छोटे	मध्यम	बड़े	
1	खेत पर काम करने वाले अस्थायी मजदूर	144.33 (50.29) (83.04)	70.01 (24.39) (89.20)	72.67 (25.32) (90.69)	287.01 (100.00) (86.34)
2	कृषि यंत्र एवं उपस्कार	1.25 (22.44) (0.72)	0.73 (13.11) (0.93)	3.59 (64.45) (4.48)	5.57 (100.00) (1.67)
3	गांव के कारीगरों को खाद्यान्न देने का चलन	15.38 (79.69) (8.85)	2.91 (15.08) (3.71)	1.01 (5.23) (1.26)	19.30 (100.00) (5.81)
4	जमींदारो को लगान	0.08 (66.67) (0.05)	0.00 (0.00) (0.00)	0.04 (33.33) (0.05)	0.12 (100.00) (0.04)
5	जमीदारों का हिस्सा	6.76 (89.06) (3.89)	0.83 (10.94) (1.06)	0.00 (0.00) (0.00)	7.59 (100.00) (2.28)
6	ऋण की चुकौती	2.84 (98.61) (1.63)	0.00 (0.00) (0.00)	0.04 (1.39) (0.05)	2.88 (100.00) (0.87)
7	भू राजस्व	0.00 (0.00) (0.00)	0.00 (0.00) (0.00)	0.00 (0.00) (0.00)	0.00 (0.00) (0.00)
8	सिंचाई और अन्य उपस्कर	0.21 (70.00) (0.12)	0.06 (20.00) (0.07)	0.03 (10.00) (0.04)	0.30 (100.00) (0.09)
9	अन्य	2.95 (30.57) (1.70)	3.95 (40.93) (5.03)	2.75 (28.50) (3.43)	9.65 (100.00) (2.90)
कुल	जोड़	173.80 (52.28) (100.00)	78.49 (23.61) (100.00)	80.13 (24.11) (100.00)	332.42 (100.00) (100.00)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल उत्पादन का प्रतिशत है )

यह देखने में आया है कि सभी श्रेणियों में वस्तु के रूप में भुगतान के लिए चने का सबसे अधिक उपयोग अस्थायी मजदूरों के लिए किया गया । अखिल भारतीय आधार पर वस्तु के रूप में कुल भुगतान 332.42 हजार टन था । इसमें से अस्थायी मजदूरों को वस्तु के रूप में भुगतान 287.01 हजार टन अर्थात 86.34 प्रतिशत था । वस्तु के रूप में कुल उत्पादन कुल उत्पादन का करीब 4.97 प्रतिशत था ।

5.11.4 सभी श्रेणियों के किसानों द्वारा विभिन्न मदों के लिए वस्तु के रूप में भुगतान के लिए उपयोग किए गए चने की कुल मात्रा का राज्यवार ब्यौरा नीचे तालिका संख्या 31 में दिया गया है।

#### तालिका संख्या 31

## वस्तु के रूप में भुगतान के लिए चने के उपयोग का राज्यवार ब्यौरा


(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99)

('000 ਟਜ)

		चने का कुल	वस्तु के	रूप में भुगतान	न के लिए	
क्र	राज्य का नाम	उत्पादन		किए गए चने		कुल
सं.			छोटे	मध्यम	बड़े	
1.	आंध्र प्रदेश	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	94.06	1.34	2.34	2.24	5.92
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	347.98	2.03	0.73	2.24	5.00
8.	हिमाचल प्रदेश	3.70	0.00	0.02	0.05	0.07
9.	जम्मू-कश्मीर	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	149.60	1.61	1.34	1.38	4.33
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	2833.62	58.54	58.12	57.98	174.64
13	महाराष्ट्र	273.19	6.27	3.39	3.30	12.96
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	<b>उ</b> ड़ीसा	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पंजाब	16.89	0.00	0.02	0.03	0.05
20	राजस्थान	1888.78	96.44	7.27	8.86	112.57
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	842.06	7.57	5.26	4.05	16.88

25	पश्चिम बंगाल	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण भारत	6687.68	173.80	78.49	80.13	332.42

मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा एवं कर्नाटक आदि जैसे राज्यों में वस्तु के रूप में भुगतान के लिए चने का उपयोग सबसे अधिक देखने में आया है।



#### अध्याय VI

## फार्म स्तर पर चने की कटाई पश्चात हानि

- 6.1 इस सर्वेक्षण के दौरान उत्पादन स्तर पर चने की हानि का अध्ययन किया गया और इस संबंध में आंकड़े निचे सूचीबद्ध अनुलग्नक में दिए गए हैं :
  - i) खिलहान में चने की अनुमानित हानि का श्रेणीवार और स्त्रोतवार ब्यौरा अनुलग्नक XXIX एवं XXX.
  - ii) ओसाई के दौरान चने की अनुमानित हानि का श्रेणीवार और स्त्रोतवार ब्यौरा अनुलग्नक XXXI एवं XXXII.
  - iii) खेत से खिलहान तक ले जाने में चने की अनुमानित हानि का श्रेणीवार और वाहनवार ब्यौरा - अनुलग्नक XXXIII एवं XXXIV.
  - iv) फार्म स्तर पर खिलहान से भंडार तक ले जाने में चने की अनुमानित हानि का श्रेणीवार और स्त्रोतवार ब्यौरा अनुलग्नक XXXV.
  - v) खेत से खिलहान तक और खिलहान से भंडार तक ले जाने में चने की अनुमानित हानि का वाहनवार (खुला या बोरों में) और पैिकंग के साधन के आधार पर ब्यौरा -अनुलग्नक XXXVI एवं XXXVII.
  - vi) उत्पादक स्तर पर भंडार में चने की अनुमानित हानि का श्रेणीवार और भंडारण के प्रकार/भंडारण की विधि के अनुसार ब्यौरा अनुलग्नक XXXVIII एवं XXXIX.
  - vii) हानियों के कारणों के अनुसार उत्पादक स्तर पर चने की अनुमानित हानि- अनुलग्नक XXXX.

- viii) कटाई पश्चात कुल अनुमानित हानि का श्रेणीवार ब्यौरा अनुलग्नक XXXXI एवं XXXXII एवं XXXXIII.
- ix) सभी श्रेणियों के संबंध में कटाई पश्चात कुल हानि ब्यौरा अनुलग्नक XXXXIV.
- 6.1.2 विभिन्न कार्यों अर्थात गहाई, ओसाई, खेत से खिलहान तक ले जाने, खिलहान से भंडारण के लिए ले जाने के दौरान और उत्पादक के स्तर पर भंडारण में हुई चने की कटाई पश्चात कुल हानियों का पूर्ण सार निम्निलिखित तालिका संख्या 32 में दिया गया है :-

## तालिका संख्या 32 उत्पादक स्तर पर चने की हानि (वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)


('000 टन )

क्र.	मद	हानि की मात्रा	कुल उत्पादन का
सं.			प्रतिशत
1	खेत से खलिहान तक ले जाने के हुई हानि	54.38	0.81
2	गहाई के दौरान हानि	51.86	0.77
3	ओसाई के दौरान हानि	51.93	0.78
4	खितहान से भंडार तक ले जाने में हानि	54.83	0.82
5	उत्पादक स्तर पर भंडारण में हानि	37.36	0.56
	उत्पादक स्तर पर कुल हानि	250.36	3.74

जैसा कि पहले बताया गया है कटाई पश्चात हानि संबंधी अध्ययन उत्पादक स्तर पर हानि, कटाई पश्चात खेत से खिलहान तक ले जाने और उसके बाद उत्पादक स्तर पर भंडार तक ले जाने में हुई हानि तक ही सीमित था । इस अध्ययन में चने को किसानों के भंडार से बिक्री के लिए बाजार में


ले जाने से बाजार में और उसके बाद वितरण प्रक्रिया में हुई हानि शामिल नहीं है । उत्पादक के स्तर पर कटाई पश्चात चने की कुल अनुमानित हानि जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है, कुल उत्पादक की 3.74 प्रतिशत थी ।

6.1.2 अनुलग्नक XXX में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि मशीन से गहाई में हुई हानि 37.08 हजार टन (उत्पादन की 0.55 प्रतिशत), पशुओं की मदद से गहाई में हुई हानि 11.41 हजार टन (0.17%)और हाथ से गहाई में हुई हानि 3.37 हजार टन (0.05%) थी ।



6.1.3 ओसाई के दौरान चने की कुल अनुमानित हानि 51.93 हजार टन अर्थात उत्पादन की 0.78 प्रतिशत थी – अनुलग्नक : XXXI

- 6.1.4 यह देखने में आया है कि फार्म स्तर पर चने को खेत से खिलहान तक ले जाने (प्रयुक्त विभिन्न वाहनों के अनुसार) में हुई हानि 54.38 हजार टन यानि कुल उत्पादन की 0.81 प्रतिशत थी (अनुलग्नक XXXIII और XXXIV).
- 6.1.5 खिलहान से किसान के भंडार तक ले जाने में चने की कुल हानि 54.83 हजार टन अर्थात
  0.82 प्रतिशत थी (अनुलग्नक XXXV).
- 6.1.6 खेत से किसान के भंडार तक ले जाने में चने की कुल हानि 109.21 हजार टन अर्थात 1.63 प्रतिशत थी (अनुलग्नक XXXVII).
- 6.1.7 भंडार में चने की हानि के अध्ययन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखने में आई कि किसान परिवार के भंडारण का लगभग 16.59 प्रतिशत मात्रा कच्चे भंडार में रखी जाती थी और 83.41 प्रतिशत मात्रा पक्के भंडार में रखी जाती थी । फार्म स्तर पर कच्चे भंडार (गोदाम) में रखी गई कुल मात्रा 1084.24 हजार टन और पक्के भंडार में रखी गई कुल मात्रा 5453.09 हजार टन थी (अनुलग्नक XXXIX).
- 6.1.8 भंडारण में चने की हानि की कुल मात्रा 37.36 हजार टन थी (अनुलग्नक XXXVIII) जो कुल उत्पादन की 0.56 प्रतिशत थी । भंडार हानि चने के सूखने, कृंतक लगने, कीड़ा लगने, उठाई के कारण थी ।
- 6.1.9 उत्पादक स्तर पर चने की कटाई पश्चात कुल अनुमानित हानि 250.36 हजार टन अर्थात कुल उत्पादन की 3.74 प्रतिशत थी । यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि भंडारण अवधि और भंडार में रखी गई मात्रा कम थी । अतः उत्पादक स्तर पर भंडारण हानि 3.74 प्रतिशत थी । तथापि वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियां अपनाकर फार्म स्तर पर होने वाली इन हानियों को कम करने की संभावना है ।



#### अध्याय - VII

#### बाजार में बेचा गया अधिशेष

- 7.1 किसान परिवार अपनी जरूरत के आधार पर निश्चित समयाविध के दौरान चने की बिक्री करता है। छोटे किसान अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए कम कीमत पर बिक्री अर्थात कटाई के तत्काल बाद बिक्री करने के लिए मजबूर होते हैं जबिक बेहतर धारण क्षमता वाले किसान बाजार स्थिती अनुकूल होने पर ही उत्पाद को बेचते हैं। किसान परिवार द्वारा कुल कृषि उत्पाद बेचा गया अधिशेष कहलाता है अर्थात ऐसा उत्पाद अधिशेष जो बाजार में बेचा जाता है। भले ही किसान परिवारों के लिए अपेक्षित चने की मात्रा कितनी भी हो। यह चने की वह मात्रा है जो किसान परिवारों द्वारा जरूरत पड़ने पर वापस खरीदी जाने वाली मात्रा सहित गैर कृषि आबादी को खपत के लिए उपलब्ध कराई जाती है। सर्वेक्षण के दौरान किसान परिवारों द्वारा बिक्री के निम्नलिखित पहलुओं पर अध्ययन किया गया:-
- i) आवधिकता
- ii) एजेंसी जिसे बेचा गया
- iii) गांव के भीतर बिक्री
- iv) गांव के बाहर बिक्री

#### 7.2 बिक्री की आवधिकता

विभिन्न श्रेणियों के किसानों द्वारा तिमाहीवार चने की अनुमानित बिक्री का राज्यवार विवरण अनुलग्नक XXXXV, XXXXVI और XXXXVII और सभी श्रेणियों के किसानोके संबंध में इसका विवरण अनुलग्नक XXXXVIII में दिया गया है । इन अनुलग्नकों का सार तालिका संख्या 33 में दिया गया है ।

तालिका संख्या 33 चने की बिक्री (वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 ਟਜ)


क्र.	तिमाही	चने	चने की तिमाहीवार बिक्री					
सं.			श्रेणी					
		छोटे	मध्यम	बड़े				
1	पहली तिमाही	2.80 (0.21)	2.85 (0.29)	2.76 (0.23)	8.41 (0.24)			
2	दूसरी तिमाही	6.63 (0.51)	8.00 (0.83)	5.23 (0.44)	19.86 (0.58)			
3	तीसरी तिमाही	303.15 (23.27)	290.71 (30.05)	341.29 (28.89)	935.15 (27.09)			
4	चौथी तिमाही	990.14 (76.01)	666.00 (68.83)	832.24 (70.44)	2488.38 (72.09)			
	कुल	1302.72 (100.00)	967.56 (100.00)	1181.52 (100.00)	3451.80 (100.00)			

यह देखा गया है कि चौथी तिमाही के दौरान चने की 72.09 प्रतिशत मात्रा की बिक्री हुई जबिक तीसरी तिमाही के दौरान चने की 27.09 प्रतिशत मात्रा की बिक्री हुई ।

## 7.3 एजेंसियां, जिन्हें चना बेचा गया

छोटे, मध्यम और बड़े श्रेणी के किसानों और सभी श्रेणियों के किसानों द्वारा चने की एजेंसीवार बिक्री का राज्यवार विवरण क्रमश: अनुलग्नक XXXXIX, L, LI और LII में दिया गया है । इन अनुलग्नकों का सान नीचे तालिका सं. 34 में दिया गया है ।

# चने की बिक्री - एजेंसीवार ('000 टन में मात्रा और कुल बिक्री की प्रतिशतता)



तालिका संख्या 34

#### विभिन्न एजेंसियों को बिक्री

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 ਟਜ)

क्र.	एजेंसी	चने	की बेची गई म	नात्रा	जोड़
सं.			श्रेणी		
		छोटे	मध्यम	बड़े	
1	उपभोक्ता	226.82	23.56	63.96	314.34
		(17.41)	(2.43)	(5.41)	(9.11)
2.	व्यापारी	595.52	839.22	1037.04	2471.78
	·	(45.71)	(86.74)	(87.77)	(71.61)
3.	सहकारी समितियां	144.85	42.27	35.83	222.95
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(11.12)	(4.37)	(3.03)	(6.46)
4.	भारतीय खाद्य निगम	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
5.	ऋणदाता	241.74	56.95	40.33	339.02
	.6 .4	(18.56)	(5.89)	(3.42)	(9.82)
6.	अन्य	93.79	5.56	4.36	103.71
		(7.20)	(0.57)	(0.37)	(3.00)
	जोड	1302.72	967.56	1181.52	3451.80
	<b>.9</b>	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

सर्वेक्षण से पता चला है कि उत्पादकों द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को चने की बिक्री 9.11 प्रतिशत मात्रा थी, सहकारी समितियों को 6.46 प्रतिशत की गई थी । कुल बिक्री का बड़ा हिस्सा अर्थात 71.61 प्रतिशत व्यापारियों को बेचा गया था । किसान समुदाय के लाभ के लिए खाद्यान्नों के विपणन में अपनी भूमिका का मूल्यांकन करने की दृष्टि से सहकारी समितियां और भारतीय खाद्य निगम के लिए यह चिंतन का विषय है ।

#### 7.4 गांवों के भीतर चने की बिक्री

गांवों के भीतर तिमाही और श्रेणीवार चने की अनुमानित बिक्री का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक LIII, LIV और LV में दिया गया है और सभी श्रेणियों के किसानों का समग्र ब्यौरा


अनुलग्नक LVI में दिया गया है । इन अनुलग्नकों का सार नीचे तालिका संख्या 35 में दिया गया है ।


> तालिका संख्या 35 गांवों के भीतर चने की बिक्री (वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के आंकड़ों का औसत)

> > ('000 ਟਜ)

क्र.	तिमाही	गां	गांवों के भीतर बिक्री					
सं.			श्रेणी					
		छोटे	मध्यम	बड़े				
1	पहली तिमाही	2.21	2.07	2.17	6.45			
		(0.08)	(0.11)	(0.10)	(0.10)			
2	दूसरी तिमाही	4.98	4.38	3.50	12.86			
		(0.19)	(0.22)	(0.16)	(0.19)			
3	तीसरी तिमाही	216.68	218.34	271.77	706.79			
		(8.30)	(11.16)	(12.81)	(10.57)			
4	चौथी तिमाही	637.16	431.74	598.73	1667.63			
		(24.41)	(22.07)	(28.22)	(24.94)			
	कुल	861.03	656.53	876.17	2393.73			
		(32.99)	(33.56)	(41.29)	(35.79)			

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल उत्पादन की प्रतिशतता है)





यह देखने में आया है कि चने की कुल 3451.80 हजार टन बिक्री में से 2393.73 हजार टन अथवा कुल बिक्री का 65.35 प्रतिशत मात्रा गांव के भीतर बेची गई ।

## 7.5 गांव के बाहर काले चने की बिक्री

देश के विभिन्न राज्यों में गांव के बाहर, चने की तिमाहीवार और श्रेणीवार अनुमानित बिक्री क्रमशः अनुलग्नक LVII, LVIII, LIX में दी गई है तथा सभी श्रेणियों के किसानों के संबंध में समग्र ब्यौरा अनुलग्नक LX में दिया गया है । इन अनुमानों का सार तालिका संख्या 36 में दिया गया है ।

तालिका संख्या 36 गांव के बाहर चने की बिक्री

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

('000 ਟਜ)

क्र.	तिमाही	गां	वों के बाहर बि	क्री	जोड़
सं.			श्रेणी		
		छोटे	मध्यम	बड़े	
1	पहली तिमाही	0.59	0.78	0.59	1.96
		(0.02)	(0.04)	(0.03)	(0.03)
2	दूसरी तिमाही	1.65	3.62	1.73	7.00
		(0.06)	(0.19)	(0.08)	(0.10)
3	तीसरी तिमाही	86.47	72.37	69.52	228.36
		(3.31)	(3.70)	(3.28)	(3.41)
4	चौथी तिमाही	352.98	234.26	233.51	820.75
		(13.53)	(11.98)	(11.01)	(12.27)
कुल		441.69	311.03	305.35	1058.07
		(16.69)	(15.90)	(14.39)	(15.82)

(कोष्ठकों में दिए आंकड़े कुल उत्पादन की प्रतिशतता है)

तालिका संख्या 35 एवं तालिका संख्या 36 में दिए गए आंकड़े से पता चलता है कि चने की कुल 3451.80 हजार टन में से गांव के भीतर 2393.73 हजार टन (69.35 प्रतिशत) थी और गांव के बाहर बिक्री 1058.07 हजार टन (30.65 प्रतिशत) थी । इससे स्पष्ट है कि किसानों के हित के लिए ग्रामीण स्तर पर आधरभूत सुविधाओं का विकास करने की आवश्यकता है और साथ ही शहरी विपणन केंद्रों (प्राय: विकसित) के विकास पर ध्यान देने के बजाय ग्रामीण विपणन केंद्रों के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

# 7.6 चने की राज्यवार बिक्री

सभी श्रेणियों के किसानों द्वारा चने की कुल बिक्री का राज्यवार ब्यौरा नीचे तालिका संख्या 37 में दिया गया है।

तालिका संख्या 37 चने की कुल बिक्री का राज्यवार ब्यौरा (वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

क्र.	राज्य	कुल उत्पादन	कुल बिक्री	कुल उत्पादन से
सं.				प्रतिशतता
1.	आंध्र प्रदेश	103.28	63.89	61.86
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	94.06	41.61	44.24
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	91.67	51.01	55.65
7.	हरियाणा	347.98	201.41	57.88
8.	हिमाचल प्रदेश	3.70	0.00	0.00
9.	जम्मू-कश्मीर	0.36	0.09	25.00
10.	कर्नाटक	149.60	83.47	55.80
11	केरल	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	2833.62	1387.58	48.97
13	महाराष्ट्र	273.19	130.12	47.63
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
18	<b>उ</b> ड़ीसा	24.05	2.77	11.52
19	पंजाब	16.89	7.57	44.82
20	राजस्थान	1888.78	1031.91	54.63
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00

22	तामिलनाडु	4.32	2.61	60.42
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	842.06	439.45	52.19
25	पश्चिम बंगाल	14.12	8.31	58.85
	संपूर्ण भारत	6687.68	3451.80	51.61


विभिन्न राज्यों का चने की समग्र विपणन योग्य अधिशेष बिक्री में योगदान के बारे में विश्लेषण नीचे तालिका में किया गया है!

#### तालिका संख्या 38

#### विपणन योग्य अधिशेष का योगदान

# (वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

क्र.	योगदान	राज्य
सं.		
1	1000 से अधिक	राजस्थान (1031.91)
		मध्य प्रदेश (1387.58)
2	100 – 1000	महाराष्ट्र (130.12)
		हरियाणा (201.41)
		उत्तर प्रदेश (439.45)
3	100 से कम	जम्मू व कश्मीर (0.09)
		तमिलनाडु (२.६१)
		उडीसा (2.77)
		पंजाब (7.57)
		पश्चिम बंगाल (8.31)
		बिहार (41.61)
		गुजरात (51.01)
		आंध्र प्रदेश (63.89)
		कर्नाटक (83.47)



#### अध्याय - VIII

#### विपणन योग्य अधिशेष

8.1 पिछले अध्यायों में अनुमानित उत्पादन, विभिन्न प्रयोजनों के लिए रखने, क्रय, हानि, बिक्री अथवा बेचे गए अधिशेष इत्यादि पर चर्चा की गई । इस अध्याय में विपणन योग्य अधिशेष पर चर्चा की गई है । विपणन योग्य अधिशेष निम्नलिखित सूत्र से निकाला गया है :-

एम एस = ए - बी

जहाँ ए - कुल उत्पादन हैं,

बी – फार्म स्तर या उत्पादक स्तर पर रखे गए चने की कुल मात्रा, कुल क्रय और कुल हानि का जोड़ है

एम एस – विपणन योग्य अधिशेष है,

8.2 श्रेणी-वार और सभी श्रेणीयों के किसानों के संबंध अनुमानित विपणन योग्य अधिशेष क्रमशः अनुलग्नक LXI, LXII, LXIII एवं LXIV में दिया गया है । अखिल भारतीय स्तर पर (इसका सार) नीचे तालिका संख्या 39 में दिया गया है।

#### तालिका संख्या 39

# किसान परिवार के लिए अपेक्षित चने की अनुमानित मात्रा एवं विपणन योग्य अधिशेष

(वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

क्र. सं.	श्रेणी	कुल उत्पादन (क)	किसान परिवार के लिए अपेक्षित चने की कुल मात्रा (हानि सहित) (ख)	विपणन योग्य अधिशेष (ग)
1	2	3	4	5
	_		·	_
1	छोटे	2609.81	1296.30 (49.67)	1313.51 (50.33)
2	मध्यम	1956.03	977.59 (49.98)	978.44 (50.02)


3	बड़े	2121.84	925.26 (43.61)	1196.58 (56.39)
	कुल	6687.68	3199.15 (47.84)	3488.53 (52.16)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल उत्पादन की प्रतिशतता है)

- 8.3 अनुमानित विपणन योग्य अधिशेष 3488.53 हजार टन अर्थात उत्पादन का 52.16 प्रतिशत था और किसान परिवार के लिए अपेक्षित चने की अनुमानित मात्रा 3199.15 हजार टन अर्थात् उत्पादन का 47.84 प्रतिशत जिसमें हानि भी शामिल हैं, था
- 8.4 विभिन्न श्रेणियों के किसानों द्वारा अनुमानित विपणन योग्य अधिशेष और बेचे गए अधिशेष का तुलनात्मक विश्लेषण निम्नलिखित तालिका संख्या 40 में दर्शाया गया है!

# तालिका सं. 40 चने का विपणन योग्य अधिशेष (वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

क्र. सं.	श्रेणी	कुल उत्पादन	<del>, 1111  </del>		लिए अपेक्षित कुल विपणन योग्य		पोग्य	बेचा गया	अधिशेष
		क	ख		(क-ख)				
			मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	
1	छोटे	2609.81	1296.30	49.67	1313.51	50.33	1302.72	49.92	
2	मध्यम	1956.03	977.59	49.98	978.44	50.02	967.56	49.47	
3	बड़े	2121.84	925.26	43.61	1196.58	56.39	1181.52	55.68	
	कुल	6687.68	3199.15 47.84		3488.53	52.16	3451.80	51.61	



8.5 यह देखने में आया है कि चने के कुल 6687.68 हजार टन अनुमानित उत्पादन में से किसान परिवार के लिए अपेक्षित कुल मात्रा (हानि सिहत) 3199.15 हजार टन या 47.84 प्रतिशत थी । अनुमानित विपणन योग्य अधिशेष 3488.53 हजार टन था जो कि 52.16 प्रतिशत था । इसके मुकाबले, बिक्री अधिशेष 51.61 प्रतिशत था अर्थात 3451.80 हजार टन था । इसका तात्पर्य यह है कि 36.73 हजार टन (0.55 प्रतिशत) चने बेचे नहीं गए एवं किसान परिवार की स्टॉक में इसका औसत मिला दिया गया ।

- 8.6 वर्ष 1972 के पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार, प्रति किसान परिवार के सदस्यों की औसत संख्या 6.26 थी, जबिक, वर्तमान के सर्वेक्षण में यह दिखाया गया है कि प्रति किसान परिवार के सदस्यों की औसत संख्या 6.45 थी । अतएवं किसान परिवार के आकार में न्यूनतम बढ़ोतरी हुई ।
- 8.7 अनुमानित उत्पादन किसान परिवार के लिए अपेक्षित चने की कुल मात्रा जिसमें उत्पादन स्तर पर हानि भी शामिल है, विपणन योग्य अधिशेष और बेचे गए अधिशेष का राज्यवार ब्यौरा नीचे तालिका संख्या 41 में दिया गया है।

#### तालिका संख्या 41

# चने का अनुमानित उत्पादन, किसान परिवार के लिए अपेक्षित चने की कुल मात्रा विपणन योग्य अधिशेष एवं बेचे गए चने का राज्य-वार ब्यौरा (वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 का औसत)

क्रम संख्या	राज्य	कुल उत्पादन	लिए अपे	ारिवार के क्षित चने नात्रा (हानि	बेचा गया		विपणन अधिशेष	योग्य
			मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	103.28	38.72	37.49	63.89	61.86	64.56	62.51
2.	अरूणाचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रदेश							
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	94.06	51.73	55.00	41.61	44.24	42.33	45.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	91.67	40.05	43.69	51.01	55.65	51.62	56.31
7.	हरियाणा	347.98	143.88	41.35	201.41	57.88	204.10	58.65
8.	हिमाचल प्रदेश	3.70	3.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू-कश्मीर	0.36	0.27	75.00	0.09	25.00	0.09	25.00
10.	कर्नाटक	149.60	64.54	43.14	83.47	55.80	85.06	56.86
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	2833.62	1420.39	50.13	1387.58	48.97	1413.23	49.87

13	महाराष्ट्र	273.19	142.17	52.04	130.12	47.63	131.02	47.96
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	24.05	21.24	88.32	2.77	11.52	2.81	11.68
19	पंजाब	16.89	9.21	54.53	7.57	44.82	7.68	45.47
20	राजस्थान	1888.78	860.06	45.54	1031.91	54.63	1028.72	54.46
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	4.32	1.65	38.19	2.61	60.42	2.67	61.81
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	842.06	395.90	47.02	439.45	52.19	446.16	52.98
25	पश्चिम बंगाल	14.12	5.63	39.87	8.31	58.85	8.49	60.13
	संपूर्ण भारत	6687.68	3199.15	47.84	3451.80	51.61	3488.53	52.16

- 8.8 इस तथ्य पर ध्यान दिया जाए कि विभिन्न राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तामिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 60% अधिक विपणन योग्य अधिशेष था । जबिक बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राज्यस्थान एवं उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत से अधिक विपणन योग्य अधिशेष था ।
- 8.9 निश्चित तौर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने, लाभप्रद विपणन के लिए जानकारी बढ़ाकर, ग्रेडिंग तथा मानकीकरण, भंडारण और वित्त इत्यादि जैसे सेवाओं का समर्थन करके कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करना जरूरी है।

विपणन क्षमता को बढ़ाने के लिए विपणन लागत को कम करना तथा वास्तविक आधारिक संरचना में सुधार करना जरूरी है, ताकि किसानों को बेहतर लाभ मिल सके।

## क्षेत्र जिसमें सिंचित/असिंचित फसल के रूप में चना उगाया गया है (वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

(000 हेक्टेयर में)

क्रम	राज्य का						किसानों	की श्रेणी				· · ·	10 1( 01)
सं.	नाम		लघु			मध्यम			बड़े			सभी	
		सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल क्षेत्र	सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
	2	2	4	क्षेत्र			0	0	10	क्षेत्र	10	12	क्षेत्र
1	2 आंध्र प्रदेश	3 23.62	4 19.38	5 43.00	6 24.38	7 20.64	8 45.02	9 20.72	10 11.56	11 32.28	12 68.72	13 51.58	14 120.30
1. 2.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	असम	3.57	23.43	27.00	8.16	43.84	52.00	13.05	31.45	44.50	24.78	98.72	123.50
5.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गोवा												125.66
6.	गुजरात	17.60	13.06	30.66	25.74	27.92	53.66	19.72	21.62	41.34	63.06	62.60	
7.	हरियाणा	22.79	102.71	125.50	17.73	49.27	67.00	37.76	115.24	153.00	78.28	267.22	345.50
8.	हिमाचल	0.48	0.48	0.96	0.43	0.55	0.98	0.65	1.06	1.71	1.56	2.09	3.65
	प्रदेश												
9.	जम्मू-	0.00	0.08	0.08	0.01	0.11	0.12	0.01	0.26	0.27	0.02	0.45	0.47
	कश्मीर												
10.	कर्नाटक	16.46	90.08	106.54	26.82	86.01	112.83	0.00	83.14	83.14	43.28	259.23	302.51
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	416.49	538.01	954.50	396.97	409.53	806.50	455.65	328.85	784.50	1269.11	1276.39	2545.50
13	महाराष्ट्र	198.66	36.34	235.00	193.16	36.34	229.50	230.75	34.25	265.00	622.57	106.93	729.50
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागात्रैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	<b>उ</b> ड़ीसा	0.00	10.00	10.00	0.00	10.64	10.64	0.00	16.35	16.35	0.00	36.99	36.99
19	पंजाब	4.26	0.00	4.26	5.54	0.00	5.54	6.68	0.00	6.68	16.48	0.00	16.48
20	राजस्थान	592.61	545.39	1138.00	217.22	283.78	501.00	163.12	408.88	572.00	972.95	1238.05	2211.00
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	4.50	0.00	4.50	6.00	0.00	6.00
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24	उत्तर प्रदेश	69.00	325.00	394.00	89.00	158.00	247.00	65.00	157.00	222.00	223.00	640.00	863.00
25	पश्चिम	0.00	6.81	6.81	7.32	0.00	7.32	0.00	7.47	7.47	7.32	14.28	21.60
	बंगाल												
	संपूर्ण	1366.54	1710.77	3077.31	1012.98	1126.63	2139.61	1017.61	1217.13	2234.74	3397.13	4054.53	7451.66
	भारत												

#### अनुलग्नक –II

#### क्षेत्र जिसमें अधिक पैदावार वाली किस्म और परम्परागत किस्म का चना उगाया गया है (वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

#### (000 हेक्टेयर में)

	<u></u>							0 \ 0				(000 हेक्टे	यर म)
क्रम	राज्य का						किसान परिव	ार की श्रेणी			1		
सं.	नाम		छोटे			मध्यम			बड़े			सभी	
		एचवाईवी	टीवी	कुल क्षेत्र	एचवाईवी	टीवी	कुल क्षेत्र	एचवाईवी	टीवी	कुल क्षेत्र	एचवाईवी	टीवी	कुल क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	23.42	19.58	43.00	24.14	20.88	45.02	20.42	11.86	32.28	67.98	52.32	120.30
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	3.50	23.50	27.00	8.00	44.00	52.00	13.00	31.50	44.50	24.50	99.00	123.50
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	17.33	13.33	30.66	25.33	28.33	53.66	19.67	21.67	41.34	62.33	63.33	125.66
7.	हरियाणा	22.50	103.00	125.50	17.50	49.50	67.00	37.50	115.50	153.00	77.50	268.00	345.50
8.	हिमाचल प्रदेश	0.42	0.54	0.96	0.40	0.58	0.98	0.63	1.08	1.71	1.45	2.20	3.65
9.	जम्मू-कश्मीर	0.01	0.07	0.08	0.01	0.11	0.12	0.01	0.26	0.27	0.03	0.44	0.47
10.	कर्नाटक	16.12	90.42	106.54	26.11	86.72	112.83	20.42	62.72	83.14	62.65	239.86	302.51
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	416.00	538.50	954.50	396.50	410.00	806.50	455.50	329.00	784.50	1268.00	1277.50	2545.50
13	महाराष्ट्र	198.50	36.50	235.00	193.00	36.50	229.50	231.00	34.00	265.00	622.50	107.00	729.50
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	7.00	3.00	10.00	7.42	3.22	10.64	8.67	7.68	16.35	23.09	13.90	36.99

						,.							
19	पंजाब	4.26	0.00	4.26	5.54	0.00	5.54	6.68	0.00	6.68	16.48	0.00	16.48
20	राजस्थान	592.00	546.00	1138.00	217.00	284.00	501.00	163.00	409.00	572.00	972.00	1239.00	2211.00
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	4.50	0.00	4.50	6.00	0.00	6.00
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	69.00	325.00	394.00	89.00	158.00	247.00	65.00	157.00	222.00	223.00	640.00	863.00
25	पश्चिम	6.81	0.00	6.81	7.32	0.00	7.32	7.47	0.00	7.47	21.60	0.00	21.60
	बंगाल												
	संपूर्ण भारत	1377.87	1699.44	3077.31	1017.77	1121.84	2139.61	1053.47	1181.27	2234.74	3449.11	4002.55	7451.66

#### अनुलग्नक –III

#### चने का उत्पादन-सिंचित/असिंचित फसल के रूप में (वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

क्रम	राज्य का नाम						किसान परि	वार की श्रेणी					
सं.			छोटे			मध्यम			बड़े			सभी	
		सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
				उत्पादन			उत्पादन			उत्पादन			उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	23.38	12.74	36.12	24.14	14.57	38.71	20.83	7.62	28.45	68.35	34.93	103.28
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	3.99	15.45	19.44	9.22	29.91	39.13	16.04	19.45	35.49	29.25	64.81	94.06
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	16.35	5.87	22.22	23.73	13.96	37.69	18.53	13.23	31.76	58.61	33.06	91.67
7.	हरियाणा	28.94	93.96	122.90	23.58	43.85	67.43	49.08	108.57	157.65	101.60	246.38	347.98
8.	हिमाचल प्रदेश	0.09	0.81	0.90	0.00	1.00	1.00	0.09	1.71	1.80	0.18	3.52	3.70
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.06	0.06	0.00	0.10	0.10	0.01	0.19	0.20	0.01	0.35	0.36
10.	कर्नाटक	10.36	40.99	51.35	17.43	36.85	54.28	6.64	37.33	43.97	34.43	115.17	149.60
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	512.28	448.91	961.19	541.45	371.03	912.48	657.41	302.54	959.95	1711.14	1122.48	2833.62
13	महाराष्ट्र	71.55	8.35	79.90	77.26	9.99	87.25	94.60	11.44	106.04	243.41	29.78	273.19
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						-							
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	0.00	6.29	6.29	0.00	6.97	6.97	0.00	10.79	10.79	0.00	24.05	24.05
19	पंजाब	4.43	0.00	4.43	5.64	0.00	5.64	6.82	0.00	6.82	16.89	0.00	16.89
20	राजस्थान	604.46	340.08	944.54	247.63	193.25	440.88	192.48	310.88	503.36	1044.57	844.21	1188.78
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	0.00	0.63	0.63	0.00	0.33	0.33	2.26	1.10	3.36	2.26	2.06	4.32
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	95.22	260.27	355.49	125.49	134.71	260.20	92.30	134.07	226.37	313.01	529.05	842.06
25	पश्चिम बंगाल	0.00	4.35	4.35	0.00	3.94	3.94	0.00	5.83	5.83	0.00	14.12	14.12
	संपूर्ण भारत	1371.05	1238.76	2609.81	1095.57	860.46	1956.03	1157.09	964.75	2121.84	3623.71	3063.97	6687.68

#### चने का उत्पादन-अधिक पैदावार वाली किस्म और परम्परागत किस्म (वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

क्रम	राज्य का नाम						किसान परिव	ार की श्रेणी					(000 001 01)
सं.			छोटे			मध्यम			बड़े			सभी	
		एच.वाईवी	टी.वी.	कुल	एच.वाईवी	टी.वी.	कुल	एच.वाईवी	टी.वी.	कुल	एच.वाईवी	टी.वी.	कुल
				उत्पादन			उत्पादन			उत्पादन			उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	22.76	13.36	36.12	23.66	15.05	38.71	20.15	8.30	28.45	66.57	36.71	103.28
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	3.57	15.87	19.44	8.40	30.73	39.13	14.04	21.45	35.49	26.01	68.05	94.06
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	16.98	5.24	22.22	26.06	11.63	37.69	21.76	10.00	31.76	64.80	26.87	91.67
7.	हरियाणा	27.94	94.96	122.90	21.90	45.53	67.43	47.25	110.40	157.65	97.09	250.89	347.98
8.	हिमाचल प्रदेश	0.50	0.40	0.90	0.50	0.50	1.00	0.80	1.00	1.80	1.80	1.90	3.70
9.	जम्मू-कश्मीर	0.01	0.05	0.06	0.01	0.09	0.10	0.01	0.19	0.20	0.03	0.33	0.36
10.	कर्नाटक	9.61	41.74	51.35	15.95	38.33	54.28	12.81	31.16	43.97	38.37	111.23	149.60
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	500.91	460.28	961.19	527.84	384.64	912.48	638.84	321.11	959.95	1667.59	1166.03	2833.62
13	महाराष्ट्र	72.75	7.15	79.90	80.10	7.15	87.25	98.56	7.48	106.04	251.41	21.78	273.19
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	4.94	1.35	6.29	5.49	1.48	6.97	7.23	3.56	10.79	17.66	6.39	24.05
19	पंजाब	4.43	0.00	4.43	5.64	0.00	5.64	6.82	0.00	6.82	16.89	0.00	16.89
20	राजस्थान	590.14	354.40	944.54	256.28	184.60	440.88	207.63	295.73	503.36	1054.05	834.73	1188.78
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	0.63	0.00	0.63	0.33	0.00	0.33	3.36	0.00	3.36	4.32	0.00	4.32
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	94.21	261.28	355.49	130.48	129.72	260.20	94.89	131.48	226.37	319.58	522.48	842.06
25	पश्चिम बंगाल	4.35	0.00	4.35	3.94	0.00	3.94	5.83	0.00	5.83	14.12	0.00	14.12
	संपूर्ण भारत	1353.73	1256.08	2609.81	1106.58	849.45	1956.03	1179.98	941.86	2121.84	3640.29	3047.39	6687.68

अनुलग्नक –V

#### किसान परिवार की खपत के लिए चने रखना (वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

क्रम	राज्य का नाम		<u> </u>	(44 1330 3	9 का समाप्त हान वा	वार की श्रेणी		(000)	टन म)
प्राप्त सं.	राज्य यम गान		 छोटे		मध्यम	बडे			 सभी
·		मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन
			प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	6.97	19.30	6.15	15.89	3.42	12.02	16.54	16.01
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	4.03	20.73	12.84	32.81	5.67	15.98	22.54	23.96
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	5.87	26.42	7.75	20.56	5.41	17.03	19.03	20.76
7.	हरियाणा	32.23	26.22	15.30	22.69	26.20	16.62	73.73	21.19
8.	हिमाचल प्रदेश	0.79	87.78	0.86	86.00	1.52	84.44	3.17	85.68
9.	जम्मू-कश्मीर	0.06	93.33	0.06	60.00	0.13	65.00	0.25	69.44
10.	कर्नाटक	7.16	13.94	4.48	8.25	2.61	5.94	14.25	9.53
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	247.94	25.80	220.49	24.16	154.74	16.12	623.17	21.99
13	महाराष्ट्र	25.03	31.33	29.45	33.75	30.76	29.01	85.24	31.20
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	3.68	58.51	5.33	76.47	7.32	67.84	16.33	67.90
19	पंजाब	1.92	43.34	2.23	39.54	2.27	33.28	6.42	38.01
20	राजस्थान	149.39	15.82	110.03	24.96	96.88	19.25	356.30	18.86
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	0.09	14.29	0.04	12.12	0.29	8.63	0.42	9.72
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	96.87	27.25	61.15	23.50	40.53	17.90	198.55	23.58
25	पश्चिम बंगाल	0.97	22.30	0.68	17.26	0.58	9.95	2.23	15.79
	संपूर्ण भारत	583.00	22.34	476.84	24.38	378.33	17.83	1438.17	21.50

#### स्थायी मजद्रों की खपत के लिए चना रखना (वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

								(00	0 टन में)
क्रम	राज्य का नाम				किसान परि	वार की श्रेणी			
सं.			छोटे		मध्यम	बड़े			सभी
		मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन
			प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.26	1.34	0.56	1.43	0.40	1.13	1.22	1.30
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.45	2.03	0.70	1.86	0.40	1.26	1.55	1.69
7.	हरियाणा	2.06	1.68	1.29	1.91	1.75	1.11	5.10	1.47
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	32.30	3.36	26.28	2.88	28.89	3.01	87.47	3.09
13	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पंजाब -	0.08	1.81	0.09	1.60	0.07	1.03	0.24	1.42
20	राजस्थान	29.85	3.16	12.70	2.88	16.26	3.23	58.81	3.11
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	7.86	2.21	6.01	2.31	6.86	3.03	20.73	2.46
25	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण भारत	72.86	2.79	47.63	2.44	54.63	2.57	175.12	2.62

अनुलग्नक -VII

# <u>अस्थायी मजद्रों की खपत के लिए चना रखना</u> (वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

(000 टन में)

	T		(वष 1	१९४-५५ का	समाप्त होने वाला हि			(000)	टन में)
क्रम	राज्य का नाम				किसान परि	वार की श्रेणी			
सं.			छोटे		मध्यम	बड़े			सभी
		मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन
			प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.05	0.13	0.01	0.03	0.06	0.06
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.03	0.08	0.04	0.13	0.07	0.08
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.64	0.07	1.06	0.11	1.70	0.06
13	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	<b>उ</b> ड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	राजस्थान	0.00	0.00	0.22	0.05	0.76	0.15	0.98	0.05
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.57	0.22	0.61	0.27	1.18	0.14
25	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण भारत	0.00	0.00	1.51	0.08	2.48	0.12	3.99	0.06

अनुलग्नक –VIII

# कृषक (फर्म) स्तर पर खपत के लिए रखे गए चने की कुल मात्रा

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

क्रम	राज्य का नाम				किसान परिव	वार की श्रेणी			
सं.			छोटे		मध्यम	बड़े			सभी
		मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन
			प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6 15.89	7	8	9	10 16.01
1.	आंध्र प्रदेश	6.97	19.30	6.15		3.42	12.02	16.54	
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	4.29	22.07	13.45	34.37	6.08	17.13	23.82	25.32
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	6.32	28.44	8.48	22.50	5.85	18.42	20.65	22.53
7.	हरियाणा	34.29	27.90	16.59	24.60	27.95	17.73	78.83	22.65
8.	हिमाचल प्रदेश	0.79	87.78	0.86	86.00	1.52	84.44	3.17	85.68
9.	जम्मू-कश्मीर	0.06	100.00	0.06	60.00	0.13	65.00	0.25	69.44
10.	कर्नाटक	7.16	13.94	4.48	8.25	2.61	5.94	14.25	9.53
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	280.24	29.16	247.41	27.11	184.69	19.24	712.34	25.14
13	महाराष्ट्र	25.03	31.33	29.45	33.75	30.76	29.01	85.24	31.20
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	3.68	58.51	5.33	76.47	7.32	67.84	16.33	67.90
19	पंजाब	2.00	45.15	2.32	41.13	2.34	34.31	6.66	39.43
20	राजस्थान	179.24	18.98	122.95	27.89	113.90	22.63	416.09	22.03
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	0.09	14.29	0.04	12.12	0.29	8.63	0.42	9.72
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	104.73	29.46	67.73	26.03	48.00	21.20	220.46	26.18
25	पश्चिम बंगाल	0.97	22.30	0.68	17.26	0.58	9.95	2.23	15.79
	संपूर्ण भारत	655.86	25.13	525.98	26.89	435.44	20.52	1617.28	24.18

अनुलग्नक –IX

# किसान परिवार द्वारा चने की कुल खरीद

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

क्रम	राज्य का नाम				किसान परि	ग्रार की श्रेणी			
सं.			छोटे		मध्यम	बड़े			सभी
		मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन	मात्रा	कुल उत्पादन का
			प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.10	0.51	0.13	0.33	0.11	0.31	0.34	0.36
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	0.84	0.68	0.92	1.36	0.71	0.45	2.47	0.71
8.	हिमाचल प्रदेश	0.01	1.11	0.01	1.00	0.01	0.56	0.03	0.81
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	2.50	0.26	2.13	0.23	2.04	0.21	6.67	0.24
13	महाराष्ट्र	0.39	0.49	0.28	0.32	0.21	0.20	0.88	0.32
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	<b>उ</b> ड़ीसा	0.04	0.64	0.04	0.57	0.03	0.28	0.11	0.46
19	पंजाब पंजाब	0.02	0.45	0.02	0.35	0.02	0.29	0.06	0.36
20	राजस्थान	6.33	0.67	5.81	1.32	5.72	1.14	17.86	0.95
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	2.42	0.68	1.32	0.51	1.03	0.46	4.77	0.57
25	पश्चिम बंगाल	0.02	0.46	0.02	0.51	0.02	0.34	0.06	0.42
	संपूर्ण भारत	12.67	0.49	10.68	0.55	9.90	0.47	33.25	0.50
	1	1	1		1				1

अनुलग्नक –X

# कृषक स्तर पर के लिए किसान परिवार के लिए अपेक्षित चने की कुल मात्रा (वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

क्रम	राज्य का नाम			किसान परिवार की श्रेणी							
सं.			छोटे	-	मध्यम	बड़े		सभी			
		मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन	मात्रा	कुल उत्पादन का		
			प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	आंध्र प्रदेश	6.97	19.30	6.15	15.89	3.42	12.02	16.54	16.01		
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.	बिहार	4.39	22.58	13.58	34.70	6.19	17.44	24.16	25.69		
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.	गुजरात	6.32	28.44	8.48	22.50	5.85	18.42	20.65	22.53		
7.	हरियाणा	35.13	28.58	17.51	25.97	28.66	18.18	81.30	23.36		
8.	हिमाचल प्रदेश	0.80	88.89	0.87	87.00	1.53	85.00	3.20	86.49		
9.	जम्मू-कश्मीर	0.06	100.00	0.06	60.00	0.13	65.00	0.25	69.44		
10.	कर्नाटक	7.16	13.94	4.48	8.25	2.61	5.94	14.25	9.53		
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	मध्य प्रदेश	282.74	29.42	249.54	27.35	186.73	19.45	719.01	25.37		
13	महाराष्ट्र	25.42	31.81	29.73	34.07	30.97	29.21	86.12	31.52		
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	<b>उ</b> ड़ीसा	3.72	59.14	5.37	77.04	7.35	68.12	16.44	68.36		
19	पंजाब	2.02	45.60	2.34	41.49	2.36	34.60	6.72	39.79		
20	राजस्थान	185.57	19.65	128.76	29.21	119.62	23.76	433.95	22.98		
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	तामिलनाडु	0.09	14.29	0.04	12.12	0.29	8.63	0.42	9.72		
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	उत्तर प्रदेश	107.15	30.14	69.05	26.54	49.03	21.66	225.23	26.75		
25	पश्चिम बंगाल	0.99	22.76	0.70	17.77	0.60	10.29	2.29	16.22		
	संपूर्ण भारत	668.53	25.62	536.66	27.44	445.34	20.99	1650.53	24.68		

अनुलग्नक -XI

## <u>बीज के लिए कुल चना रखना</u>

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

क्रम	राज्य का नाम		(वर्ष 1998-99 का समाप्त हान वाला त्रिवार्षिक) (000 टन म) किसान परिवार की श्रेणी									
प्र. सं.	राठव वर्ग गांग		छोटे		मध्यम	बडे		सभी				
·		मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का प्रतिशत	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का प्रतिशत	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का प्रतिशत	मात्रा	कुल उत्पादन का प्रतिशत			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	आंध्र प्रदेश	4.41	12.21	5.54	14.31	4.34	15.25	14.29	13.84			
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.	बिहार	2.76	14.20	4.75	12.14	4.76	13.41	12.27	13.04			
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6.	गुजरात	1.61	7.25	2.85	7.56	2.53	7.97	6.99	7.63			
7.	हरियाणा	2.80	2.28	2.11	3.13	6.54	4.15	11.45	3.29			
8.	हिमाचल प्रदेश	0.03	3.33	0.03	3.00	0.07	3.89	0.13	3.51			
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10.	कर्नाटक	10.80	21.03	12.65	23.31	8.14	18.51	31.59	21.12			
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12	मध्य प्रदेश	75.65	7.87	71.81	7.87	77.47	8.07	224.93	7.94			
13	महाराष्ट्र	1.89	2.37	2.89	3.31	4.25	4.01	9.03	3.31			
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17	नागार्लंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18	<b>उ</b> ड़ीसा	0.71	11.29	0.77	11.05	1.28	11.86	2.76	11.48			
19	पंजाब	0.14	3.16	0.21	3.72	0.27	3.96	0.62	3.67			
20	राजस्थान	53.27	5.64	24.73	5.61	30.76	6.11	108.76	5.76			
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22	तामिलनाडु	0.15	23.81	0.08	24.24	0.83	24.70	1.06	24.54			
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
24	उत्तर प्रदेश	11.48	3.23	11.24	4.32	11.36	5.02	34.08	4.05			
25	पश्चिम बंगाल	0.53	12.18	0.52	13.20	0.80	13.72	1.85	13.10			
	संपूर्ण भारत	166.23	6.37	140.18	7.17	153.40	7.23	459.81	6.88			

अनुलग्नक -XI(क)

# बीज के लिए रखे गए चने की कुल मात्रा-सिंचित/असिंचित फसल के रूप में

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

क्रम	राज्य का नाम		सिंचित			असिंचित		रखी गई कुल
सं.		क्षेत्र	रखी गई मात्रा	कॉलम ९ की	क्षेत्र	रखी गई मात्रा	कॉलम 9 की	मात्रा
				प्रतिशत			प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	68.72	8.21	57.45	51.58	6.08	42.55	14.29
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	24.78	3.19	26.00	98.72	9.08	74.00	12.27
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	63.06	4.01	57.37	62.60	2.98	42.63	6.99
7.	हरियाणा	78.28	2.54	22.18	267.22	8.91	77.82	11.45
8.	हिमाचल प्रदेश	1.56	0.00	0.00	2.09	0.13	100.00	0.13
9.	जम्मू-कश्मीर	0.02	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	43.28	5.11	16.18	259.23	26.48	83.82	31.59
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	1269.11	103.14	45.85	1276.39	121.79	54.15	224.93
13	महाराष्ट्र	622.57	5.85	64.78	106.93	3.18	35.22	9.03
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	36.99	2.76	100.00	2.76
19	पंजाब पंजाब	16.48	0.62	100.00	0.00	0.00	0.00	0.62
20	राजस्थान	972.95	64.20	59.03	1238.05	44.56	40.97	108.76
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	6.00	1.06	100.00	0.00	0.00	0.00	1.06
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	223.00	8.45	24.79	640.00	25.63	75.21	34.08
25	पश्चिम बंगाल	7.32	0.61	32.97	14.28	1.24	67.03	1.85
	संपूर्ण भारत	3397.13	206.99	45.02	4054.53	252.82	54.98	459.81

अनुलग्नक –XII

# <u>पशु चारे के लिए चना रखना</u>

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

क्रम	राज्य का नाम		(वष १९७४-९९ का समाप्त हान वाला ।त्रवाषिक) (००० टन म) किसान की श्रेणी									
सं.	(10 4 4.11 61101		छोटे		मध्यम	बड़े		सभी				
		मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का प्रतिशत	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का प्रतिशत	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का प्रतिशत	मात्रा	कुल उत्पादन का प्रतिशत			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	आंध्र प्रदेश	1.46	4.04	1.50	3.87	1.14	4.01	4.10	3.97			
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.	बिहार	1.25	6.43	2.34	5.98	2.35	6.62	5.94	6.32			
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5.	गुजरात	1.85	8.33	3.04	8.07	2.59	8.15	7.48	8.16			
7.	हरियाणा	10.25	8.34	6.14	9.11	16.10	10.21	32.49	9.34			
8.	हिमाचल प्रदेश	0.04	4.44	0.04	4.00	0.08	4.44	0.16	4.32			
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10.	कर्नाटक	2.62	5.10	3.32	6.12	2.98	6.78	8.92	5.96			
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12	मध्य प्रदेश	66.23	6.89	57.76	6.33	61.72	6.43	185.71	6.55			
13	महाराष्ट्र	6.08	7.61	6.12	7.01	8.35	7.87	20.55	7.52			
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18	उड़ीसा	0.35	5.56	0.32	4.59	0.54	5.00	1.21	5.03			
19	पंजाब	0.25	5.64	0.30	5.32	0.39	5.72	0.94	5.57			
20	राजस्थान	46.94	4.97	19.31	4.38	25.22	5.01	91.47	4.84			
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22	तामिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
24	उत्तर प्रदेश	25.74	7.24	18.08	6.95	16.34	7.22	60.16	7.14			
25	पश्चिम बंगाल	0.29	6.67	0.28	7.11	0.44	7.55	1.01	7.15			
	संपूर्ण भारत	163.35	6.26	118.55	6.06	138.24	6.52	420.14	6.28			

अनुलग्नक –XIII

#### स्थायी मजद्रों को वस्तु के रूप में और नकद भुगतान के लिए चने का उपयोग-छोटे श्रेणी के किसान

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

					(94 13	יוטוי איף ככ טכי	त हान पाला ।त्रपााषक	,	(000 8
क्रम	राज्य का नाम	वस्तु के रूप में	भुगतान के लिए	प्रयुक्त मात्रा	नकद रूप	में भुगतान के ि	ोए प्रयुक्त मात्रा	वस्तु के रूप में	श्रेणी के उत्पादन
सं.						(कुल बिक्री में	से)	और नकद भुगतान	का प्रतिशत
		चालू वर्ष की	पिछले वर्ष	नकद की	चालू वर्ष की	पिछले वर्ष	नकद भुगतान के	के लिए प्रयुक्त	
		फसल से	की फसल से	कुल मात्रा	फसल की	की फसल की	लिए बेची गई	मात्रा	
					बिक्री से	बिक्री से	कुल मात्रा	<b>(</b> 5+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.41	0.00	0.41	0.23	0.00	0.23	0.64	2.88
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	2.20	0.00	2.20	4.82	20.20	25.02	27.22	2.83
13	महाराष्ट्र	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	1.31
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	<b>उ</b> ड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	राजस्थान	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	13.70	1.45
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00	9.38	2.64
25	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण भारत	26.74	0.00	26.74	5.05	20.20	25.25	51.99	1.99

# स्थायी मजदूरों को वस्तु के रूप में और नकद भुगतान के लिए चने का उपयोग-मध्यम श्रेणी के किसान

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

					(44 15	(000 Cc			
क्रम	राज्य का नाम	वस्तु के रूप में	भुगतान के लिए	प्रयुक्त मात्रा	नकद रूप	वस्तु के रूप एवं नकद	श्रेणी के		
सं.						(कुल बिक्री में	से)	भुगतान के लिए	उत्पादन का
		चालू वर्ष की	पिछले वर्ष की	नकद की कुल	चालू वर्ष की	पिछले वर्ष	नकद के लिए	प्रयुक्त कुल मात्रा	प्रतिशत
		फसल से	फसल से	मात्रा	फसल की	की फसल की	बेची गई कुल	<b>(</b> 5+8)	
					बिक्री से	बिक्री से	मात्रा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.68	0.00	0.68	0.50	0.02	0.52	1.20	3.18
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	3.11	0.00	3.11	1.36	1.50	2.86	5.97	0.65
13	महाराष्ट्र	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	1.51
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागात्रैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पंजाब	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	1.95
20	राजस्थान	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00	14.02	3.18
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00	10.26	3.94
25	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण भारत	29.50	0.00	29.50	1.86	1.52	3.39	32.88	1.68
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i		1	i	i .		1	

# स्थायी मजद्रों को वस्तु के रूप में और नकद भुगतान के लिए चने का उपयोग-बड़ी श्रेणी के किसान

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

				(वर्ष 1998-99	को समाप्त होने	वाला त्रिवाषिक	5)		(000) टन मे
क्रम	राज्य का नाम	वस्तु के	रूप में भुगतान वे	h लिए प्रयुक्त	नकद रूप	में भुगतान के वि	त्रेए प्रयुक्त मात्रा	भुगतान में	श्रेणी के उत्पादन
सं.		मात्रा				(कुल बिक्री में	से)	प्रयुक्त कुल मात्रा	का प्रतिशत
		चालू वर्ष	पिछले वर्ष की	नकद	चालू वर्ष की	पिछले वर्ष	नकद भुगतान के	<b>(</b> 5+8)	
		की फसल	फसल से	भुगतान की	फसल की	की फसल की	लिए बेची गई		
		से		कुल मात्रा	बिक्री से	बिक्री से	कुल मात्रा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.52	0.00	0.52	0.60	0.02	0.60	1.12	3.53
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	3.94	0.89	4.83	5.87	0.42	6.29	11.12	1.16
13	महाराष्ट्र	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23	1.16
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	<b>उ</b> ड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पंजाब पंजाब	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	2.20
20	राजस्थान	15.50	0.00	15.50	0.22	0.00	0.22	15.72	3.12
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00	8.31	3.67
25	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण भारत	29.65	0.89	30.54	6.69	0.42	7.11	37.65	1.77
<u> </u>	1 "	1	l .	1	1	1	l .		

अनुलग्नक –XVI <u>स्थायी मजदूरों को वस्तु के रूप में और नकद भुगतान के लिए चने का उपयोग-सभी श्रेणीयों के संबंध में</u>

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

	(वर्ष १५५४-५५ की समाप्त होने वाला १३वार्षक)									
क्रम	राज्य का नाम	वस्तु के स	वस्तु के रूप में भुगतान के लिए प्रयुक्त नकद रूप में भुगतान के लिए प्रयुक्त मात्रा वस्तु और नकद							
सं.		मात्रा	-	-		(कुल बिक्री में	रूप में प्रयुक्त	का प्रतिशत		
		चालू वर्ष	पिछले वर्ष की	नकद	चालू वर्ष की	पिछले वर्ष	नकद भुगतान के	कुल मात्रा		
		की फसल	फसल से	भुगतान की	फसल की	की फसल की	लिए बेची गई	<b>(</b> 5+8)		
		से		कुल मात्रा	बिक्री में से	बिक्री में से	कुल मात्रा			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	गुजरात	1.61	0.00	1.61	1.33	0.02	1.35	2.96	3.23	
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
).	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	मध्य प्रदेश	9.25	0.89	10.14	12.05	22.12	34.17	44.31	1.56	
13	महाराष्ट्र	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	1.32	
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	पंजाब	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	1.54	
20	राजस्थान	43.22	0.00	43.22	0.22	0.00	0.22	43.44	2.30	
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	तामिलनाइ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	उत्तर प्रदेश	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00	27.95	3.32	
25	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	संपूर्ण भारत	85.89	0.89	86.78	13.60	22.14	76.13	122.52	1.83	

#### अनुलग्नक -XVII

#### चने (चालू वर्ष की फसल) की बिक्री से प्राप्त धन राशि में से कुछ धन राशि का अस्थायी मजद्रों को नकद भुगतान के लिए उपयोग (छोटे किसान के संबंध में)

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

		(वर्षे 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)							(000 टन मे)		
						प्रयुक्त मात्र	Т				
क्र सं.	राज्य का नाम	अस्थायी	प्रयुक्त फार्म	गांव के कारीगरों	जमीनदार	जमीनदार को	ऋण की चुकौती	भू-राजस्व	सिंचाई एवं	अन्य	योग
я <sup>,</sup> (п.	(10 न नग गावा	किसान	मशीन एवं	को भुगतान करने	को लगान	उत्पादन का			अन्य प्रभार		
		मजदूर	उपस्कर	की प्रथा	के रूप में	हिस्सा					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	3.76	0.00	3.76	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	2.67
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	15.63	8.12	5.63	8.12	0.47	0.00	0.00	1.59	0.37	39.93
13	महाराष्ट्र	1.37	1.96	1.37	1.96	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00	11.24
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	राजस्थान	11.69	0.95	2.24	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	15.88
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	2.74	1.25	2.74	1.25	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59
25	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण भारत	37.29	12.48	17.84	12.48	1.14	0.00	0.00	8.84	0.42	90.49

अनुलग्नक –XVIII

#### चने (चालू वर्ष की फसल) की बिक्री से प्राप्त धन राशि में से कुछ धन राशि का अस्थायी मजदुरों को नकद भुगतान करने के लिए उपयोग और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग (मध्यम श्रेणी के किसानों के संबंध में)

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

				(वर्षे 1998-99 व	र्ग समाप्त होने	वाला त्रिवाषिक)				(000 ਟਰ	न में)
						प्रयुक्त मात्रा					
क्र सं.	राज्य का नाम	अस्थायी	प्रयुक्त फार्म	गांव के कारीगरों	जमीनदार	जमीनदार को	ऋण की	भू-राजस्व	सिंचाई एवं	अन्य	योग
я/ (1.	(10 प पंग गांग	किसान	मशीन एवं	को भुगतान करने	को किराए	उत्पादन का हिस्से	चुकौती		अन्य प्रभार		
		मजदूर	उपस्कर	की प्रथा	के रूप में	के रूप में	_				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	1.43	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
7.	हरियाणा	0.09	0.65	0.09	0.00	0.00	1.32	0.00	0.05	0.76	2.96
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	14.42	2.89	0.21	0.00	0.00	1.40	0.60	5.93	0.00	25.45
13	महाराष्ट्र	1.74	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	2.47
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	राजस्थान	1.85	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	0.45	6.81
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	2.06	1.28	0.65	0.00	0.00	0.60	0.18	1.88	0.06	6.71
25	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण भारत	21.70	4.99	0.95	0.00	0.00	3.32	0.78	12.31	1.98	46.03

अनुलग्नक –XIX

## चने (चालू वर्ष की फसल) की बिक्री से प्राप्त धन राशि में से कुछ धन राशि का अस्थायी मजद्रों को नकद भुगतान करने के और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग (बडे श्रेणी के किसानों के संबंध में)

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

						प्रयुक्त मात्रा			(00)		
æ ti		अस्थायी	खेती से संबंधित	गांव के कारीगरों	जमीनदार	जमीनदार को	ऋण की	भू-राजस्व	सिंचाई एवं	अन्य	वस्तु के रूप
क्र सं.	राज्य का नाम	किसान	उपस्कर एवं मशीन	को भुगतान करने	को किराए	उत्पादन का हिस्से	चुकौती		अन्य प्रभार		में कुल
		मजदूर		की प्रथा	के रूप में	के रूप में					भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	1.46	0.02	0.00	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	1.56
7.	हरियाणा	0.61	0.48	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.01	0.00	1.19
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.21	0.11	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	13.92	8.79	0.31	0.01	0.03	0.94	0.02	6.89	0.26	31.17
13	महाराष्ट्र	1.79	0.18	0.01	0.00	0.00	5.81	0.00	0.03	0.47	8.29
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	राजस्थान	2.89	0.46	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	2.82	0.54	6.95
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.51	0.06	0.00	0.00	0.66
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	2.19	2.80	0.00	0.00	0.00	1.17	0.12	0.14	0.09	6.51
25	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण भारत	23.11	12.89	0.40	0.07	0.03	8.76	0.22	9.89	1.37	56.74

अनुलग्नक –XX

# चने (चाल् वर्ष की फसल) की बिक्री से प्राप्त धन राशि में से कुछ धन राशि का अस्थायी मजदूरों को नकद भुगतान और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग सभी श्रेणियों के किसानों के संबंध में

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

				(44 1998-99 4	1 (1011-(1 (101	41011447			(000	टन म)	
						प्रयुक्त मात्रा					
क्र सं.	राज्य का नाम	अस्थायी	खेती से संबंधित	गांव के कारीगरों	जमीनदार	जमीनदार को	ऋण की	भू-राजस्व	सिंचाई एवं	अन्य	योग
" ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	किसान	उपस्कर एवं मशीन	को भुगतान करने	को किराए	उत्पादन का हिस्से	चुकौती		अन्य प्रभार		
		मजदूर		की प्रथा	के रूप में	के रूप में					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	6.65	0.05	3.76	0.06	0.06	0.00	0.02	0.00	0.00	10.60
7.	हरियाणा	0.70	1.13	0.09	0.00	0.00	1.41	0.00	2.73	0.76	6.82
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्म्-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.26	0.31	0.08	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	43.97	19.80	6.15	8.13	0.50	2.34	0.62	14.41	0.63	96.55
13	महाराष्ट्र	4.90	2.18	1.38	1.96	0.00	5.81	0.00	4.61	1.16	22.00
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागात्रेंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
18	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	राजस्थान	16.43	1.47	2.24	0.95	0.00	0.24	0.00	7.27	1.04	29.64
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	0.10	0.09	0.00	0.00	0.00	0.51	0.06	0.00	0.00	0.76
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	6.99	5.33	3.39	1.25	0.61	1.77	0.30	2.02	0.15	21.81
25	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण भारत	82.10	30.36	19.19	12.55	1.17	12.08	1.00	31.04	3.77	191.26

अनुलग्नक –XXI

## चने (चालू वर्ष की फसल) की बिक्री से प्राप्त धन राशि में से कुछ धन राशि का अस्थायी मजदूरों को नकद भुगतान और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग (छोटे श्रेणियों के किसानों के संबंध में)

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

						प्रयुक्त मात्रा					
क्र सं.	राज्य का नाम	अस्थायी किसान मजदूर	खेती से संबंधित उपस्कर एवं मशीन	गांव के कारीगरों को भुगतान करने की प्रथा	जमीनदार को किराए के रूप में	जमीनदार को उत्पादन का हिस्से के रूप में	ऋण की चुकौती	भू-राजस्व	सिंचाई एवं अन्य प्रभार	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	0.76	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	15.42	0.35	16.65
13	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तामिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
25	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण भारत	1.90	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	15.42	0.35	17.79
	ı ·•							l .			

## चने (पिछले वर्ष की फसल) की बिक्री से प्राप्त धन राशि में से

#### कुछ

अनुलग्नक-XXII

# धन राशि का अस्थाई मजदूरों को नकद भुगतान और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग-मध्यम श्रेणी के किसानों के लिए

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

				ठ-५५ पर्ग समाप्त हान		प्रयुक्त मात्रा				(000	टन म)
क्रम.स		अस्थाई किसान मजदूर	खेती से संबंधित उपस्कर एवं मशीन	गाँव के कारीगरों को प्रथागत भुगतान		उपज के हिस्से के रूप में जमीदार को		भू- राजस्व	सिंचाई एवं अन्य प्रभार	अन्य	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	0.98	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	3.23	0.00	6.92
13.	महाराष्ट्र	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	<b>उ</b> ड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तामिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	0.29	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.68	1.93
	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	संपूर्ण भारत	1.60	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	3.80	0.69	9.19

## चने (पिछले वर्ष की फसल) की बिक्री से प्राप्त धन राशि में से कुछ धन राशि का अस्थाई मजदूरों को नकद भुगतान और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग- बड़े के किसानों के लिए

(000 टन में)

अनुलग्नक-XXIII

						प्रयुक्त मात्रा					
क्रम.स	राज्य का नाम	अस्थाई किसान मजदूर	खेती से संबंधित उपस्कर एवं मशीन	गाँव के कारीगरों को प्रथागत भुगतान		उपज के हिस्से के रूप में जमीदार को		भू- राजस्व	सिंचाई एवं अन्य प्रभार	अन्य	कुल योग
		• •		3							- 10
1	2	3 0.00	0.00	5 0.00	6 0.00	7 0.00	8 0.00	9 0.00	10 0.00	0.00	12 0.00
	आंध्र प्रदेश										
	अरूणाचल प्रदेश			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	असम	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	बिहार	0.00					0.00	0.00		0.00	
	गोवा	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	गुजरात	0.01	0.00			0.00	0.00	0.00		0.02	
	हरियाणा	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
	हिमाचल प्रदेश	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	
	जम्मू कश्मीर	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	
10.	कर्नाटक	0.18			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	0.48	0.42	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.90	3.97
13.	महाराष्ट्र	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	1.68
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तामिलनाडु	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	0.06	0.35	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.25	0.00	1.06
	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण भारत	1.89	0.80	0.12	0.00	0.00	0.40	0.00	2.33	1.48	7.02

## चने (पिछले वर्ष की फसल) की बिक्री से प्राप्त धन राशि में से कुछ धन राशि का अस्थाई मजदूरों को नकद भुगतान और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग-सभी श्रेणियों के किसानों के लिए

(000 टन में)

अनुलग्नक-XXIV

प्रशास		Т		(44 1998-9)	9 का समाप्त हान वार						(000	टन म
प्रश्निक   प्रश्निक   प्रथमिक   प्रथमिक   प्रथमिक   प्रथमिक   प्रयम्क   प्रयम्क   प्रथमिक   प्रथमिक   प्रथमिक   प्रयम्क   प्रयम्क   प्रयम्क   प्रयम्क   प्रयम्क   प्रयम्क   प्रयम्क   प्रथमिक   प्रयम्क							प्रयुक्त मात्रा					
1 2 3 44 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 7 8 9 9 10 11 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	क्रम.स	राज्य का नाम	अस्थाई किसान	खेती से संबंधित					भू- राजस्व	सिंचाई एवं	अन्य	कुल योग
1   अंध प्रदेश   0.00   0.			मजदूर	उपस्कर एवं मशीन	प्रथागत भुगतान	में जमीदार को	रूप में जमीदार को	चुकौती		अन्य प्रभार		
2         अरुणावल प्रदेश         0.00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3         असम         0.00         0.	1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 विहाद   0.00   0.0	2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. जीवा   0.00   0.	3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. गुजरात       0.01       0.00	4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
जिस्साण   0.00   0.0	5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. हिमाचल प्रदेश       0.00       0.	6.	गुजरात	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
अनुमू कश्मीर   0.00	7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 कर्नाटक 0.18 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11         केरल         0.00	9.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. मध्य प्रदेश 2.22 3.23 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 20.73 1.25 27.54 13 महाराष्ट्र 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	10.	कर्नाटक	0.18	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
13 महाराष्ट्र   1.48   0.00	11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 मणिपुर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	12.	मध्य प्रदेश	2.22	3.23	0.09	0.00	0.00	0.00	0.02	20.73	1.25	27.54
15. मेघालय   0.00	13.	महाराष्ट्र	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	2.01
16.       मिजोरम       0.00	14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. नागालैण्ड 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. उड़ीसा       0.00 <td>16.</td> <td>मिजोरम</td> <td>0.00</td>	16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19. पंजाब       0.00	17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20. राजस्थान         0.00	18.	उड़ीसा			0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
21. सिक्किम       0.00 <td>19.</td> <td>पंजाब</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>	19.	पंजाब									0.00	0.00
22. तामिलनाडु       0.01       0.03       0.00<	20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23   त्रिपुरा   0.00												0.00
24. उत्तर प्रदेश     1.49     0.74     0.00     0.00     0.00     0.40     0.00     0.82     0.68     4.13       25. पश्चिम बंगाल     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00			0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
25.       पश्चिम बंगाल       0.00 <td>23.</td> <td>त्रिपुरा</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td>	23.	त्रिपुरा			0.00	0.00	0.00					0.00
	24.	उत्तर प्रदेश										4.13
26. संपूर्ण भारत 5.39 4.00 0.12 0.00 0.00 0.40 0.02 21.55 2.52 34.00												0.00
	26.	संपूर्ण भारत	5.39	4.00	0.12	0.00	0.00	0.40	0.02	21.55	2.52	34.00

# अस्थाई मज़दूरों को वस्तु के रूप में भुगतान के लिए चने का उपयोग-छोटे किसानों के संबंध में (वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

अनुलग्नक-XXV

			(11.12)000	तमाप्त हान पाला ।उप		प्रयुक्त मात्रा					(००० टल म)
क्रम.स	राज्य का नाम	अस्थाई किसान	खेती से संबंधित	गाँव के कारीगरों को	किराए के रूप	उपज के हिस्से के	ऋण की	भू- राजस्व	सिंचाई एवं	अन्य	वस्तु के रूप में
		मजदूर		प्रथागत भुगतान				"	अन्य प्रभार		कुल भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.43	0.04	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	हरियाणा	0.00	0.08	0.00	0.08	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	1.39	0.20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	41.63	0.56	13.89	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	1.52	58.54
13.	महाराष्ट्र	2.87	0.00	0.07	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	1.43	6.27
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	94.94	0.00	1.01	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	96.44
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तामिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	3.07	0.37	0.39	0.00	3.53	0.00	0.00	0.21	0.00	7.57
25.	पश्चिम बंगाल	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	संपूर्ण भारत	144.33	1.25	15.38	0.08	6.76	2.84	0.00	0.21	2.95	173.80

# अस्थाई मज़दूरों को वस्तु के रूप में भुगतान और अन्य प्रयोजनों के लिए चने

## का उपयोग- मध्यम श्रेणी किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-XXVI ..

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

						प्रयुक्त मात्रा					
क्रम.स	राज्य का नाम	अस्थाई किसान	खेती से संबंधित	गाँव के कारीगरों को	किराए के रूप	उपज के हिस्से के	ऋण की	भू- राजस्व	सिंचाई एवं	अन्य	वस्तु के रूप में
		मजदूर	उपस्कर एवं मशीन	प्रथागत भुगतान	में जमीदार को	रूप में जमीदार को	चुकौती		अन्य प्रभार		कुल भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4.	बिहार	2.02	0.00	0.03	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	हरियाणा	0.72	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
8.	हिमाचल प्रदेश	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
9.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	1.20	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	1.34
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	50.61	0.73	2.77	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	3.91	58.12
13.	महाराष्ट्र	2.95	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20.	राजस्थान	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तामिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	5.26
	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	संपूर्ण भारत	70.01	0.73	2.91	0.00	0.83	0.00	0.00	0.06	3.95	78.49

# अस्थाई मज़दूरों को वस्तु के रूप में भुगतान और अन्य प्रयोजनों के लिए चने का उपयोग-बड़े

#### किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-XXVII (000 टन में)

					प्रय्	रुत मात्रा					
क्रम.स	राज्य का नाम	अस्थाई किसान	खेती से संबंधित	गाँव के कारीगरों को	किराए के रूप	उपज के हिस्से के	ऋण की	भू- राजस्व	सिंचाई एवं	अन्य	वस्तु के
		मजदूर	उपस्कर एवं मशीन	प्रथागत भुगतान	में जमीदार को	रूप में जमीदार को	चुकौती		अन्य प्रभार		रूप में कुल
		·									भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.0
	असम	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4.	बिहार	2.23	0.00	0.01			0.00	0.00		0.00	0.2
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	हरियाणा	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	2.2
8.	हिमाचल प्रदेश	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
9.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
10.	कर्नाटक	0.94	0.07	0.31	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	1.3
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
12.	मध्य प्रदेश	54.80	0.17	0.58	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	2.39	57.9
13.	महाराष्ट्र	3.19	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	3.3
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	पंजाब	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20.	राजस्थान	5.16	3.35	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	8.8
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22.	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	उत्तर प्रदेश	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.0
	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	संपूर्ण भारत	72.67	3.59	1.01	0.04	0.00	0.04	0.00	0.03	2.75	80.1

# अस्थाई मज़दूरों को वस्तु के रूप में भुगतान और अन्य प्रयोजनों 🌎 के लिए चने का उपयोग- सभी श्रेणियों किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-XXVIII

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

					प्रयु	क्त मात्रा					
क्रम.स	राज्य का नाम	अस्थाई किसान	खेती से संबंधित	गाँव के कारीगरों को	लगान के रूप	उपज के हिस्से के	ऋण की	भू- राजस्व	सिंचाई एवं	अन्य	वस्तु के
		मजदूर	उपस्कर एवं मशीन	प्रथागत भुगतान	में जमीदार को	रूप में जमीदार को	चुकौती		अन्य प्रभार		रूप में
											कुल
											भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	आंध्र प्रदेश	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अरूणाचल प्रदेश	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00
	असम	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	बिहार	4.68		0.04	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
	गोवा	0.00		0.00			0.00			0.00	0.00
	गुजरात	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	हरियाणा	2.94		0.01	0.08	1.87	0.00	0.00		0.02	5.00
	हिमाचल प्रदेश	0.07		0.00			0.00			0.00	0.07
	जम्मू कश्मीर	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
10.	कर्नाटक	3.53	0.27	0.43	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	4.33
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	147.04	1.46	17.24	0.00	0.10	0.98	0.00	0.00	7.82	174.64
	महाराष्ट्र	9.01	0.00	0.15	0.00	0.44	1.90	0.00	0.03	1.43	12.96
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20.	राजस्थान	107.37	3.35	1.04	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.32	112.57
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	12.32	0.37	0.39	0.00	3.53	0.00	0.00	0.27	0.00	16.88
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	संपूर्ण भारत	287.01	5.57	19.30	0.12	7.59	2.88	0.00	0.30	9.65	332.42

## गहाई के दौरान चने की हानि

अनुलग्नक-XIXX

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

			(11 222 2		विज्ञान परिवार की	ो श्रेणी			(000 ਵਰ ਅ)
क्रम.स	राज्य का नाम		छोटे		मध्यम		बड़े		सभी
	-	मात्रा	उत्पादन का प्रतिशत	मात्रा	उत्पादन का प्रतिशत	मात्रा	उत्पादन का प्रतिशत	मात्रा	उत्पादन का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.37	1.02	0.30	0.77	0.25	0.88	0.92	0.89
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.13	0.67	0.38	0.97	0.31	0.87	0.82	0.87
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.13	0.59	0.33	0.88	0.30	0.94	0.76	0.83
7.	हरियाणा	0.98	0.80	0.35	0.52	1.50	0.95	2.83	0.81
8.	हिमाचल प्रदेश	0.005	0.56	0.006	0.60	0.015	0.83	0.026	0.70
9.	जम्मू कश्मीर	0.0005	0.83	0.0005	0.50	0.002	1.00	0.003	0.83
10.	कर्नाटक	0.51	0.99	0.24	0.44	0.35	0.80	1.10	0.74
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	7.61	0.79	8.57	0.94	8.87	0.92	25.05	0.88
13.	महाराष्ट्र	0.45	0.56	0.34	0.39	0.54	0.51	1.33	0.49
	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	<b>उ</b> ड़ीसा	0.04	0.64	0.05	0.72	0.06	0.56	0.15	0.62
19.	पंजाब	0.03	0.68	0.04	0.71	0.05	0.73	0.12	0.71
20.	राजस्थान	5.84	0.62	2.25	0.51	4.38	0.87	12.47	0.66
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	0.005	0.79	0.004	1.21	0.02	0.60	0.029	0.67
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	2.59	0.73	1.37	0.53	2.21	0.98	6.17	0.73
25.	पश्चिम बंगाल	0.03	0.69	0.02	0.51	0.03	0.51	0.08	0.57
26.	संपूर्ण भारत	18.72	0.72	14.25	0.73	18.89	0.89	51.86	0.77

#### गहाई के दौरान चने की हानि-स्त्रोतकर

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

अनुलग्नक-XXX (000 टन में)

स्त्रोत यांत्रिक श्रमशक्ति गहाई में कुल क्षति पश् क्रम.स राज्य का नाम कॉलम 12 का उत्पादन का | कॉलम 12 का कॉलम 12 का उत्पादन का उत्पादन का मात्रा उत्पादन का मात्रा मात्रा मात्रा प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 0.00 0.00 0.04 4.35 0.88 0.85 95.65 0.89 0.00 0.04 0.92 1. आंध्र प्रदेश 2. अरूणाचल प्रदेश 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <sup>3.</sup> असम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <sup>4.</sup> बिहार 10.98 84.15 0.04 0.87 0.09 0.10 0.69 0.73 0.04 4.88 0.82 5. गोवा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.59 71.05 0.05 0.17 22.37 0.83 0.05 6.58 0.19 0.76 <sup>6.</sup> गुजरात <sup>7.</sup> हरियाणा 2.51 0.72 88.69 0.31 0.09 10.95 0.01 0.00 0.35 2.83 0.81 0.03 0.70 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.70 8. हिमाचल प्रदेश 0.83 0.83 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 <sup>9.</sup> जम्मू कश्मीर 0.000.000.000.74 0.24 32.73 0.65 0.43 0.09 10. कर्नाटक 0.36 59.09 0.06 8.18 1.10 11. केरल 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <sup>12.</sup> मध्य प्रदेश 20.74 0.73 82.79 3.07 0.11 12.26 1.24 0.04 4.95 25.05 0.88 13. महाराष्ट्र 0.85 0.31 63.91 0.11 8.27 0.37 0.14 27.82 1.33 0.49 0.04 <sup>14</sup>. मणिपुर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <sup>15</sup>. मेघालय 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <sup>16.</sup> मिजोरम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17. नागालैण्ड 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <sup>18.</sup> उड़ीसा 0.15 0.62 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.62 <sup>19.</sup> पंजाब 0.12 0.71 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.71 0.58 88.37 1.20 12.47 0.66 <sup>20.</sup> राजस्थान 11.02 0.06 9.62 0.25 0.01 2.00 <sup>21.</sup> सिक्किम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22. तमिलनाडू 34.48 0.02 0.44 65.52 0.000.00 0.00 0.01 0.23 0.03 0.67 <sup>23.</sup> त्रिपुरा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.29 0.73 <sup>24.</sup> उत्तर प्रदेश 0.57 0.07 9.24 0.63 85.74 0.31 0.04 5.02 6.17 25. पश्चिम बंगाल 0.08 0.57 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.57 3.37 <sup>26.</sup> संपूर्ण भारत 37.08 0.55 71.50 11.41 0.17 22.00 0.05 6.50 51.86 0.77

## ओसाई के दौरान चने की हानि

XXXI

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

(000 टन में)

अनुलग्नक-

					किसानों की स्	्ची			
क्रम.स	राज्य का नाम		छोटे		मध्यम		बड़े		सभी
	 	मात्रा	उत्पादन का प्रतिशत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.19	0.53	0.41	1.06	0.28	0.98	0.88	
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.25	1.29	0.27	0.69	0.35	0.99	0.87	0.92
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.20	0.90	0.25	0.66	0.31	0.98	0.76	0.83
	हरियाणा	1.04	0.85	0.62	0.92	1.53	0.97	3.19	0.92
8.	हिमाचल प्रदेश	0.01	1.11	0.012	1.20	0.015	0.83	0.037	1.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.001	1.67	0.004	4.30	0.003	1.50	0.0083	2.31
10.	कर्नाटक	0.40	0.78	0.57	1.05	0.37	0.84	1.34	0.90
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	6.48	0.67	5.43	0.60	6.64	0.69	18.55	0.65
13.	महाराष्ट्र	1.20	1.50	1.31	1.50	0.87	0.82	3.38	1.24
	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.05	0.79	0.06	0.86	0.07	0.65	0.18	0.75
19.	पंजाब	0.04	0.90	0.06	1.06	0.06	0.88	0.16	0.95
20.	राजस्थान	7.04	0.75	5.29	1.20	3.01	0.60	15.34	0.81
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	0.008	1.27	0.006	1.82	0.03	0.89	0.044	1.02
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	2.78	0.78	2.41	0.93	1.89	0.83	7.08	0.84
	पश्चिम बंगाल	0.03	0.69	0.04	1.02	0.04	0.69	0.11	0.78
26.	संपूर्ण भारत	19.72	0.76	16.74	0.86	15.47	0.73	51.93	0.78

## ओसाई के दौरान चने की हानि-यांत्रिक/श्रम शक्ति

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

अनुलग्नक-XXXII (000 टन में)

1 1. आंध्र 2. अरू 3. अस 4. बिहा 5. गोव	हार वा जरात	#I河 3 0.70 0.00 0.00 0.59 0.00 0.76	0.00 0.00	कॉलम 9 का प्रतिशत 5 79.55 0.00 0.00	मात्रा 6 0.18	श्रम शक्ति उत्पादन का प्रतिशत 7 0.17	कॉलम 9 का प्रतिशत 8 20.45	मात्रा 9 0.88	उत्पादन का कुल प्रतिशत 10
1. आंध्र 2. अरू 3. अस 4. बिहा 5. गोव 6. गुज	ध्र प्रदेश रूणाचल प्रदेश सम हार वा	3 0.70 0.00 0.00 0.59 0.00	4 0.68 0.00 0.00 0.63	5 79.55 0.00 0.00	6 0.18 0.00	7 0.17	8	9	10
1. आंध्र 2. अरू 3. अस 4. बिहा 5. गोव 6. गुज	ध्र प्रदेश रूणाचल प्रदेश सम हार वा	0.70 0.00 0.00 0.59 0.00	0.68 0.00 0.00 0.63	79.55 0.00 0.00	0.18	0.17			
2. अरू 3. अस 4. बिह 5. गोव 6. गुज	रूणाचल प्रदेश सम हार वा जरात	0.00 0.00 0.59 0.00	0.00 0.00 0.63	0.00 0.00	0.00		20.45	0.88	0.05
3. अस 4. बिहा 5. गोव 6. गुज	सम हार वा जरात	0.00 0.59 0.00	0.00 0.63	0.00					0.85
4. बिहा 5. गोव 6. गुज	हार वा जरात	0.59	0.63			0.00	0.00	0.00	0.00
5. गोव 6. गुज	वा जरात	0.00		(7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. गुज	जरात		0.00	67.82	0.28	0.30	32.18	0.87	0.92
3		0.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<sup>7.</sup> हरिस	रेयाणा		0.54	65.17	0.00	0.00	0.00	0.76	0.83
		3.09	0.00	0.00	0.10	0.03	3.14	3.19	0.92
<sup>8.</sup> हिम	माचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.04	1.00	100.00	0.037	1.00
<sup>9.</sup> जम्ब	म्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.0083	2.31	100.00	0.0083	2.31
10. कर्न		0.83	0.55	61.94	0.51	0.34	38.06	1.34	0.90
11. केरत	<b>т</b> ल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. ਜੁ€ਣ	ध्य प्रदेश	17.34	0.06	8.56	1.21	0.04	6.51	18.55	0.65
13. महा		3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	1.24
14. मणि		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<sup>15.</sup> मेघा	<u>ज</u> घालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. ਜਿਤ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. नाग	गालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. उड़ी	ोसा	0.12	0.50	66.67	0.06	0.25	33.33	0.18	0.75
<sup>19.</sup> पंजा		0.16	0.95	100.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.95
20. राज		9.91	0.52	64.60	5.43	0.29	35.40	15.34	0.81
21. सिव		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेलनाडू	0.04	1.02	100.00	0.00	0.00	0.00	0.044	1.02
<sup>23.</sup> त्रिपु	पुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	न्तर प्रदेश	3.74	0.44	52.82	3.34	0.40	47.18	7.08	0.84
	श्चम बंगाल	0.06	0.42	54.55	0.05	0.35	45.45	0.11	0.78
	पूर्ण भारत	40.72	0.61	78.42	11.21	0.17	21.58	51.93	0.78

125

खेत से खलिहान तक ले

चने की हानि

अनुलग्नक-XXXIII (000 टन में)

					किसानों की श्रे	णी			
क्रम.स	राज्य का नाम		छोटे		मध्यम		बड़े		सभी
	-	मात्रा	उत्पादन का प्रतिशत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.31	0.86	0.28	0.72	0.17	0.60	0.76	0.74
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.10	0.51	0.36	0.92	0.25	0.70	0.71	0.75
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.17	0.77	0.31	0.82	0.18	0.57	0.66	0.72
	हरियाणा	0.92	0.75	0.54	0.80	0.86	0.55	2.32	0.67
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.006	0.60	0.013	0.72	0.019	0.51
9.	जम्मू कश्मीर	0.0005	0.83	0.0007	0.70	0.001	0.50	0.0022	0.61
	कर्नाटक	0.41	0.80	0.24	0.44	0.38	0.86	1.03	0.69
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	8.56	0.89	8.82	0.97	8.75	0.91	26.13	0.92
13.	महाराष्ट्र	0.30	0.38	0.38	0.44	0.70	0.66	1.38	0.51
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.04	0.64	0.05	0.72	0.06	0.56	0.15	0.62
19.	पंजाब पंजाब	0.01	0.23	0.04	0.71	0.06	0.88	0.11	0.65
20.	राजस्थान	8.75	0.93	0.55	0.12	4.38	0.87	13.68	0.72
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडू	0.005	0.79	0.003	0.91	0.018	0.54	0.026	0.60
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	3.17	0.89	2.00	0.77	2.12	0.94	7.29	0.87
	पश्चिम बंगाल	0.03	0.69	0.02	0.51	0.06	1.03	0.11	0.78
	संपूर्ण भारत	22.78	0.87	13.60	0.70	18.00	0.85	54.38	0.81

# खेत से खिलहान तक ले जाने में चने की हानि प्रयुक्त यातायात के साधन के आधार पर

अनुलग्नक-XXXIV (000 टन में)

							स्त्रो	<b>त</b>					
क्रम.स	राज्य का नाम	मा	नव	भारवाही	पशु	बैल	गाड़ी	ट्रैक	टर	3	ान्य	कु	ल क्षति
		मात्रा	उत्पादन का	मात्रा	उत्पादन का	मात्रा	उत्पादन का	मात्रा	उत्पादन का	मात्रा	उत्पादन का	मात्रा	उत्पादन का
			प्रतिशत		प्रतिशत		प्रतिशत		प्रतिशत		प्रतिशत		प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0.76	0.74	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.76	
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.71	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.75
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.59	0.64	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	00.66	0.72
	हरियाणा	2.31	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	2.32	0.67
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.019	0.51
	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0022	0.61
	कर्नाटक	0.05	0.03	0.00	0.00	0.84	0.56	0.14	0.09	0.00	0.00	1.03	0.69
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	23.14	0.82	1.88	0.07	1.02	0.04	0.00	0.00	0.09	0.00	26.13	0.92
13.	महाराष्ट्र	0.59	0.22	0.00	0.00	0.68	0.25	0.11	0.04	0.00	0.00	1.38	0.51
	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागात्रैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.15	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.62
19.	पंजाब	0.09	0.53	0.00	0.00	0.02	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.65
	राजस्थान	13.08	0.69	0.00	0.00	0.60	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68	0.72
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाड्	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.026	0.60
	त्रिपुरा त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	5.17	0.61	0.00	0.00	0.87	0.10	1.25	0.15	0.00	0.00	7.29	00.87
	पश्चिम बंगाल	0.07	0.50	0.00	0.00	0.04	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.78
	संपूर्ण भारत	46.71	0.70	1.89	0.03	4.15	0.06	1.54	0.02	0.09	0.00	54.38	0.81

#### खिलहान से भण्डार तक ले जान में चने की

हानि

अनुलग्नक-XXXV (000 टन में)

					किसानों की श्रे	णी			
क्रम.स	राज्य का नाम		छोटे		मध्यम		बड़े		सभी
	-	मात्रा	उत्पादन का प्रतिशत						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.42	1.08	0.28	0.98	0.70	0.68
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.22	1.13	0.18	0.46	0.34	0.96	0.74	0.79
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.18	0.81	0.25	0.66	0.31	0.98	0.74	0.81
	हरियाणा	1.03	0.84	0.64	0.95	1.62	1.03	3.29	0.95
8.	हिमाचल प्रदेश	0.01	1.11	0.012	1.20	0.015	0.83	0.037	1.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.001	1.67	0.004	4.00	0.003	1.50	0.008	2.22
	कर्नाटक	0.06	0.12	0.55	1.01	0.38	0.86	0.99	0.66
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	8.21	0.85	6.18	0.68	7.04	0.73	21.43	0.76
13.	महाराष्ट्र	0.92	1.15	0.94	1.08	0.84	0.79	2.70	0.99
	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.05	0.79	0.06	0.86	0.07	0.65	0.18	0.75
19.	पंजाब पंजाब	0.04	0.90	0.06	1.06	0.06	0.88	0.16	0.95
20.	राजस्थान	7.04	0.75	5.23	1.19	4.31	0.86	16.58	0.88
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडू	0.008	1.27	0.006	1.82	0.03	0.89	0.044	1.02
	त्रिपुरा विषुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	3.01	0.85	2.24	0.86	1.87	0.83	7.12	0.85
	पश्चिम बंगाल	0.03	0.69	0.04	1.02	0.04	0.69	0.11	0.78
	संपूर्ण भारत	20.81	0.80	16.81	0.86	17.21	0.81	54.83	0.82

							स्त्रो	त					
क्रम.स	राज्य का नाम	मञ	नद्र	भारवाही	पशु	बैल	गाड़ी	ट्रैक	टर	3	ान्य	कु	ल क्षति
		मात्रा	उत्पादन का	मात्रा	उत्पादन का	मात्रा	उत्पादन का	मात्रा	उत्पादन का	मात्रा	उत्पादन का	मात्रा	उत्पादन का
			प्रतिशत		प्रतिशत		प्रतिशत		प्रतिशत		प्रतिशत		प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0.70	0.68	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.68
	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4.	बिहार	0.73	0.78	0.00	0.00	0.01	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.79
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.66	0.72	0.01	0.01	0.04	0.04	0.03	0.03	0.00	0.00	0.74	0.81
	हरियाणा	3.28	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.003	0.00	0.00	3.29	0.95
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.037	1.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.008	2.22
	कर्नाटक	0.05	0.03	0.00	0.00	0.81	0.54	0.13	0.09	0.00	0.00	0.99	0.66
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	1.60	0.06	1.54	0.05	8.32	0.29	9.90	0.35	0.07	0.002	21.43	0.76
13.	महाराष्ट्र	1.15	0.42	0.00	0.00	1.33	0.49	0.22	0.08	0.00	0.00	2.70	0.99
	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	<u>उ</u> ड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.75
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.59	0.06	0.36	0.00	0.00	0.16	0.95
20.	राजस्थान	2.08	0.11	0.00	0.00	5.87	0.31	8.63	0.46	0.00	0.00	16.58	0.88
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.044	1.02
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	1.75	0.21	0.00	0.00	4.15	0.49	1.22	0.14	0.00	0.00	7.12	0.85
	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.78
	संपूर्ण भारत	12.00	0.18	1.55	0.02	21.01	0.31	20.20	0.30	0.07	0.001	54.83	0.82

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने

वाला त्रिवार्षिक)

			खेत से ख	विहान त	क		खलिहान से	भंडार व	नक		क ले जाने में कुल
क्रम.स	राज्य का नाम		ढेर में		बोरियों में		ढेर में		बोरियों में	:	क्षति
		मात्रा	उत्पादन का प्रतिशत	मात्रा	उत्पादन का प्रतिशत	मात्रा	उत्पादन का प्रतिशत	मात्रा	उत्पादन का प्रतिशत	मात्रा	उत्पादन का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.76	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.68	1.46	1.41
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.71	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.79	1.45	1.54
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.66	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.81	1.40	1.53
	हरियाणा	2.32	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	0.95	5.61	1.61
8.	हिमाचल प्रदेश	0.0190	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.037	1.00	0.06	1.51
9.	जम्मू कश्मीर	0.0022	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.008	2.22	0.01	2.83
	कर्नाटक	1.03	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.66	2.02	1.35
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	26.13	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	0.76	47.56	1.68
13.	महाराष्ट्र	1.38	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.99	4.08	1.49
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागात्रैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	<b>उ</b> ड़ीसा	0.15	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.75	0.33	1.37
19.	पंजाब <u>पं</u> जाब	0.11	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.95	0.27	1.60
20.	राजस्थान	13.68	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16.58	0.88	30.26	1.60
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l	तमिलनाडू	0.026	0.60	0.00	0.00	00.00	0.00	0.044	1.02	0.07	1.62
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	7.29	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12	0.85	14.41	1.71
25.	पश्चिम बंगाल	0.11	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.78	0.22	1.56
26.	संपूर्ण भारत	54.38	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	54.83	0.82	109.21	1.63

#### भण्डारण के दौरान चने की

#### हानि

अनुलग्नक-XXXVIII

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

(000 टन में)

## किसान परिवार की श्रेणी

			छोटे			मध्यम			बड़े			सभी	
क्रम.स	राज्य का नाम	भंडारित	क्षति की मात्रा	क्षति का	भंडारित	क्षति की	क्षति का	भंडारित	क्षति की मात्रा	क्षति का	भंडारित	क्षति की	क्षति का
9/01.	्राठच चुन गाउँ।	मात्रा		प्रतिशत	मात्रा	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा		प्रतिशत	मात्रा	मात्रा	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	34.95	0.30	0.86	37.17	0.13	0.35	27.37	0.10	0.37	99.49	0.53	0.53
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	18.65	0.09	0.48	37.86	0.08	0.21	34.11	0.13	0.38	90.62	0.30	0.33
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	21.49	0.05	0.23	36.33	0.22	0.61	30.53	0.13	0.43	88.35	0.40	0.45
	हरियाणा	117.98	0.95	0.81	64.95	0.33	0.51	151.41	0.73	0.48	334.34	2.01	0.60
8.	हिमाचल प्रदेश	0.87	0.005	0.57	0.96	0.004	0.42	1.73	0.01	0.58	3.56	0.019	0.53
9.	जम्मू कश्मीर	0.06	0.001	1.67	0.09	0.001	1.11	0.19	0.001	0.53	0.34	0.003	0.88
10.	कर्नाटक	49.53	0.44	0.89	52.31	0.37	0.71	42.31	0.18	0.43	144.15	0.99	0.69
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	925.06	5.27	0.57	877.48	6.00	0.68	924.23	4.42	0.48	2726.77	15.69	0.58
13.	महाराष्ट्र	76.75	0.28	0.36	83.98	0.30	0.36	102.55	0.54	0.53	263.28	1.12	0.43
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	6.06	0.05	0.83	6.72	0.03	0.45	10.44	0.09	0.86	23.22	0.17	0.73
19.	पंजाब	4.29	0.02	0.47	5.42	0.02	0.37	6.56	0.03	0.46	16.27	0.07	0.43
20.	राजस्थान	909.44	6.43	0.71	423.68	3.88	0.92	485.57	1.71	0.35	1818.69	12.02	0.66
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	0.60	0.004	0.67	0.31	0.001	0.32	3.24	0.02	0.62	4.15	0.025	0.60
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	342.23	1.71	0.50	250.76	1.42	0.57	217.47	0.81	0.37	810.46	3.94	0.49
25.	पश्चिम बंगाल	4.21	0.02	0.48	3.80	0.02	0.53	5.63	0.03	0.53	13.64	0.07	0.51
26.	संपूर्ण भारत	2512.17	15.62	0.62	1881.82	12.81	0.68	2043.34	8.93	0.44	6437.33	37.36	0.56

## फार्म स्तर पर भण्डारण के दौरान चने की हानि-

#### भंडारण के प्रकार/भंडारण की विधि के आधार पर

अनुलग्नक-XXXIX

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

		;	कच्चा भंड	ार	1	पक्का भंडार	-		ढेर में			बोरियों में		बैग में	ां और बोरि	यों में
क्रम.स	राज्य का नाम	भंडारित	क्षति की	क्षति का	भंडारित	क्षति की	क्षति का	भंडारित	क्षति की	क्षति का	भंडारित	क्षति की	क्षति का	भंडारित	क्षति की	क्षति का
7		मात्रा	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	मात्रा	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	33.07	0.21	0.64	66.42	0.32	0.48	0.00	0.00	0.00	92.41	0.49		7.08	0.04	0.56
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	22.35	0.24	1.07	68.27	0.06	0.09	0.00		0.00	44.16	0.14	0.32	46.46	0.16	0.34
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	25.38	0.15	0.59	62.97	0.25	0.40	0.00	0.00	0.00	52.07	0.24	0.46	46.28	0.16	0.44
7.	हरियाणा	18.07	0.00	0.00	316.27	2.01	0.64	0.00	0.00	0.00	334.34	2.01	0.6	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	3.56	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.17	0.00	1.18	0.17	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	85.25	0.70	0.82	58.90	0.29	0.49	0.00	0.00	0.00	144.15	0.99	0.69	0.00	0.00	0.00
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	156.80	1.26	0.80	2569.97	14.43	0.56	0.00	0.00	0.00	2726.12	15.69	0.58	0.65	0.01	0.77
	महाराष्ट्र	146.16	0.73	0.50	117.12	0.39	0.33	0.00	0.00	0.00	261.64	1.11	0.42	1.64	0.01	0.61
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	16.99	0.13	0.77	6.23	0.04	0.64	0.00	0.00	0.00	22.64	0.17	0.73	0.58	0.00	0.69
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	16.27	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	430.29	3.50	0.81	1388.40	8.52	0.61	0.00	0.00	0.00	1818.69	12.02	0.66	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडू	1.76	0.02	1.04	2.39	0.01	0.42	0.00	0.00	0.00	4.15	0.03	0.72	0.00	0.00	0.00
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	141.53	1.15	0.81	768.93	2.79	0.39	0.00	0.00	0.00	910.18	3.94	0.43	0.28	0.00	0.71
25.	पश्चिम बंगाल	6.42	0.03	0.47	7.22	0.04	0.55	0.00	0.00	0.00	13.64	0.07	0.51	0.00	0.00	0.00
26.	संपूर्ण भारत	1084.24	8.12	0.75	5453.09	29.24	0.54	0.00	0.00	0.00	6444.36	36.98	0.57	92.97	0.38	0.41

#### भण्डारण के दौरान चने की हानि और

## हानि के कारण

अनुलग्नक-XXXX

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

									क्षति की					
									,				1	
क्रम.स	राज्य का नाम	क्षति की	कॉलम 15	कुल मात्रा										
	_	मात्रा	का प्रतिशत											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	आंध्र प्रदेश	0.35	66.04	0.14	26.42	0.01	1.89			0.01	1.89			
	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	<b>अ</b> सम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.08	26.67	0.18	60.00	0.03	10.00	0.01	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.16	40.00	0.21	52.50	0.03	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
7.	हरियाणा	0.00	0.00	2.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
8.	हिमाचल प्रदेश	0.009	47.37	0.010	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.019
9.	जम्मू कश्मीर	0.002	66.67	0.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003
10.	कर्नाटक	0.01	1.01	0.50	50.51	0.14	14.14	0.33	33.33	0.01	1.01	0.00	0.00	0.99
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	4.87	31.04	8.44	53.79	0.05	0.32	2.28	14.53	0.00	0.00	0.05	0.32	15.69
13.	महाराष्ट्र	0.39	34.82	0.64	57.14	0.01	0.89	0.08	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	<b>उ</b> ड़ीसा	0.06	35.9	0.09	52.94	0.02	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20.	राजस्थान	2.97	24.71	8.87	73.79	0.18	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाइ्	0.017	68.00	0.008	32.00	0.00		0.00		0.00			0.00	0.025
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	1.08	27.41	2.10	53.30	0.34	8.63	0.34	8.63	0.01	0.25	0.07	1.78	3.94
25.	पश्चिम बंगाल	0.05	71.43	0.02	28.57	0.00		0.00		0.00		0.00		0.07
26.	संपूर्ण भारत	10.05	26.00	23.29	62.34	0.81	2.17	3.06	8.19	0.03	0.08	0.12	0.32	37.36

# उत्पादक स्तर पर चने की कटाई पश्चात कुल

## हानि-छोटे किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-XXXXI (000 टन में)

		खेत से ख	लिहान ले जाने	गहराई	में क्षति	ओसाई	में क्षति	खेत से ध	मंडार तक ले	उत्पादन	स्तर पर	उत्पादक	स्तर पर कुल
क्रम.स	राज्य का नाम	में	क्षति					जाने	में क्षति	भंडारण के	दौरान क्षति		क्षति
9,01.	(10 व वर्ग वर्गावा	क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का
		मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0.31	0.86	0.37	1.02	0.19			0.00	0.30		1.17	3.24
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.10	0.51	0.13	0.67	0.25	1.29	0.22	1.13	0.09	0.46	0.79	4.06
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.17	0.77	0.13	0.59	0.20	0.90	0.18	0.81	0.05	0.23	0.73	3.29
7.	हरियाणा	0.92	0.75	0.98	0.80	1.04	0.85	1.03	0.84	0.95	0.77	4.92	4.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.005	0.56	0.01	1.11	0.01	1.11	0.005	0.56	0.03	3.33
9.	जम्मू कश्मीर	0.0005	0.83	0.0005	0.83	0.001	1.67	0.001	1.67	0.001	1.67	0.004	6.67
	कर्नाटक	0.41	0.80	0.51	0.99	0.40	0.78	0.06	0.12	0.44	0.86	1.82	3.54
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	8.56	0.89	7.61	0.79	6.48	0.67	8.21	0.85	5.27	0.55	36.13	3.76
13.	महाराष्ट्र	0.30	0.38	0.45	0.56	1.20	1.50	0.92	1.15	0.28	0.35	3.15	3.94
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	<b>उ</b> ड़ीसा	0.04	0.64	0.04	0.64	0.05	0.79	0.05	0.79	0.05	0.79	0.23	3.66
19.	पंजाब	0.01	0.23	0.03	0.68	0.04	0.90	0.04	0.90	0.02	0.45	0.14	3.16
20.	राजस्थान	8.75	0.93	5.84	0.62	7.04	0.75	7.04	0.75	6.43	0.68	35.10	3.72
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडू	0.005	0.79	0.005	0.79	0.008	1.27	0.008	1.27	0.004	0.63	0.03	4.76
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	3.17	0.89	2.59	0.73	2.78	0.78	2.01	0.85	1.71	0.48	13.26	3.73
	पश्चिम बंगाल	0.03	0.69	0.03	0.69	0.03	0.69	0.03	0.69	0.02	0.46	0.14	3.22
26.	संपूर्ण भारत	22.78	0.87	18.72	0.72	19.72	0.76	20.81	0.80	15.62	0.60	97.65	3.74

# उत्पादक स्तर पर चने की कटाई पश्चात कुल

## हानि-मध्यम-श्रेणी के किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-XXXXII

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

		खेत से ख	लिहान ले जाने	गहराई	में क्षति	ओसाई	में क्षति	खलिहान से	। भंडार तक ले	उत्पादन	। स्तर पर	उत्पादक	स्तर पर कुल
क्रम.स	राज्य का नाम	में	क्षति					जाने	में क्षति	भंडारण के	दौरान क्षति		क्षति
		क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का
		मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	आंध्र प्रदेश	0.31	0.86	0.37	1.02	0.19				0.30			3.24
	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00			0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
4.	बिहार	0.10	0.51	0.13	0.67	0.25	1.29	0.22	1.13	0.09	0.46	0.79	4.06
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.17	0.77	0.13	0.59	0.20	0.90	0.18	0.81	0.05	0.23	0.73	3.29
	हरियाणा	0.92	0.75	0.98	0.80	1.04	0.85	1.03	0.84	0.95	0.77	4.92	4.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.005	0.56	0.01	1.11	0.01	1.11	0.005	0.56	0.03	3.33
9.	जम्मू कश्मीर	0.0005	0.83	0.0005	0.83	0.001	1.67	0.001	1.67	0.001	1.67	0.004	6.67
10.	कर्नाटक	0.41	0.80	0.51	0.99	0.40	0.78	0.06	0.12	0.44	0.86	1.82	3.54
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	8.56	0.89	7.61	0.79	6.48	0.67	8.21	0.85	5.27	0.55	36.13	3.76
13.	महाराष्ट्र	0.30	0.38	0.45	0.56	1.20	1.50	0.92	1.15	0.28	0.35	3.15	3.94
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.04	0.64	0.04	0.64	0.05	0.79	0.05	0.79	0.05	0.79	0.23	3.66
19.	पंजाब पंजाब	0.01	0.23	0.03	0.68	0.04	0.90	0.04	0.90	0.02	0.45	0.14	3.16
20.	राजस्थान	8.75	0.93	5.84	0.62	7.04	0.75	7.04	0.75	6.43	0.38	35.10	3.72
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	0.005	0.79	0.005	0.79	0.008	1.27	0.008	1.27	0.004	0.63	0.03	4.76
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	3.17	0.89	2.59	0.73	2.78	0.78	3.01	0.85	1.71	0.48	13.26	3.73
	पश्चिम बंगाल	0.03	0.69	0.03	0.69	0.03	0.69	0.03	0.69	0.02	0.46	0.14	3.22
	संपूर्ण भारत	22.78	0.87	18.72	0.72	19.72	0.76	20.81	0.80	15.62	0.60	97.65	3.74

#### हानि-बड़े किसानों के संबंध में उत्पादक स्तर पर चने की कटाई पश्चात कुल

(000 टन में)

अनुलग्नक-XXXXIII

			लिहान ले जाने	गहराई	में क्षति	ओसाई	में क्षति	1	। भंडार तक ले		स्तर पर		स्तर पर कुल
क्रम.स	राज्य का नाम		क्षति					जाने	में क्षति		दौरान क्षति		क्षति
		क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का
		मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0.17	0.60	0.25	0.88	0.28			0.98	0.10		1.08	3.80
	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.25	0.69	0.31	0.87	0.35	0.99	0.34	0.96	0.13	0.38	1.38	3.89
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.18	0.57	0.30	0.94	0.31	0.98	0.31	0.98	0.13	0.41	1.23	3.87
	हरियाणा	0.86	0.55	1.50	0.95	1.53	0.97	1.62	1.03	0.73	0.46	6.24	3.96
8.	हिमाचल प्रदेश	0.013	0.75	0.015	0.83	0.015	0.83	0.015	0.83	0.01	0.64	0.07	3.89
9.	जम्मू कश्मीर	0.001	0.46	0.002	1.00	0.003	1.50	0.003	1.50	0.001	0.54	0.01	5.00
10.	कर्नाटक	0.38	0.85	0.35	0.80	0.37	0.84	0.38	0.86	0.18	0.42	1.66	3.78
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	8.75	0.91	8.87	0.92	6.64	0.69	7.04	0.73	4.42	0.46	35.72	3.72
13.	महाराष्ट्र	0.70	0.66	0.54	0.51	0.87	0.82	0.84	0.79	0.54	0.51	3.49	3.29
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	<b>उ</b> ड़ीसा	0.06	0.51	0.06	0.59	0.07	0.65	0.07	0.65	0.09	0.84	0.35	3.24
19.	पंजाब पंजाब	0.06	0.86	0.05	0.73	0.06	0.88	0.06	0.88	0.03	0.46	0.26	3.81
20.	राजस्थान	4.38	0.87	4.38	0.87	3.01	0.60	4.31	0.86	1.71	0.34	17.79	3.53
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडू	0.018	0.54	0.02	0.60	0.03	0.89	0.03	0.89	0.02	0.65	0.12	3.57
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	 उत्तर प्रदेश	2.12	0.93	2.21	0.98	1.89	0.83	1.87	0.83	0.81	0.36	8.90	3.93
	पश्चिम बंगाल	0.06	0.97	0.03	0.51	0.04	0.69	0.04	0.69	0.03	0.57	0.20	3.43
	संपूर्ण भारत	18.00	0.85	18.89	0.89	15.47	0.73	17.21	0.81	8.93	0.42	78.50	3.70

# उत्पादक स्तर पर चने की कटाई पश्चात कुल हानि-सभी श्रेणियों के किसानों के संबंध में

(000 टन में)

अनुलग्नक-XXXXIV

			लिहान ले जाने	गहराई	में क्षति	ओसाई	में क्षति	1	ो भंडार तक ले		स्तर पर		स्तर पर कुल
क्रम.स	राज्य का नाम		क्षति						में क्षति		दौरान क्षति		क्षति
		क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	उत्पादन का	क्षति की	· ·
		मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	आंध्र प्रदेश	0.76	0.74	0.92		0.88			0.68	0.53		3.79	3.67
	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00		0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
4.	बिहार	0.71	0.75	0.82	0.87	0.87	0.92	0.74	0.79	0.30	0.32	3.44	3.66
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.66	0.72	0.76	0.83	0.76	0.83	0.74	0.81	0.40	0.44	3.32	3.62
	हरियाणा	2.32	0.67	2.83	0.81	3.19	0.92	3.29	0.95	2.01	0.58	13.64	3.92
8.	हिमाचल प्रदेश	0.019	0.51	0.026	0.70	0.037	1.00	0.037	1.00	0.019	0.51	0.14	3.78
9.	जम्मू कश्मीर	0.0022	0.61	0.003	0.83	0.0083	2.31	0.008	2.22	0.003	0.83	0.024	6.67
10.	कर्नाटक	1.03	0.69	1.1	0.74	1.34	0.90	0.99	0.66	0.99	0.66	5.45	3.64
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	26.13	0.92	25.05	0.88	18.55	0.65	21.43	0.76	15.69	0.55	106.85	3.77
13.	महाराष्ट्र	1.38	0.51	1.33	0.49	3.38	1.24	2.7	0.99	1.12	0.41	9.91	3.63
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	<b>उ</b> ड़ीसा	0.15	0.62	0.15	0.62	0.18	0.75	0.18	0.75	0.17	0.71	0.83	3.45
19.	पंजाब	0.11	0.65	0.12	0.71	0.16	0.95	0.16	0.95	0.07	0.41	0.62	3.67
20.	राजस्थान	13.68	0.72	12.47	0.66	15.34	0.81	16.58	0.88	12.02	0.64	70.09	3.71
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडू	0.026	0.60	0.029	0.67	0.044	1.02	0.044	1.02	0.025	0.58	0.17	3.94
	्र त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	 उत्तर प्रदेश	7.29	0.87	6.17	0.73	7.08	0.84	7.12	0.85	3.94	0.47	31.6	3.75
	पश्चिम बंगाल	0.11	0.78	0.08	0.57	0.11	0.78	0.11	0.78	0.07	0.50	0.48	3.40
	संपूर्ण भारत	54.38	0.81	51.86	0.77	51.93	0.78	54.83	0.82	37.36	0.56	250.36	3.74

# चने की कुल बिक्री – तिमाही वार – छोटे

#### किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-XXXXV

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

			<u>`</u>		तिमाही बि	क्री				कुल बिक्री
क्रम.स	राज्य का नाम		I		II		III		IV	
		मात्रा	कॉलम ११ का %	मात्रा	कॉलम 11 का %	मात्रा	कॉलम 11 का %	मात्रा	कॉलम 11 का %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00		21.92		0.00	0.00	21.92
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3.	असम	0.00		0.00		0.00				0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.15	1.71	4.08		4.54	51.77	8.77
5.	गोवा	0.00		0.00		0.00				0.00
6.	गुजरात	0.03	0.27	0.04	0.36	8.00	71.68	3.09	27.69	11.16
	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.59	100.00	66.59
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	26.88	100.00	0.00	0.00	26.88
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	2.77	0.65	4.71	1.10	218.34	51.08	201.62	47.17	427.44
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.67	1.85	4.55	12.56	31.00	85.59	36.22
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	1.31	100.00	1.31
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	100.00	1.87
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.87	0.17	19.02	3.66	499.27	96.17	519.16
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	100.00	0.00	0.00	0.36
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.19	0.11	0.00	0.00	178.47	99.89	178.66
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	100.00	2.38
26.	संपूर्ण भारत	2.80	0.21	6.63	0.51	303.15	23.27	990.14	76.01	1302.72

# चने की कुल बिक्री – तिमाहीवार – मध्यम श्रेणी किसानों के संबंध में (वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

अनुलग्नक-XXXXVI

					तिमाही बि	ोक्री				कुल बिक्री
क्रम.स	राज्य का नाम		I		II		III		IV	
21.51.	(io i iii siisi	मात्रा	कॉलम 11 का %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	23.69	100.00	0.00	0.00	23.69
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	14.07	12.64	85.93	14.71
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	2.23	10.52	11.56	54.53	7.41	34.95	21.20
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.24	100.00	38.24
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.01	33.33	0.00	0.00	0.02	66.67	0.03
	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	22.26	74.05	7.80	25.95	30.06
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	0.44	0.10	0.08	0.02	213.87	49.70	215.95	50.18	430.34
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.24	0.60	6.12	15.29	33.66	84.11	40.02
	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	<b>उ</b> ड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	100.00	0.00	0.00	0.27
19.	पंजाब पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	100.00	0.00	0.00	2.41
20.	राजस्थान	2.41	0.81	5.00	1.68	5.97	2.00	214.82	72.04	228.20
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	100.00	0.00	0.00	0.19
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.44	0.32	0.00	0.00	135.46	99.68	135.90
	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	100.00	0.00	0.00	2.30
	संपूर्ण भारत	2.85	0.29	8.00	0.83	290.71	30.05	666.00	68.83	967.56

# चने की कुल बिक्री – तिमाहीवार – बड़े श्रेणी किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-XXXXVII

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

					तिमाही बि	ोक्री				कुल बिक्री
क्रम.स	राज्य का नाम		I		II		III		IV	
		मात्रा	कॉलम 11 का %	मात्रा	कॉलम 11 का %	मात्रा	कॉलम 11 का %	मात्रा	कॉलम ११ का %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92	32.39	12.36	67.61	18.28
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
4.	बिहार	0.00		0.00		1.23	6.78	16.90		18.13
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.07	0.38	1.37	7.35	17.21	92.28	0.00	0.00	18.65
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.58	100.00	96.58
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	100.00	0.06
10.	कर्नाटक	0.90	3.39	0.00	0.00	19.04	71.77	6.59	24.84	26.53
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	0.97	0.18	2.44	0.46	256.65	48.44	269.74	50.91	529.80
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.17	14.44	26.80	39.35	73.03	53.88
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	<b>उ</b> ड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	100.00	0.00	0.00	1.19
19.	पंजाब पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	100.00	0.00	0.00	3.29
20.	राजस्थान	0.82	0.29	0.96	0.34	13.60	4.78	269.17	94.59	284.55
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	100.00	0.00	0.00	2.06
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.37	0.30	3.03	2.43	121.49	97.28	124.89
	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63	100.00	0.00	0.00	3.63
	संपूर्ण भारत	2.76	0.23	5.23	0.44	341.29	28.89	832.24	70.44	1181.52

# चने की कुल बिक्री – तिमाहीवार – सभी श्रेणी किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-XXXXVIII

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

					तिमाही बि	प्रेक्री				कुल बिक्री
क्रम.स	राज्य का नाम		I		II		III		IV	
71.41	(10 1 III sher	मात्रा	कॉलम 11 का %	मात्रा	कॉलम 11 का %	मात्रा	कॉलम 11 का %	मात्रा	कॉलम 11 का %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0.00		0.00		51.53				63.89
	अरूणाचल प्रदेश	0.00		0.00		0.00				0.00
3.	असम	0.00		0.00		0.00				0.00
4.	बिहार	0.00		0.15	0.36	7.38		34.08	81.90	41.61
5.	गोवा	0.00		0.00		0.00				0.00
6.	गुजरात	0.10	0.20	3.64	7.14	36.77	72.08	10.50	20.58	51.01
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	201.41
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.01	11.11	0.00	0.00	0.08	88.69	0.09
10.	कर्नाटक	0.90	1.08	0.00	0.00	68.18	81.68	14.39	17.24	83.47
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	4.18	0.30	7.23	0.52	688.86	49.64	687.31	49.53	1387.58
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	1.00	0.77	25.11	19.30	104.01	79.93	130.12
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	52.71	1.31	47.29	2.77
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	75.30	1.87	24.70	7.57
20.	राजस्थान	3.23	0.31	6.83	0.66	38.59	3.74	983.26	95.29	1031.91
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	100.00	0.00	0.00	2.61
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	1.00	0.23	3.03	0.69	435.42	99.08	439.45
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	71.36	2.38	28.64	8.31
26.	संपूर्ण भारत	8.41	0.24	19.86	0.58	935.15	27.09	2488.38	72.09	3451.80

#### चने की बिक्री-एजेंसी वार-छोटे

#### किसानों के लिए

अनुलग्नक-XXXXIX (000 टन में)

								एजेंसी						
क्रम.स	राज्य का नाम	उप	भोक्ता	व्या	पारी	सरव	गरी	एफ.सी.अ	ाई	साह्	कार	3	भन्य	कुल बिक्री
		मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	3
			का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	21.92	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.92
I	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	1.46	16.65	0.87	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44	73.43	0.00	0.00	8.77
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	1.86	16.67	3.87	34.68	5.43	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
7.	हरियाणा	11.10	16.67	45.43	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	15.11	0.00	0.00	66.59
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्म् कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर्नाटक	4.48	16.67	22.40	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.88
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	71.24	16.67	223.64	52.32	0.00	0.000	0.00	0.00	95.31	22.30	37.25	8.71	427.44
13.	महाराष्ट्र	6.04	16.68	24.87	68.66	1.05	2.90	0.00	0.00	4.26	11.76	0.00	0.00	36.22
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	1.31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
19.	पंजाब	0.00	0.00	1.87	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
20.	राजस्थान	100.86	19.43	145.07	27.94	138.37	26.65	0.00	0.00	125.67	24.21	9.19	1.77	519.16
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.36	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	29.78	16.67	101.53	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35	26.50	178.66
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	2.38	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
26.	संपूर्ण भारत	226.82	17.41	595.52	45.71	144.85	11.12	0.00	0.00	241.74	18.56	93.79	7.20	1302.72

#### चने की बिक्री-एजेंसी वार- मध्यम श्रेणी के किसानों के

#### संबंध में

अनुलग्नक-L

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

				•				एजेंसी					<u> </u>	-1)
क्रम.स	राज्य का नाम	उप	भोक्ता	व्या	पारी	सरव	नारी नारी	एफ.सी.अ	ाई	साह्	कार	3	भन्य	कुल बिक्री
		मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	3
			का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	आंध्र प्रदेश	0.00		23.69	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		23.69
	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बिहार	0.21	1.43	11.97	81.37	0.00	0.00	0.00		2.53	17.20	0.00	0.00	14.71
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6.	गुजरात	0.85	4.01	18.85	88.92	1.47	6.93	0.00		0.03	0.14	0.00	0.00	21.20
7.	हरियाणा	15.70	41.06	22.07	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	1.23	0.00	0.00	38.24
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	29.97	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.30	30.06
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	0.55	0.13	426.54	99.12	0.72	0.17	0.00	0.00	2.06	0.48	0.47	0.11	430.34
13.	महाराष्ट्र	1.17	2.92	36.57	91.38	2.12	5.30	0.00	0.00	0.16	0.40	0.00	0.00	40.02
	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
19.	पंजाब	0.00	0.00	2.41	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
	राजस्थान	4.42	1.94	132.12	57.90	37.96	16.63	0.00	0.00	51.76	22.66	2.00	0.88	228.20
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.19	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	0.66	0.49	132.24	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.21	135.90
	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	2.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
	संपूर्ण भारत	23.56	2.43	839.22	86.74	42.27	4.37	0.00	0.00	56.95	5.89	5.56	0.57	967.56

#### चने की बिक्री-एजेंसी वार-बड़ी श्रेणी के किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-LI

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

								एजेंसी						
क्रम.स	राज्य का नाम	उप	भोक्ता	व्या	ापारी	सरव	गरी	एफ.सी.अ	ाई	साह्	कार	3	भन्य	कुल बिक्री
		मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	कुल ।बक्रा
			का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	18.28		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		18.28
	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	बिहार	0.19	1.05	14.84	81.85	0.00		0.00		3.10	17.10	0.00		18.13
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
	गुजरात	0.30	1.61	16.70	89.54	1.65	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.65
7.	हरियाणा	49.74	51.50	43.39	44.62	1.71	1.77	0.00	0.00	2.04	2.11	0.00	0.00	96.58
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.01	16.67	0.05	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
	कर्नाटक	0.39	1.47	26.14	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.53
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	4.74	0.89	522.29	98.58	0.85	0.16	0.00	0.00	1.76	0.33	0.16	0.03	529.80
13.	महाराष्ट्र	2.05	3.80	49.02	90.98	2.81	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.88
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	1.19	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
19.	पंजाब	0.00	0.00	3.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
20.	राजस्थान	5.86	2.06	214.63	75.43	28.67	10.08	0.00	0.00	33.43	11.75	1.96	0.69	284.55
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाड्	0.00	0.00	2.06	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	उत्तर प्रदेश	0.68	0.54	121.83	97.55	0.14	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	1.79	124.89
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	3.63	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
26.	संपूर्ण भारत	63.96	5.41	1037.04	87.77	35.83	3.03	0.00	0.00	40.33	3.42	4.36	0.37	1181.52

## चने की बिक्री-एजेंसी वार-सभी श्रेणी के किसानों के संबंध में

Ť

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

अनुलग्नक-LII

								एजेंसी						
क्रम.स	राज्य का नाम	उप	भोक्ता	व्या	पारी	सरव	गरी	एफ.सी.अ	ाई	साह्	कार	3	भन्य	कुल बिक्री
		मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	मात्रा	कॉलम 15	3.4. 1-12.1
			का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत		का प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	63.89	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	1.86	4.47	27.68	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07	29.01	0.00	0.00	41.61
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	3.01	5.90	39.42	77.28	8.55	16.76	0.00	0.00	0.03	0.06	0.00	0.00	51.01
	हरियाणा	76.54	38.00	110.59	54.91	1.71	0.85	0.00	0.00	12.57	6.24	0.00	0.00	201.41
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.01	11.11	0.08	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
10.	कर्नाटक	4.87	5.83	78.51	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.11	83.47
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	76.53	5.52	1172.47	84.50	1.57	0.11	0.00	0.00	99.13	7.14	37.88	2.73	1387.58
13.	महाराष्ट <u>्</u> र	9.26	7.12	110.46	84.89	5.98	4.60	0.00	0.00	4.42	3.40	0.00	0.00	130.12
	मणिप्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u> </u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	—————————————————————————————————————	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	<u> </u>	0.00	0.00	2.77	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
	पंजाब	0.00	0.00	7.57	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57
	राजस्थान	111.14	10.77	491.82	47.66	205.00	19.87	0.00	0.00	210.80	20.43	13.15	1.27	1031.91
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडू	0.00	0.00	2.61	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	31.12	7.08	355.60	80.92	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	52.59	11.97	439.45
	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	8.31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.31
	संपूर्ण भारत	314.34	9.11	2471.78	71.61	222.95	6.46	0.00	0.00	339.02	9.82	103.71	3.00	3451.80

#### चने की बिक्री-गाँव के भीतर छोटे किसानों के संबंध में

#### अनुलग्नक-LIII

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

					तिमार्ह	विक्री			
क्रम.स	राज्य का नाम		I		II		III		IV
		मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	17.88	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.02	0.10	0.44	2.26	0.48	2.47
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	3.29	0.29	1.31
	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.40	36.94
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.00 0.00 0.00 0.00		0.00	0.00	0.00			
	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	17.45	33.98	0.00	0.00
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मध्य प्रदेश	2.21	0.23	3.76	0.39	174.30	18.13	160.95	16.74
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.52	0.65	3.56	4.46	24.24	30.34
	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	26.41
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.63	0.07	13.71	1.45	359.93	38.11
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	4.76	0.00	0.00
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.05	0.01	0.00	0.00	42.32	11.90
	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	54.71
	संपूर्ण भारत	2.21	0.08	4.98	0.19	216.68	8.30	637.16	24.41

#### चने की बिक्री-गाँव के भीतर- मध्यम किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-LIV

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

					तिमाई	ो बिक्री			(666 2 . 1.)
क्रम.स	राज्य का नाम		I		II		III		IV
		मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93	20.49	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.23	0.58	1.48
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.46	1.22	2.39	6.34	1.53	4.06
	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.49	39.29
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.01	10.00	0.00	0.00	0.02	20.00
	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	15.74	29.00	5.51	10.15
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मध्य प्रदेश	0.37	0.04	0.07	0.01	179.36	19.66	181.10	19.85
	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.19	0.22	4.83	5.54	26.59	30.48
	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	26.06	0.00	0.00
	राजस्थान	1.70	0.39	3.53	0.80	4.21	0.95	151.66	34.40
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	6.06	0.00	0.00
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.12	0.05	0.00	0.00	38.26	14.70
	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	58.38	0.00	0.00
	संपूर्ण भारत	2.07	0.11	4.38	0.22	218.34	11.16	431.74	22.07

#### चने की बिक्री-गाँव के भीतर-बड़े किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-LV

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

	राज्य का नाम		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		तिमाई	ो बिक्री			(000 601 01)
क्रम.स	राज्य का नाम		I		II		III		IV
	-	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	8.40	4.99	17.54
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	1.30	6.25	17.61
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.02	0.06	0.44	1.39	5.48	17.25	0.00	0.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.74	46.14
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	30.00
	कर्नाटक	0.66	1.50	0.00	0.00	14.03	31.91	4.86	11.05
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	0.83	0.09	2.08	0.22	219.21	22.84	230.04	24.00
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.07	0.07	11.79	11.12	32.13	30.30
	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	<b>उ</b> ड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	31.96	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.66	0.13	0.77	0.15	10.89	2.16	200.55	39.84
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	16.07	0.00	0.00
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.14	0.06	1.17	0.52	46.75	20.65
	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63	62.26	0.00	0.00
26.	संपूर्ण भारत	2.17	0.10	3.50	0.16	271.77	12.81	598.73	28.22

#### चने की बिक्री-गाँव के भीतर-सभी श्रेणी के किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-LVI

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

	ग्रज्य का नाम		(पष १९५४-५५ पंग सम			बिक्री			(000 टन म)
क्रम.स	राज्य का नाम		I		II		III		IV
		मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	16.78	16.25	4.99	4.83
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.02	0.02	0.99	1.05	7.31	7.77
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.02	0.02	0.90	0.98	8.60	9.38	1.82	1.99
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.63	41.56
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.01	2.78	0.00	0.00	0.08	22.22
10.	कर्नाटक	0.66	0.44	0.00	0.00	47.22	31.56	10.37	6.93
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	3.41	0.12	5.91	0.21	572.87	20.22	572.45	20.20
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.78	0.29	20.18	7.39	82.96	30.37
	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	21.61	1.17	6.93
20.	राजस्थान	2.36	0.12	4.93	0.26	28.81	1.53	712.14	37.70
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	13.66	0.00	0.00
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.31	0.04	1.17	0.14	127.33	15.12
	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	42.00	2.38	16.86
	संपूर्ण भारत	6.45	0.10	12.86	0.19	706.79	10.57	1667.63	24.94

## चने की बिक्री-गाँव के बाहर-छोटे किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-LVII

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

	राज्य का नाम				तिमाही	बिक्री			
1	राज्य का नाम		I		II		III		IV
		मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	15.46	42.80	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.13	0.67	3.64	18.72	4.06	20.88
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.03	0.14	0.04	0.18	7.27	32.72	2.80	12.60
	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.19	17.24
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	18.36	0.00	0.00
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मध्य प्रदेश	0.56	0.06	0.95	0.10	44.04	4.58	40.67	4.23
	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.15	0.19	0.99	1.24	6.76	8.46
	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	15.80
	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	20.83
	राजस्थान	0.00	0.00	0.24	0.03	5.31	0.56	139.34	14.75
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	52.38	0.00	0.00
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.14	0.04	0.00	0.00	136.15	38.30
	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण भारत	0.59		1.65		86.47	3.31	352.98	13.53

## चने की बिक्री-गाँव के बाहर-मध्यम श्रेणी के किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-LVIII

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

					तिमार्ह	ो बिक्री			(000 C31 31)
क्रम.स	राज्य का नाम		I		II		III		IV
	-	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76	40.71	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	5.06	12.06	30.82
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	1.77	4.70	9.17	24.33	5.88	15.60
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75	17.43
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	12.01	2.29	4.22
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	0.07	0.01	0.01	0.00	34.51	3.78	34.85	3.82
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.05	0.06	1.29	1.48	7.07	8.10
	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	<b>उ</b> ड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	3.87	0.00	0.00
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	16.67	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.71	0.16	1.47	0.33	1.76	0.40	63.16	14.33
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	51.52	0.00	0.00
	त्रिपुरा विषुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.32	0.12	0.00	0.00	97.20	37.36
	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	संपूर्ण भारत	0.78	0.04	3.62	0.19	72.37	3.70	234.26	11.98

## चने की बिक्री-गाँव के बाहर-बड़े किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-LIX

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

	राज्य का नाम				तिमार्ह	ो बिक्री			(000 टन म)
क्रम.स	राज्य का नाम		I		II		III		IV
		मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	12.41	7.37	25.91
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	2.17	10.65	30.01
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.05	0.16	0.93	2.93	11.73	36.93	0.00	0.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.84	15.12
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.24 0.55		0.00	0.00	5.01	11.39	1.73	3.93
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	0.14	0.01	0.36	0.04	37.44	3.90	39.34	4.10
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.02	0.02	2.65	2.50	7.22	6.81
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागात्रैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	11.03	0.00	0.00
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	16.28	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.16	0.03	0.19	0.04	2.71	0.54	68.62	13.63
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	45.24	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.23	0.10	1.86	0.82	74.74	33.02
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	संपूर्ण भारत	0.59	0.03	1.73	0.08	69.52	3.28	233.51	11.01

## चने की बिक्री-गाँव के बाहर-सभी श्रेणी के किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-LX

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

			1 1770-77 4/1 (1011-41 (1011	· · ·		ो बिक्री		(000 001	,
क्रम.स	राज्य का नाम		I		II		III		IV
		मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %	मात्रा	श्रेणी के उत्पादन का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	34.75	33.65	7.67	7.14
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.13	0.14	6.39	6.79	26.77	28.46
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.08	0.09	2.74	2.99	28.17	30.73	8.68	9.47
	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.78	16.32
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर्नाटक	0.24	0.16	0.00	0.00	20.96	14.01	4.02	2.69
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	0.77	0.03	1.32	0.05	115.99	4.09	114.86	4.05
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.22	0.08	4.93	1.80	21.05	7.71
	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	6.07	1.31	5.45
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	12.14	0.70	4.14
20.	राजस्थान	0.87	0.05	1.90	0.10	9.78	0.52	271.12	14.35
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	46.76	0.00	0.00
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.69	0.08	1.86	0.22	308.09	36.59
	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	संपूर्ण भारत	1.96	0.03	7.00	0.10	228.36	3.41	820.75	12.27

# विपणन योग्य अनुमानित अधिशेष - छोटे किसानों के संबंध में

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

अनुलग्नक-LXI (000 टन में)

कुल उत्पादन ज्वार रखने का प्रयोजन परिवार स्थाई मज़दूर अस्थाई मज़दूर बीज मात्रा पश् चारा वस्त् के										C 01 01)				
क्रम.स	राज्य का नाम		परिव	गर	स्थाई मज़द्		अस्थाई म	मज़दूर	बीज	मात्रा	पशु चा	रा	वस्तु के	रूप में
	<b>,</b>												भुगतान	
			मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	आंध्र प्रदेश	36.12	6.97	19.30	0.00	0.00			4.41	12.21	1.46	4.04	0.00	0.00
	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	19.44	4.03	20.73	0.26	1.34	0.00	0.00	2.76	14.20	1.25	6.43	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	22.22	5.87	26.42	0.45	2.03	0.00	0.00	1.61	7.25	1.85	8.33	0.41	1.85
7.	हरियाणा	122.90	35.23	26.22	2.06	1.68	0.00	0.00	2.80	2.28	10.25	8.34	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.90	0.79	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	3.33	0.04	4.44	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.06	0.06	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	51.35	7.16	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	21.03	2.62	5.10	0.00	0.00
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	961.19	247.94	25.80	32.30	3.36	0.00	0.00	75.65	7.87	66.23	6.89	2.20	0.23
13.	महाराष्ट्र	79.90	25.03	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	2.37	6.08	7.61	1.05	1.31
	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	<b>उ</b> ड़ीसा	6.29	3.68	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	11.29	0.35	5.56	0.00	0.00
19.	पंजाब	4.43	1.92	43.34	0.08	1.81	0.00	0.00	0.14	3.16	0.25	5.64	0.00	0.00
20.	राजस्थान	944.54	149.39	15.82	29.85	3.16	0.00	0.00	53.27	5.64	46.94	4.97	13.70	1.45
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडू	0.63	0.09	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	355.49	96.87	27.25	7.86	2.21	0.00	0.00	11.48	3.23	25.74	7.24	9.38	2.64
	पश्चिम बंगाल	4.35	0.97	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	12.18	0.29	6.67	0.00	0.00
	संपूर्ण भारत	2609.81	583.00	22.34	72.86	2.79	0.00	0.00	166.23	6.37	163.35	6.26	26.74	1.02

		7	वने को रख	वने का प्रयो	गन	रखी गई च	ने की कुल	कुल	क्रय	कुल	क्षति	किसान प	रिवार की	विपण	न योग
क्रम.स	राज्य का नाम	वस्तु वे	ह रूप में	वस्तु वि	वेनिमय	मात्रा						आवश्यकत	T	अधि	धेशेष
				मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84	35.55	0.00	0.00	1.17	3.24	14.01	38.79	22.11	61.21
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	1.34	6.89	0.00	0.00	9.64	49.59	0.10	0.51	0.79	4.06	10.53	54.17	8.91	45.83
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	45.86	0.00	0.00	0.73	3.29	10.92	49.14	11.30	50.86
	हरियाणा	2.03	1.65	0.00	0.00	49.37	40.17	0.84	0.68	4.92	4.00	55.13	44.86	67.77	55.14
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	95.56	0.01	1.11	0.03	3.33	0.90	100.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	100.00	0.00	0.00	0.00	6.67	0.06	106.67	0.00	-6.67
10.	कर्नाटक	1.61	3.14	0.00	0.00	22.19	43.21	0.00	0.00	1.82	3.54	24.01	46.76	27.34	53.24
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	58.54	6.09	0.00	0.00	482.86	50.24	2.50	0.26	36.13	3.76	521.49	54.25	439.70	45.75
13.	महाराष्ट्र	6.27	7.85	0.00	0.00	40.32	50.46	0.39	0.49	3.15	3.94	43.86	54.89	36.04	45.11
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	75.36	0.04	0.64	0.23	3.66	5.01	79.65	1.28	20.35
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	53.95	0.02	0.45	0.14	3.16	2.55	57.56	1.88	42.44
20.	राजस्थान	96.44	10.21	0.00	0.00	389.59	41.25	6.33	0.67	35.10	3.72	431.02	45.63	513.52	54.37
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	38.10	0.00	0.00	0.03	4.76	0.27	42.86	0.36	57.14
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	7.57	2.13	0.00	0.00	158.90	44.70	2.42	0.68	13.26	3.73	174.58	49.11	180.91	50.89
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	41.15	0.02	0.46	0.14	3.22	1.95	44.83	2.40	55.17
26.	संपूर्ण भारत	173.80	6.66	0.00	0.00	1185.98	45.44	12.67	0.49	97.65	3.74	1296.30	49.67	1313.51	50.33

में

#### विपणन योग्य अधिशेष – मध्यम श्रेणी के किसानों के संबंध

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

(000 टन में)

अन्लग्नक-LXII

चने रखने का प्रयोजन कुल उत्पादन स्थाई मज़दर वस्त् के रूप में परिवार अस्थाई मज़दर बीज मात्रा पश् चारा क्रम. राज्य का नाम भुगतान के लिए स % % % % मात्रा मात्रा मात्रा मात्रा मात्रा मात्रा 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 38.71 6.15 15.89 0.00 0.00 0.00 5.54 14.31 1.50 3.87 0.00 0.00 1. आंध्र प्रदेश 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. अरूणाचल प्रदेश 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <sup>3.</sup> असम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. बिहार 39.13 12.84 32.81 0.56 1.43 0.05 0.13 4.75 12.14 2.34 5.98 0.00 0.00 5. गोवा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.69 7.75 20.56 0.70 1.86 0.03 0.08 2.85 7.56 3.04 8.07 0.68 1.80 6. गुजरात 0.00 7. हरियाणा 67.43 15.30 22.69 1.29 1.91 0.00 0.00 2.11 3.13 6.14 9.11 0.00 8. हिमाचल प्रदेश 1.00 0.86 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 3.00 0.04 4.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <sup>9.</sup> जम्मू कश्मीर 0.06 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.28 4.48 8.25 0.00 10. कर्नाटक 0.00 0.00 0.00 12.65 23.31 3.32 6.12 0.00 0.00 11. केरल 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 12. मध्य प्रदेश 912.48 220.49 24.16 26.28 2.88 0.64 0.0771.81 7.87 57.76 6.33 3.11 13. महाराष्ट्र 87.25 29.45 33.75 0.00 0.00 2.89 3.31 7.01 1.32 1.51 0.00 0.00 6.12 <sup>14</sup>. मणिपुर 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <sup>15.</sup> मेघालय 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <sup>16.</sup> मिजोरम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17. नागात्रैण्ड 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00<sup>18.</sup> उड़ीसा 5.33 76.47 0.77 4.59 0.00 6.97 0.00 0.000.00 0.00 11.05 0.32 0.00 1.95 <sup>19.</sup> पंजाब 5.64 2.23 39.54 0.09 1.60 0.00 0.00 0.21 3.72 0.30 5.32 0.11 440.88 110.03 24.96 24.73 3.18 <sup>20.</sup> राजस्थान 12.70 2.88 0.22 0.05 5.61 19.31 4.38 14.02 0.00 0.00 <sup>21.</sup> सिक्किम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <sup>22.</sup> तमिलनाडू 0.33 0.04 12.12 0.00 0.00 0.00 0.08 24.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <sup>23</sup>. त्रिप्रा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <sup>24.</sup> उत्तर प्रदेश 260.20 61.15 23.50 6.01 2.31 0.57 0.22 11.24 4.32 18.08 6.95 10.26 3.94 0.00 <sup>25.</sup> पश्चिम बंगाल 3.94 0.68 17.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 13.20 0.28 7.11 0.00 <sup>26.</sup> संपूर्ण भारत 1956.03 476.84 24.38 47.63 2.44 1.51 80.0 140.18 7.17 118.55 6.06 29.50 1.51

जारी .....2/-

- 2 -

			वने को रर			रखी गई चने की कुल		कुल क्रय		कुल क्षति		किसान परिवार की		विपण	न योग
क्रम.स	राज्य का नाम	वस्तु वे	ह रूप में	वस्तु वि	वेनिमय	मात्रा						आवश्यकता	г	अधि	<b>ो</b> शेष
				मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19	34.07	0.00	0.00	1.54	3.98	14.73	38.05	23.98	61.95
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	2.34	5.98	0.00	0.00	22.88	58.47	0.13	0.33	1.27	3.25	24.28	62.05	14.85	37.95
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05	39.93	0.00	0.00	1.36	3.61	16.41	43.54	21.28	56.26
7.	हरियाणा	0.73	1.08	0.00	0.00	25.57	37.92	0.92	1.36	2.48	3.68	28.97	42.96	38.46	57.04
8.	हिमाचल प्रदेश	0.02	2.00	0.00	0.00	0.95	95.00	0.01	1.00	0.04	4.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	60.00	0.00	0.00	0.01	6.00	0.07	70.00	0.03	30.00
10.	कर्नाटक	1.34	2.47	0.00	0.00	21.79	40.14	0.00	0.00	1.97	3.63	23.76	43.77	30.52	56.23
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	58.12	6.37	0.00	0.00	438.21	48.02	2.13	0.23	35.00	3.84	475.34	52.09	437.14	47.91
13.	महाराष्ट्र	3.39	3.89	0.00	0.00	43.17	49.48	0.28	0.32	3.27	3.75	46.72	53.55	40.53	46.45
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>उ</b> ड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42	92.11	0.04	0.57	0.25	3.59	6.71	96.27	0.26	3.73
19.	पंजाब	0.02	0.35	0.00	0.00	2.96	52.48	0.02	0.35	0.22	3.90	3.20	56.74	2.44	43.26
20	राजस्थान	7.27	1.65	0.00	0.00	188.28	42.71	5.81	1.32	17.20	3.90	211.29	47.92	229.59	52.08
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	36.36	0.00	0.00	0.02	6.06	0.14	42.42	0.19	57.58
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	5.26	2.02	0.00	0.00	112.57	43.26	1.32	0.51	9.44	3.63	123.33	47.40	136.87	52.60
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	37.56	0.02	0.51	0.41	3.55	1.64	41.62	2.30	58.38
26.	संपूर्ण भारत	78.49	4.01	0.00	0.00	892.70	49.64	10.68	0.55	74.21	3.79	977.59	49.98	978.44	50.02

157

## विपणन योग्य अधिशेष – बड़े किसानों के संबंध में

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

अनुलग्नक-LXIII (000 टन में)

			( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ा हाल पाला 14		चने	रखने का प्र	 प्रयोजन				(000	CG1 61)
क्रम.स	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	परिवार के	लिए	स्थाई मज़दूर	के लिए	अस्थाई	मज़दूर के	बीज के र्व	लेए	पशु चारे व	म लिए	वस्तु के	रूप में
9701.XI	राज्य यम गाम	पुरस्य उर पापरा					लिए						भुगतान	
			मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	28.45	3.42	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	15.25	1.14	4.01	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	35.49	5.67	15.98	0.40	1.13	0.01	0.03	4.76	13.41	2.35	6.62	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	31.76	5.41	17.03	0.40	1.26	0.04	0.13	2.53	7.97	2.59	8.15	0.52	1.64
	हरियाणा	157.65	26.20	16.62	1.75	1.11	0.00	0.00	6.54	4.15	16.10	10.21	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1.80	1.52	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	3.89	0.08	4.44	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.20	0.13	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर्नाटक	43.97	2.61	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14	18.51	2.98	6.78	0.00	0.00
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	959.95	154.74	16.12	28.89	3.01	1.06	0.11	77.47	8.07	61.72	6.43	3.94	0.41
13.	महाराष्ट्र	106.04	30.76	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	4.01	8.35	7.87	1.23	1.16
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	10.79	7.32	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	11.86	0.54	5.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	6.82	2.27	33.28	0.07	1.03	0.00	0.00	0.27	3.96	0.39	5.72	0.15	2.20
.20	राजस्थान	503.36	96.88	19.25	16.26	3.23	0.76	0.15	30.76	6.11	25.22	5.01	15.50	3.08
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	3.36	0.29	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	226.37	40.53	17.90	6.86	3.03	0.61	0.27	11.36	5.02	16.34	7.22	8.31	3.67
25.	पश्चिम बंगाल	5.83	0.58	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	13.72	0.44	7.55	0.00	0.00
26.	संपूर्ण भारत	2121.84	378.33	17.83	54.63	2.57	2.48	0.12	153.40	7.23	138.24	6.52	29.65	1.40

...2/-

		7	वने को रर	बने का प्रयो		रखी गई च	ने की कुल	कुल	क्रय	कुल	क्षति	किसान परिवार की		विपणन योग	
क्रम.स	राज्य का नाम	वस्तु वे	ह रूप में	वस्तु वि	वेनिमय	मात्रा						आवश्यकता	Г	अधि	प्रेशेष
				मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	31.28	0.00	0.00	1.08	3.80	9.98	35.08	18.47	64.92
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	2.24	6.31	0.00	0.00	15.43	43.48	0.11	0.31	1.38	3.89	16.32	47.68	18.57	52.32
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	36.18	0.00	0.00	1.23	3.87	12.72	40.05	19.04	59.95
7.	हरियाणा	2.24	1.42	0.00	0.00	52.83	33.51	0.71	0.45	6.24	3.96	59.78	37.92	97.87	62.08
8.	हिमाचल प्रदेश	0.05	2.78	0.00	0.00	1.72	95.56	0.01	0.56	0.07	3.89	1.80	100.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	65.00	0.00	0.00	0.01	5.00	0.14	70.00	0.06	30.00
	कर्नाटक	1.38	3.14	0.00	0.00	15.11	34.36	0.00	0.00	1.66	3.78	16.77	38.14	27.20	61.86
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	57.98	6.04	0.00	0.00	385.80	40.19	2.04	0.21	35.72	3.72	423.56	44.12	536.39	55.88
13.	महाराष्ट्र	3.30	3.11	0.00	0.00	47.89	45.16	0.21	0.20	3.49	3.29	51.59	48.65	54.45	51.35
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>उ</b> ड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14	84.71	0.03	0.28	0.35	3.24	9.52	88.23	1.27	11.77
19.	पंजाब	0.03	0.44	0.00	0.00	3.18	46.63	0.02	0.29	0.26	3.81	3.46	50.73	3.36	49.27
20.	राजस्थान	8.86	1.76	0.00	0.00	194.24	38.59	5.72	1.14	17.79	3.53	217.75	43.26	285.61	56.74
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	33.33	0.00	0.00	0.12	3.57	1.24	36.90	2.12	63.10
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	4.05	1.79	0.00	0.00	88.06	38.90	1.03	0.46	8.90	3.93	97.99	43.29	128.38	53.71
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	31.22	0.02	0.34	0.20	3.43	2.04	34.99	3.79	65.01
26.	संपूर्ण भारत	80.13	3.78	0.00	000	836.86	39.44	9.90	0.47	78.50	3.70	925.26	43.61	1196.58	56.39

							चने रखने का प्रयोजन								
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14     1   3   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14     1   3   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14     2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14     3   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14     3   4   4   10   3.97   0.00     3   3   3   4   10   10   10   10   10   10   10	क्रम स	राज्य का नाम	कल उत्पादन	परिवार वे	ह लिए	स्थाई मज़दूर	कं लिए	अस्थाई	मज़दूर के	बीज के वि	लेए	पशु चारे वे	म लिए	वस्तु के	रूप में
1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14           1         आंध प्रदेश         103.28         16.54         16.01         0.00         0.00         0.00         0.00         14.29         13.84         4.10         3.97         0.00           3         असमा         0.00	7	<b>(</b>	3 5											भुगतान के लिए	
1. अपंप प्रदेश   103.28   16.54   16.01   0.00   0.00   0.00   0.00   14.29   13.84   4.10   3.97   0.00     2. अरुणाचल प्रदेश   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     4. विहार   94.06   22.54   23.96   1.22   1.30   0.06   0.06   12.27   13.04   5.94   6.32   0.00     5. जोवा   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     6. गुजराल   91.67   19.03   20.76   1.55   1.69   0.07   0.08   6.99   7.63   7.48   8.16   1.61     7. हरियाणा   347.98   73.73   21.19   5.10   1.47   0.00   0.00   11.45   3.29   32.49   9.34   0.00     8. हिमाचल प्रदेश   3.70   3.17   85.68   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     9. जम्मू कश्मीर   0.36   0.25   68.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     10 कलीटक   149.60   14.25   9.53   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     11 केरल   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     12 मध्य प्रदेश   2833.62   623.17   21.99   87.47   3.09   1.70   0.06   224.93   7.94   185.71   6.55   9.25     13. मसाप्ट   273.19   85.24   31.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     15. मेघालय   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     15. मेघालय   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     16. जिलोरम   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     17. जानीजेड   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18. इंडोसा   24.05   16.33   67.90   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     19. पंजाब   16.89   36.63   18.86   58.81   3.11   0.98   0.05   108.76   5.76   91.47   48.42   22.23   22.23   22.23   22.23   22.46   1.18   0.14   34.08   4.05				मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%
2 अरुणायल प्रदेश 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	-														15
3. असम       0.00															0.00
4   विहार   94.06   22.54   23.96   1.22   1.30   0.06   0.06   12.27   13.04   5.94   6.32   0.00     5   जोचा   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     6   गुजरात   91.67   19.03   20.76   1.55   1.69   0.07   0.08   6.99   7.63   7.48   8.16   1.61     7   हरियाणा   347.98   73.73   21.19   5.10   1.47   0.00   0.00   11.45   3.29   32.49   9.34   0.00     8   हिमाचल प्रदेश   3.70   3.17   85.68   0.00   0.00   0.00   0.00   0.13   3.51   0.16   4.32   0.00     9   जम्मू कश्मीर   0.36   0.25   68.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     10   कनंदिक   149.60   14.25   9.53   0.00   0.00   0.00   0.00   31.59   21.12   8.92   5.96   0.00     11   केरल   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     12   सध्य प्रदेश   2833.62   623.17   21.99   87.47   3.09   1.70   0.06   224.93   7.94   185.71   6.55   9.25     13   महाराष्ट्र   273.19   85.24   31.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     15   केवालय   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     16   मिजोरम   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     16   मिजोरम   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     16   मिजोरम   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     17   तागावेण्ड   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18   उद्योग   16.89   6.42   38.01   0.24   1.42   0.00   0.00   0.62   3.67   0.94   5.57   0.25   0.00     20   पानस्थान   1888.78   356.30   18.86   58.81   3.11   0.98   0.05   10.876   5.76   91.47   4.84   43.22   1.76   4.76   4.75															0.00
ि ने															0.00
1.61   1.61   1.62   1.63   1.69   1.65   1.69   0.07   0.08   6.99   7.63   7.48   8.16   1.61   7. हरियाणा   347.98   73.73   21.19   5.10   1.47   0.00   0.00   11.45   3.29   32.49   9.34   0.00   8. हिसाचत प्रदेश   3.70   3.17   85.68   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   3.51   0.16   4.32   0.00   9. जम्मू कश्मीर   0.36   0.25   68.33   0.00															0.00
तिराणा   347,98   73.73   21.19   5.10   1.47   0.00   0.00   11.45   3.29   32.49   9.34   0.00	5.	गोवा													0.00
8. हिमाचल प्रदेश       3.70       3.17       85.68       0.00															1.76
9 जम्मू कश्मीर 0.36 0.25 68.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00															0.00
10. कर्नाटक 149.60 14.25 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00 31.59 21.12 8.92 5.96 0.00 11 केरल 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	8.	हिमाचल प्रदेश	3.70	3.17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	3.51	0.16	4.32	0.00	0.00
11. केरल   0.00   0.			0.36	0.25		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
12. मध्य प्रदेश 2833.62 623.17 21.99 87.47 3.09 1.70 0.06 224.93 7.94 185.71 6.55 9.25 13. महाराष्ट्र 273.19 85.24 31.20 0.00 0.00 0.00 0.00 9.03 3.31 20.55 7.52 3.60 14. मिण्यू 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	10.	कर्नाटक	149.60	14.25	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	31.59	21.12	8.92	5.96	0.00	0.00
13. महाराष्ट्र   273.19   85.24   31.20   0.00   0.00   0.00   0.00   9.03   3.31   20.55   7.52   3.60     14. मणिपुर   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     15. मेघालय   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     16. मिजोरम   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     17. नागालैण्ड   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     18. उड़ीसा   24.05   16.33   67.90   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     19. पंजाब   16.89   6.42   38.01   0.24   1.42   0.00   0.00   0.62   3.67   0.94   5.57   0.26     20. राजस्थान   1888.78   356.30   18.86   58.81   3.11   0.98   0.05   108.76   5.76   91.47   4.84   43.22     21. सिक्किम   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     22. तिमलाइ   4.32   0.42   9.72   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     24. उत्तर प्रदेश   842.06   198.55   23.58   20.73   2.46   1.18   0.14   34.08   4.05   60.16   7.14   27.985	11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 मणिपुर	12.	मध्य प्रदेश	2833.62	623.17	21.99	87.47	3.09	1.70	0.06	224.93	7.94	185.71	6.55	9.25	0.33
15. मेघालय 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	13.	महाराष्ट्र	273.19	85.24	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	3.31	20.55	7.52	3.60	1.32
16. मिजोरम	14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17. नागालेण्ड   0.00	15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. उड़ीसा 24.05 16.33 67.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 11.48 1.21 5.03 0.00 19. पंजाब 16.89 6.42 38.01 0.24 1.42 0.00 0.00 0.62 3.67 0.94 5.57 0.26 20. राजस्थान 1888.78 356.30 18.86 58.81 3.11 0.98 0.05 108.76 5.76 91.47 4.84 43.22 21. सिक्किम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19. पंजाब 16.89 6.42 38.01 0.24 1.42 0.00 0.00 0.62 3.67 0.94 5.57 0.26 20. राजस्थान 1888.78 356.30 18.86 58.81 3.11 0.98 0.05 108.76 5.76 91.47 4.84 43.22 21. सिक्तिम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20. राजस्थान 1888.78 356.30 18.86 58.81 3.11 0.98 0.05 108.76 5.76 91.47 4.84 43.22 21. सिक्किम 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	18.	<b>उ</b> ड़ीसा	24.05	16.33	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	11.48	1.21	5.03	0.00	0.00
21. सिक्किम   0.00	19.	पंजाब	16.89	6.42	38.01	0.24	1.42	0.00	0.00	0.62	3.67	0.94	5.57	0.26	1.54
21. सिक्किम       0.00 <td>20.</td> <td>राजस्थान</td> <td>1888.78</td> <td>356.30</td> <td>18.86</td> <td>58.81</td> <td>3.11</td> <td>0.98</td> <td>0.05</td> <td>108.76</td> <td>5.76</td> <td>91.47</td> <td>4.84</td> <td>43.22</td> <td>2.29</td>	20.	राजस्थान	1888.78	356.30	18.86	58.81	3.11	0.98	0.05	108.76	5.76	91.47	4.84	43.22	2.29
23. त्रिपुरा     0.00	21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24. उत्तर प्रदेश 842.06 198.55 23.58 20.73 2.46 1.18 0.14 34.08 4.05 60.16 7.14 27.985	22.	तमिलनाडू	4.32	0.42	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
24. उत्तर प्रदेश 842.06 198.55 23.58 20.73 2.46 1.18 0.14 34.08 4.05 60.16 7.14 27.985	23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. पश्चिम बंगाल 14.12 2.23 15.79 0.00 0.00 0.00 1.85 13.10 1.01 7.15 0.00			842.06	198.55	23.58	20.73	2.46	1.18	0.14	34.08	4.05	60.16	7.14	27.985	3.32
	25.	पश्चिम बंगाल	14.12	2.23	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	13.10	1.01	7.15	0.00	0.00
26. संपूर्ण भारत 6687.68 1438.17 21.50 175.12 2.62 3.99 0.06 459.81 6.88 420.14 6.28 85.89	26.	संपूर्ण भारत	6687.68	1438.17	21.50	175.12	2.62	3.99	0.06	459.81	6.88	420.14	6.28	85.89	1.28

		7	वने को रर	बने का प्रयो	गन	रखी गई च	ने की कुल	कुल	क्रय	कुल	क्षति	किसान पी	रेवार की	विपण	न योग
क्रम.स	राज्य का नाम	वस्तु वे	ह रूप में	वस्तु वि	वेनिमय	मात्रा						आवश्यकता	ī	अधि	<b>ो</b> शेष
				मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93	33.82	0.00	0.00	3.79	3.67	38.72	37.49	64.56	62.51
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	5.92	6.29	0.00	0.00	47.95	50.98	0.34	0.36	3.44	3.66	51.73	55.00	42.33	45.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	36.73	40.07	0.00	0.00	3.32	3.36	40.05	43.69	51.62	56.31
7.	हरियाणा	5.00	1.44	0.00	0.00	127.77	36.72	2.47	0.71	13.64	3.92	143.88	41.35	204.10	58.65
8.	हिमाचल प्रदेश	0.07	1.89	0.00	0.00	3.53	95.41	0.03	0.81	0.14	3.78	3.70	100.00	0.00	0.00
9.	जम्म् कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	69.44	0.00	0.00	0.02	6.67	0.27	76.11	0.90	23.89
10.	कर्नाटक	4.33	2.89	0.00	0.00	59.09	39.50	0.00	0.00	5.45	3.64	64.54	43.14	85.06	56.86
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	174.64	6.16	0.00	0.00	1306.87	46.12	6.67	0.24	106.85	3.77	1420.39	50.13	1413.23	49.87
13.	महाराष्ट्र	12.96	4.74	0.00	0.00	131.38	48.09	0.88	0.32	9.91	3.63	142.17	52.04	131.02	47.96
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	<b>उ</b> ड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	84.41	0.01	0.46	0.83	3.45	21.24	88.32	2.81	11.68
19.	पंजाब	0.05	0.30	0.00	0.00	8.53	50.50	0.06	0.36	0.62	3.67	9.21	54.53	7.68	45.47
20.	राजस्थान	112.57	5.96	0.00	0.00	772.11	40.88	17.86	0.95	70.09	3.71	860.06	45.54	1028.72	54.46
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडू	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	34.26	0.00	0.00	0.17	3.94	1.65	38.19	82.67	61.81
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	16.88	2.00	0.00	0.00	359.53	42.70	4.77	0.57	31.60	3.75	395.90	47.02	446.16	52.98
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	36.05	0.06	0.42	0.48	3.40	5.63	39.87	8.49	60.13
26.	संपूर्ण भारत	332.42	4.97	0.00	0.00	2915.54	43.60	33.25	0.50	250.36	3.74	3199.15	47.84	3488.53	52.16

# विपणन अधिशेष के मुकाबले बेची गई चने की कुल मात्रा-छोटे (वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

## किसानों के संबंध में

194 6

अनुलग्नक-LXV (000 टन में)

				उपयोग की गई								
क्रम.स	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	उपयोग की गई कुल ए	प्रयोग की मात्रा	बेचे गए	अधिशेष	विपणन यो	ग्य अधिशेष	अंतर			
			मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	आंध्र प्रदेश	36.12	14.01	38.79	21.92	60.69	22.11	61.21	0.19	0.53		
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.	बिहार	19.44	10.53	54.17	8.77	45.11	8.91	45.83	0.14	0.72		
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.	गुजरात	22.22	10.92	49.14	11.16	50.23	11.30	50.86	0.14	0.63		
7.	हरियाणा	122.90	55.13	44.86	66.59	54.18	67.77	55.14	1.18	0.96		
8.	हिमाचल प्रदेश	0.90	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.	जम्मू कश्मीर	0.06	0.06	106.67	0.00	0.00	0.00	-6.67	0.00	0.00		
10.	कर्नाटक	51.35	24.01	46.76	26.88	52.35	27.34	53.24	0.46	0.90		
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12.	मध्य प्रदेश	961.19	521.49	54.25	427.44	44.47	439.70	45.75	12.26	1.28		
13.	महाराष्ट्र	79.90	43.86	54.89	36.22	45.33	36.04	45.11	-0.18	-0.23		
	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17.	नागात्रैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18.	<b>उ</b> ड़ीसा	6.29	5.01	79.65	1.31	20.83	1.28	20.35	-0.03	-0.48		
19.	पंजाब	4.43	2.55	57.56	1.87	42.21	1.88	42.44	0.01	0.23		
20.	राजस्थान	944.54	431.02	45.63	519.16	54.96	513.52	54.37	-5.64	-0.60		
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22.	तमिलनाडू	0.63	0.27	42.86	0.36	57.14	0.36	57.14	0.00	0.00		
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	उत्तर प्रदेश	355.49	174.58	49.11	178.66	50.26	180.91	50.89	2.25	0.63		
	पश्चिम बंगाल	4.35	1.95	44.83	2.38	54.71	2.40	55.17	0.02	0.46		
26.	संपूर्ण भारत	2609.81	1296.30	49.67	1302.72	49.92	1313.51	50.33	10.79	0.41		

# विपणन अधिशेष के मुकाबले बेची गई चने की कुल मात्रा-मध्यम (वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

# श्रेणी के किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-LXVI

						उपयोग की गई				
क्रम.स	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	उपयोग की गई कुल	प्रयोग की मात्रा	बेचे गए	अधिशेष	विपणन यो	ग्य अधिशेष	अंत	तर
			मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	38.71	14.73	38.05	23.69	61.20	23.98	61.95	0.29	0.75
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	39.13	24.28	62.05	14.71	37.59	14.85	37.95	0.14	0.36
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	37.69	16.41	43.54	21.20	56.25	21.28	56.46	0.08	0.21
7.	हरियाणा	67.43	28.97	42.96	38.24	56.71	38.46	57.04	0.22	0.33
8.	हिमाचल प्रदेश	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू कश्मीर	0.10	0.07	70.00	0.03	30.00	0.03	30.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	54.28	23.76	43.77	30.06	55.38	30.52	56.23	0.46	0.85
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	912.48	475.34	52.09	430.34	47.16	437.14	47.91	6.80	0.75
13.	महाराष्ट्र	87.25	46.72	53.55	40.02	45.87	40.53	46.45	0.51	0.58
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागात्रैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	<u> इ</u> ड़ीसा	6.97	0.71	96.27	0.27	3.87	0.26	3.73	-0.01	-0.14
19.	पंजाब	5.64	3.20	56.74	2.41	42.73	2.44	43.26	0.03	0.53
20.	राजस्थान	440.88	211.29	47.92	228.20	51.76	229.59	52.08	1.39	0.32
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	0.33	0.14	42.42	0.19	57.58	0.19	57.58	0.00	0.00
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	260.20	123.33	47.40	135.90	52.33	136.87	52.60	0.97	0.37
	पश्चिम बंगाल	3.94	1.64	41.62	2.30	58.38	2.30	58.38	0.00	0.00
26.	संपूर्ण भारत	1956.03	977.59	49.98	967.56	49.47	978.44	50.02	10.88	0.56

# विपणन अधिशेष के मुकाबले बेची गई चने की कुल मात्रा-बड़े किसानों के संबंध में

(वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक)

अनुलग्नक-LXVII (000 टन में)

	राज्य का नाम	कुल उत्पादन				उपयोग की गई				
क्रम.स			उपयोग की गई कुल	प्रयोग की मात्रा	बेचे गए	अधिशेष	विपणन यो	ग्य अधिशेष	अंत	ार
		-	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	28.45	9.98	35.08	18.28	64.25	18.47	64.92	0.19	0.67
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	35.49	16.92	47.68	18.13	51.08	18.57	52.32	0.44	1.24
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	31.76	12.72	40.05	18.65	58.72	19.04	59.95	0.39	1.23
	हरियाणा	157.65	59.78	37.92	96.58	61.26	97.87	62.08	1.29	0.82
8.	हिमाचल प्रदेश	1.80	1.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जम्मू कश्मीर	0.20	0.14	70.00	0.06	30.00	0.06	30.00	0.00	0.00
	कर्नाटक	43.97	16.77	38.14	26.53	60.34	27.20	61.86	0.67	1.52
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	959.95	423.56	44.12	529.80	50.19	536.39	55.88	6.59	0.69
13.	महाराष्ट्र	106.04	51.59	48.65	53.88	50.81	54.45	51.35	0.57	0.54
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागात्रैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	<b>उ</b> ड़ीसा	10.71	9.52	88.23	1.19	11.03	1.27	11.77	0.08	0.74
19.	पंजाब <u></u>	6.82	3.46	50.73	3.29	48.24	3.36	49.27	0.07	1.03
20	राजस्थान	503.36	217.75	43.26	284.55	56.53	285.61	56.74	1.06	0.21
	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडू	3.36	1.24	36.90	2.06	61.31	2.12	63.10	0.06	1.79
	त्रिपुरा विषुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	226.37	97.99	43.29	124.89	55.17	128.38	56.78	3.49	1.54
	पश्चिम बंगाल	5.83	2.04	34.99	3.63	62.26	3.79	65.01	0.16	2.74
	संपूर्ण भारत	2121.84	925.26	43.61	1181.52	55.68	1196.58	56.39	15.06	0.71

# विपणन अधिशेष के मुकाबले बेची गई चने की कुल मात्रा-सभी श्रेणी (वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाला त्रिवार्षिक) के किसानों के संबंध में

अनुलग्नक-LXVIII

				उपयोग की गई									
क्रम.स	राज्य का नाम	कुल उत्पादन	उपयोग की गई कुल	प्रयोग की मात्रा	बेचे गए	अधिशेष	विपणन यो	ग्य अधिशेष	अंत	नर			
			मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%	मात्रा	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	आंध्र प्रदेश	103.28	38.72	37.49	63.89	61.86	64.56	62.51	0.67	0.65			
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.	बिहार	94.06	51.73	55.00	41.61	44.24	42.33	45.00	0.72	0.77			
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6.	गुजरात	91.67	40.05	43.69	51.01	55.65	51.62	56.31	0.61	0.67			
7.	हरियाणा	347.98	143.88	41.35	201.41	57.88	204.10	58.65	2.69	0.77			
8.	हिमाचल प्रदेश	3.70	3.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9.	जम्मू कश्मीर	0.36	0.27	75.00	0.09	25.00	0.09	25.00	0.00	0.00			
10.	कर्नाटक	149.60	64.54	43.14	83.47	55.80	85.06	56.86	1.59	1.06			
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12.	मध्य प्रदेश	2833.62	1420.39	50.13	1387.58	48.97	1413.23	49.87	25.65	0.91			
13.	महाराष्ट्र	273.19	142.17	52.04	130.12	47.63	131.02	47.96	0.90	0.33			
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18.	<b>उ</b> ड़ीसा	24.05	21.24	88.32	2.77	11.52	2.81	11.68	0.04	0.17			
19.	पंजाब पंजाब	16.89	9.21	54.53	7.57	44.82	7.68	45.47	0.11	0.65			
20.	राजस्थान	1888.78	860.06	45.54	1031.91	54.63	1028.72	54.46	-3.19	-0.17			
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22.	तमिलनाडू	4.32	1.65	38.19	2.61	60.42	2.67	61.81	0.06	1.39			
	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	उत्तर प्रदेश	842.06	395.90	47.02	439.45	52.19	446.16	52.98	6.71	0.80			
25.	पश्चिम बंगाल	14.12	5.63	39.87	8.31	58.85	8.49	60.13	0.18	1.27			
26.	संपूर्ण भारत	6687.68	3199.15	47.84	3451.80	51.61	3488.53	52.16	36.73	0.55			

अनुलग्नक: LXIX

विपणन योग्य अधिशेष के मुकाबले बेची गई कुल मात्रा और चने की कटाई के पश्चात हानि के अनुमान के लिए मानक त्रुटि

क्रम सं.	राज्य का नाम	विपणन योग्य अधिशेष	बेचे गए अधिशेष	कटाई पश्चात कुल हानि
	आंध्र प्रदेश	0.08	0.08	0.56
	अरूणाचल प्रदेश			
3.	असम			
4.		1.17	1.95	0.72
5.	गोवा			
6.		0.37	0.38	0.93
7.	हरियाणा	0.77	0.82	0.96
8.	हिमाचल प्रदेश	2.26		2.39
	जम्मू कश्मीर	0.97	1.11	0.78
10.	कर्नाटक	1.08	1.35	0.67
11.	केरल			
12.	मध्य प्रदेश	0.48	0.44	0.98
13.	महाराष्ट्र	0.73	0.79	0.81
14.	मणिपुर			
15.	मेघालय			
	मिजोरम			
	नागालैण्ड			
18.	<b>उ</b> ड़ीसा	1.19	2.46	0.64
19.		1.01	0.87	0.95
	राजस्थान	0.56	0.62	0.82
	सिक्किम			
	तमिलनाइ्	0.27	0.25	0.56
23.	5			
	उत्तर प्रदेश	0.59	0.70	1.30
	पश्चिम बंगाल	0.01	0.03	0.07
26.	संपूर्ण भारत	0.71	0.78	1.10

#### <u> आभार</u>

# मुख्य परियोजना समन्वायोजक

1/41½ डॉ. जी.आर.भाटिया अपर कृषि विपणन सलाहकार 1/4तारीख 14.10.2001 से½

1/421/2 श्री एच.पी.सिंह संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार 1/4तारीख 10.11.2002 से1/2

1/431/2 श्री आर.जे.वर्मा संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार 1/4तारीख 13.01.2002 तक1/2

# परियोजना समन्वायोजक

1/441/2 श्री.बी.डी.शेरकर उप कृषि विपणन सलाहकार 1/4तारीख 01.09.2002 से1/2

1/451/2 श्री आर.ए.खनोरकर उप कृषि विपणन सलाहकार 1/4तारीख 31.08.2002 तक1/2

#### क्षेत्रीय/उप कार्यालय स्तर के परियोजना समन्वायोजक

- 1/411/2 श्री संत्री प्रसाद, उप कृषि विपणन सलाहकार, नई दिल्ली
- 1/421/2 श्री डी.पी.सिंह, उप कृषि विपणन सलाहकार, नई दिल्ली
- 1/431/2 श्री हर प्रसाद, उप कृषि विपणन सलाहकार, चंडीगढ़
- 1/441/2 श्री जगत लाल, उप कृषि विपणन सलाहकार, जयपुर
- 1/451/2 श्री आर.एम.करपाटे, उप कृषि विपणन सलाहकार, कोलकाता
- 1/461/2 श्री एस.के.मलिक, उप कृषि विपणन सलाहकार, कोलकाता
- 1/471/2 श्री बी.के.सिन्हा, उप कृषि विपणन सलाहकार, गुवाहाटी
- 1/481/2 श्री एस.डी.फड़के, उप कृषि विपणन सलाहकार, भोपाल
- 1/491/2 श्री एस.एस.पी.राव, उप कृषि विपणन सलाहकार, भोपाल
- 1/4101/2 श्री शणम्गम, उप कृषि विपणन सलाहकार, चेन्नै
- 1/4111/2 श्री नारायण सिंह, उप कृषि विपणन सलाहकार, कोच्चि
- 1/4121/2 श्री आर.एम.सिंह, उप कृषि विपणन सलाहकार, मुंबई
- 1/4131/2 श्री के.पी.सिंह, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, जम्मू
- 1/4141/2 श्री शफीक अहमद, वरिष्ठ विपणन अधिकारी,
- 1/4151/2 श्री एच.एन.अब्बासी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, पटना
- 1/4161/2 श्री वी.एल.वैरागर, वरिष्ठ विपणन अधिकारी
- 1/4171/2 श्री ई.मोहन नायडू, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, हैदराबाद
- 1/4181/2 डॉ. सजनी कुमार, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, बैंगलूर
- 1/4191/2 श्री ई.एस.पौलॉस, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, बैंगलूर
- 1/4201/2 श्री टी.के.रे, वरिष्ठ विपणन अधिकारी
- 1/4211/2 श्री एन.एल.सिंह, विपणन अधिकारी
- 1/4221/2 श्री एम.एस.बैंकर, विपणन अधिकारी
- 1/4231/2 श्री एस.डी.कथालकर, विपणन अधिकारी
- 1/4241/2 श्री पी.जी.चौधरी, विपणन अधिकारी
- 1/4251/2 श्री एम.पी.पराशर, विपणन अधिकारी
- 1/4261/2 श्री मनोज कुमार, विपणन अधिकारी
- 1/4271/2 श्री मनीष चौधरी, विपणन अधिकारी
- 1/4281/2 श्री भावेश कुमार जोरी, विपणन अधिकारी

#### सहायक परियोजना समन्वायोजक 1/4राज्य स्तर1/2

1/4291/2 श्री नंदैया विपणन अधिकारी, हैदराबाद 1/4301/2 श्री ऐ.के.दास. विपणन अधिकारी. कोलकाता 1/4311/2 श्री एन.जी.दास. विपणन अधिकारी. कोलकाता 1/4321/2 श्री जय प्रकाश, विपणन अधिकारी, पटना 1/4331/2 श्री एम.के.द्विवेदी, विपणन अधिकारी, पटना 1/4341/2 श्री एम.जगन मोहन राव, विपणन अधिकारी, गोवा 1/4351/2 श्री एच.सी.वत्सल. विपणन अधिकारी, अहमदाबाद 1/4361/2 श्री आर.के.मीणा. विपणन अधिकारी. चंडीगढ 1/4371/2 श्री के.सी.राउत. विपणन अधिकारी. चंडीगढ 1/4381/2 श्री आर.एस.राठौर, विपणन अधिकारी, चंडीगढ़ 1/4391/2 श्री ए.एस.शर्मा, विपणन अधिकारी, जम्मू तवी 1/4401/2 श्री एन.के.मिश्रा, विपणन अधिकारी, जम्मू तवी 1/4411/2 श्री बी.प्रोहित, विपणन अधिकारी, बेंगलूर 1/4421/2 श्री एस.नुहू कन्नू, विपणन अधिकारी, केरल 1/4431/2 श्री आर.एस.सिंह, विपणन अधिकारी, भोपाल 1/4441/2 श्री आर.एस.सिंह, विपणन अधिकारी, पूणे 1/4451/2 श्री वी.एम.हेडाऊ, विपणन अधिकारी, मुम्बई 1/4461/2 श्री एस.ओ.गणोरकर. विपणन अधिकारी. नासिक 1/4471/2 श्री पी.पी.म्खोपाध्याय, विपणन अधिकारी, कोलकाता 1/4481/2 श्री जी.वी.दांडी, विपणन अधिकारी, कोलकाता 1/4491/2 श्री आर.सी.पांडा, विपणन अधिकारी, भ्वनेश्वर 1/4501/2 श्री सी.जेना, विपणन अधिकारी, भ्वनेश्वर 1/4511/2 श्री एम.एल.मीणा, विपणन अधिकारी, जयपुर 1/4521/2 श्री राजा राम रावत, विपणन अधिकारी, जयप्र 1/4531/2 श्री के.जयनन्दन, विपणन अधिकारी, चेन्नै 1/4541/2 श्री आर.बी.एस.यादव. विपणन अधिकारी. उखनऊ 1/4551/2 श्री जी.वी.रब्बानी, विपणन अधिकारी, लखनऊ 1/4561/2 श्री एच.एन.राय. विपणन अधिकारी. लखनऊ 1/4571/2 श्री आर.जी.सिंह, विपणन अधिकारी, नई दिल्ली 1/4581/2 श्री एच.सी.हल्दर, विपणन अधिकारी, नई दिल्ली

## लिपिकीय सहायक

आशुलिपिक 1/4591/2 श्रीमती प्रेमलता चावला 1/4601/2 श्री एस.एल.सोलंकी अवर श्रेणी लिपिक 1/4611/2 श्रीमती इंदिरा हेडाऊ प्रवर श्रेणी लिपिक 1/4621/2 श्रीमती आशा गोताफोडे प्रवर श्रेणी लिपिक 1/4631/2 श्रीमती एस.आर.पेंदम प्रवर श्रेणी लिपिक 1/4641/2 कु.कल्पना मेश्राम सांख्यिकीय सहायक 1/4651/2 श्री विप्लव मेश्राम सांख्यिकीय सहायक 1/4661/2श्री विजय कुंभरे अवर श्रेणी लिपिक 1/4671/2 श्री शेखर पौनीकर अवर श्रेणी लिपिक 1/4681/2श्री सी.जी.निनावे अवर श्रेणी लिपिक

\*\*\*\*\*\*\*